कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 65 अंक : 11 पृष्ठ : 60 सितंबर 2019 मूल्य : ₹ 22

समृद्ध होते गांव

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन: मुख्य बातें

- स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को अनेक–अनेक शुभकामनाएं।
- आज देश के अनेक भागों में अति वर्षा और बाढ़ के कारण लोग कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनडीआरएफ, सभी संगठन, नागरिकों का कष्ट कम कैसे हो, सामान्य परिस्थिति जल्दी कैसे लौटे, उसके लिए दिन–रात प्रयास कर रहे हैं।
- दस हफ्ते के भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35 ए का हटना सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद, 70 दिन के भीतर अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाने का काम भारत के दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने, दो–तिहाई बहुमत से पारित कर दिया।
- अगर इस देश में, हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल–विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन–देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम तीन तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। दस हफ्ते के भीतर हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया।
- आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम किया गया।
- हमारे किसान भाइयों–बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90 हजार करोड़ रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है।
- हमारे किसान भाई–बहन, हमारे छोटे व्यापारी भाई–बहन, उनको कभी कल्पना नहीं थी कि कभी उनके जीवन में भी पेंशन की व्यवस्था हो सकती है, वैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है।
- जल संकट की चर्चा बहुत होती है, भविष्य जल संकट से गुजरेगा, यह भी चर्चा होती है, उन चीजों को पहले से ही सोच करके, केंद्र और राज्य मिलकर के योजनाएं बनाएं, इसके लिए एक अलग जलशक्ति मंत्रालय का भी निर्माण किया गया है।
- हम आने वाले दिनों में जल–जीवन मिशन को आगे ले करके बढ़ेंगे। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें साथ मिलकर काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम इस मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प लिया है।
- हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टरों की जरूरत है, आरोग्य की सुविधाएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। मेडिकल एजुकेशन को पारदर्शी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कानून हमने बनाए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून प्रबंधन आवश्यक था। हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है।
- अगर 2014 से 2019 आवश्यकताओं की पूर्ति का दौर था, तो 2019 के बाद का कालखंड देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का कालखंड है, उनके सपनों को साकार करने का कालखंड है।

पृष्ठ 58 पर जारी...

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 65★ मासिक अंक : 11★ पृष्ठ : 60 ★ भाद्रपद–आश्विन 1941★ सितंबर 2019

प्रधान संपादक
शमीमा सिद्दीकी
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
शिशिर कुमार दत्ता
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

गांवों में गरीबी से निपटने के लिए कारगर उपाय — अमरजीत सिन्हा — 5
बदलते गांव, संवरता जीवन — डॉ. जगदीप सक्सेना — 9
कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के लिए पहल — डॉ. वीरेन्द्र कुमार — 14
ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य तथा आगे की राह — डॉ. चंद्रकांत लहारिया — 20
ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक की नई पहल — डॉ. मनीष मोहन गोरे — 25
प्रकाशन विभाग की ई-परियोजनाओं का शुभारंभ — --- — 30
अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में असीमित विकास — निमिष कपूर — 32
बाल स्वास्थ्य और पोषाहार योजनाएं — डॉ. ज्योति शर्मा — 37
जल-संरक्षण की दिशा में पहल — अनुराग दीक्षित — 42
ग्रामीण भारत में स्वच्छ पर्यावरण और साफ-सफाई हेतु पहल — डॉ. विश्वरंजन — 47
दिव्यांग-जनों के सशक्तीकरण हेतु पहल — देवाशीष उपाध्याय — 51
स्वच्छता पहल
2.5 लाख पंचायतों के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल — --- — 55

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 56, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 56, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का विकास और उन्नति किसी भी राष्ट्र या समाज की प्रगति का सूचक है। चूंकि हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था और यहां की अधिकांश आबादी कृषि पर टिकी है ऐसे में ग्रामीण भारत की समृद्धि कृषि विकास और किसानों के कल्याण से सीधे तौर पर जुड़ी है। भारत सरकार इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है इसीलिए किसानों की समृद्धि से जुड़ी योजनाओं पर ज़ोर दिया जा रहा हैं।

किसान हितैषी योजनाओं/कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से हम उन्नत कृषि तकनीकों और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुए हैं। आज देश में कृषि क्षेत्र में सफलता की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। इस सफलता के लिए सरकार ने बहु–स्तरीय रणनीति अपनाई है। कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जैविक खेती को प्रोत्साहन, शत–प्रतिशत नीमलेपित यूरिया की शुरुआत जैसे कई कदम उठाए गए। यही नहीं, किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा देने और उन्हें उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सरकार की नवीनतम पहल प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना है। यह एक पेंशन योजना है, जिसके लिए 9 अगस्त, 2019 से किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के वे सभी किसान शामिल हो सकते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है।

गांवों में उद्यमशीलता के विकास की बात हो या कृषि विकास की, या फिर आर्थिक उत्थान की, ये सभी तब कामयाब होंगे, जब गांवों में बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अधिक कुशल बनाया गया है। योजना के तहत सभी योग्य बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

भारत सरकार देश में प्रत्येक और हर इच्छुक परिवार को बिजली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'प्रधानमंत्री हर घर सहज बिजली योजना' यानी 'सौभाग्य' के अंतर्गत देश के सभी योग्य गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लक्ष्य यह है कि गांव के हर घर में बिजली का कनेक्शन हो।

'दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्भुत मिसाल बन गया है। इसके अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है, जिसमें आमदनी की संभावना हो। कुशलता प्राप्त करने के उपरांत उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है।

'मनरेगा' एक व्यापक और वृहद् कार्यक्रम है जिससे करोड़ों की संख्या में कामगार और लाखों अन्य संबंधित जुड़े हैं। विशाल आकार के कारण इसका पारदर्शी प्रबंधन एक चुनौती थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई पहल करते हुए 'नरेगा सॉफ्ट' नाम से एक इंटरनेट–आधारित प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की है, जिसे राष्ट्रीय सूचना–तंत्र केंद्र के सहयोग से व्यवहार में लाया जा रहा है। यह एक विशाल, विस्तृत, कुशल और पारदर्शी ई–प्रणाली है, जिसका उपयोग कोई भी संबंधित किसी भी स्थान से किसी भी समय कर सकता है, और सूचना प्राप्त कर सकता है। 'नरेगा सॉफ्ट' को आधार प्रणाली से जोड़कर लाभार्थियों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित की गई है, जिससे बोगस या डुप्लीकेट लाभार्थियों की संभावना कम हो गई है।

भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में 'हर घर नल में जल' उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। प्रयास यह है कि हर ग्रामीण परिवार में नल लगा हो, जिससे पीने का पानी प्राप्त हो। हाल में शुरू जलशक्ति अभियान जल सुरक्षा को बढ़ाने की एक राष्ट्रव्यापी कोशिश है। इस अभियान के तहत तेजी से जल–संरक्षण हेतु बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जा रहा है। इससे ग्रामीण विकास की सफलता की कहानियों में एक नया आयाम जुड़ेगा, जो ऐतिहासिक होगा।

संक्षेप में, विज्ञान और तकनीक की मदद से आज गांव सुविधा–संपन्न हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ने स्वच्छ गांवों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। सड़कों और घरों का निर्माण नई पर्यावरण–अनुकूल तकनीकों और आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। नए उपायों ने ग्रामीणों की आमदनी में वृद्धि के साथ–साथ जीवन में समृद्धि के द्वार खोल दिए गए है। महिलाएं भी अपने कौशल से गरीबी से उबर कर आर्थिक उत्थान की राह पर आगे बढ़ रही हैं। हम एक आत्मनिर्भर, विकसित, स्वच्छ, सुविधा–सम्पन्न और समृद्ध ग्रामीण भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं जिसका स्वप्न कभी महात्मा गांधी ने देखा था।

गांवों में गरीबी से निपटने के लिए कारगर उपाय

–अमरजीत सिन्हा

ग्रामीण गरीबी सही अर्थों में बहुआयामी है और व्यापक प्रभाव के लिए इन सभी आयामों पर एक साथ कार्रवाई करना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली विभिन्न पहलों को समेकित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों की दशा में सही अर्थों में बदलाव लाकर खुशहाली लाई जा सके।

चिरस्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि गरीबी एक बहुआयामी समस्या है, इसलिए इससे निपटने के लिए कई तरह के उपाय करना जरूरी है। चित्र–1 में गरीबी–मुक्त ग्रामीण समुदायों के निर्माण की चुनौती को प्रदर्शित किया गया है। स्थिति में बदलाव लाने के लिए कृषि से इतर गतिविधियों से आजीविका कमाने और रोजी–रोटी के एक से अधिक साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र का आधा और सेवा क्षेत्र का एक तिहाई पहले ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। जाहिर है कि आजीविका विकास और इनमें विविधता लाने के कार्यक्रमों के जरिए आय और रोजगार के अवसर बढ़ाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।

पिछले चार वर्षों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका में विविधता लाने, गरीबी कम करने और इसके माध्यम से गरीब परिवारों में खुशहाली बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के वित्तीय संसाधनों के आवंटन में काफी बढ़ोतरी की गई है। तालिका–1 में दिए गए ग्रामीण विकास विभाग के 2012–13 से 2017–18 के वास्तविक खर्च और वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों से यह बात साफतौर पर स्पष्ट है।

वर्ष 2017–18 में वार्षिक खर्च 2012–13 के खर्च से दो गुना से अधिक है। यह बात ध्यान देने की है कि इस अवधि के दौरान गरीबी की समस्या के समाधान के लिए चार अतिरिक्त स्रोत थेः

- कार्यक्रम के अंतर्गत हिमालयी राज्यों के लिए साझेदारी का अनुपात 90:10 और गैर–हिमालयी राज्यों के लिए 60:40 हो गया। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत, जिनमें पहले केंद्र और राज्य की साझेदारी 75:25 की थी, वही साझेदारी 60:40 हो जाने पर राज्य सरकारों के तीन साल में 45,000 करोड़ रुपये के खर्च पर केंद्र ने 81,975 करोड़ रुपये का व्यय किया। इसी तरह दिसंबर 2015 से राज्यों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी 40 प्रतिशत अंशदान देना प्रारंभ किया। इससे राज्यों को 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने लगी, जो पहले उपलब्ध नहीं थी। ऐसी ही बढ़ोतरी 75:25 की साझेदारी से 60:40 के तहत लाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि में भी हुई।
- वर्ष 2017–18 से आवास कार्यक्रम के अंतर्गत बजट से इतर संसाधनों से भी धन जुटाया गया। वर्ष 2017–19 तक कुल 21,975 करोड़ रुपये की बजट से इतर राशि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लिए जुटाई गई/जुटाई जा रही है।
- 14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को आवंटित धनराशि 13वें वित्त आयोग की तुलना में काफी अधिक है। इसे तालिका–2 में देखा जा सकता है।
- ध्यान देने वाली चौथी महत्वपूर्ण बात है–महिला स्वयंसहायता समूहों को इस अवधि के दौरान मिली धनराशि। महिला स्वयंसहायता समूहों ने पिछले पांच वर्षों में कुल 1.64 लाख करोड़ रुपये बैंक ऋण के रूप में जुटाए हैं। दीनदयाल

चित्र–1 : गरीबी से मुक्त ग्रामीण समुदाय

अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बैंक ऋण की बकाया राशि, जो 2013–14 में 31,865 करोड़ रुपये थी, 2017–18 में 69,733 करोड़ रुपये हो गई है।

- इसके अलावा, ग्रामीण गरीबी कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित संसाधन उपलब्ध कराने, स्वच्छ भारत मिशन पर ज़ोर देने, कृषि मंत्रालय और गरीबों के लिए बुनियादी ढांचे व आजीविका के अन्य कार्यक्रमों तथा ग्रामीण भारत को वित्तीय संसाधनों का पूर्ण अंतरण जैसे कदम भी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। इस धनराशि का काफी बड़ा हिस्सा रोजगार और आमदनी बढ़ाने पर खर्च हो जाता है।
- ग्रामीण विकास विभाग ने इस दौरान गरीब परिवारों की आजीविका के विकास और उनमें विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। जुलाई 2015 में जारी सामाजिक–आर्थिक जाति गणना–2011 में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए प्रमाण पर आधारित मानदंड उपलब्ध कराए गए हैं। सामाजिक–आर्थिक जाति गणना के निर्धनता के मानदंडों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोईगैस, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन और हाल में आयुष्मान भारत के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण कार्यक्रम में लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि विकास के फायदे समाज के सबसे निर्धन लोगों तक प्राथमिकता के आधार पर पहुंचे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मनरेगा के तहत राज्यों के श्रमिक बजट को अंतिम रूप देने में सामाजिक–आर्थिक जाति गणना के उपयोग और दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयंसहायता समूहों के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को शामिल करने पर जोर देने से भी यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि गरीब परिवारों की अधिकता वाले क्षेत्रों को ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिले। तालिका–3 में निर्धनता के प्रकारों को दर्शाया गया है।

तालिका–1 : ग्रामीण विकास विभाग का वास्तविक खर्च

वर्ष	ग्रामीण विकास योजनाओं का खर्च (करोड़ रुपये में)
2012-13	50,162
2013-14	58,630
2014-15	67,263
2015-16	77,321
2016-17	95,099
2017-18 (सं.अ.)	1,05,448*
2018-19	1,12,403.92**

*वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित अनुमान

**वर्ष 2017–18 के लिए बजट अनुमान

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय

- ग्रामीण विकास के तमाम कार्यक्रमों का आजीविका विकास और आजीविका में विविधता लाने के कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–मनरेगा ने टिकाऊ परिसंपत्तियों और जल–संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया और खेती के तालाब, कुएं, बकरियों के बाड़े, मुर्गीबाड़े, आवास निर्माण में सहयोग और मवेशियों के बाड़े जैसे आजीविका के अवसर पैदा करने वाले व्यक्तिगत लाभ प्रदान किए। सब्सिडी कार्यक्रमों को पशुधन संसाधन और कृषि कार्यक्रमों से जोड़े जाने से कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र की आमदनी बढ़ाने में मदद मिली। पिछले चार वर्षों में फलों और सब्जियों के उत्पादन में बढ़ोतरी और पशुधन संसाधनों में शानदार वृद्धि का कारण ग्रामीण आजीविकाओं के विकास और उसमें विविधता लाने के कार्यक्रम पर जोर दिया जाना है। पिछले तीन साल में आजीविका के अवसर पैदा करने और आमदनी व रोजगार में मदद करने वाली पहलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :

i) जल संरक्षण कार्यक्रमों से 143 लाख हेक्टेयर भूमि को फायदा।

ii) इस दौरान सिंचाई के लिए करीब 15 लाख तालाब और 4 लाख कुओं के अलावा बड़ी संख्या में जल–संरक्षण के लिए सामुदायिक ढांचों का निर्माण किया गया।

iii) इस अवधि में महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा संचालित 6,222 कस्टम हायरिंग सेंटर पूरी तरह चालू हुए।

तालिका–2 : 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी राशि

वर्ष	कुल जारी (करोड़ रुपये में)
2015-16	21510.46
2016-17	33870.52
2017-18	32423.72

तालिका–3 : सामाजिक–आर्थिक जाति गणना 2011 के अंतर्गत निर्धनता

विवरण	निर्धन परिवार
बिना कमरे या सिर्फ एक कमरे और कच्ची दीवार व कच्ची छत वाले परिवार (डी–1)	2,37,31,674
ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं (डी–2)	65,15,205
महिला मुखिया वाले परिवार जिनमें 16 से 59 की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं (डी–3)	68,96,014
विकलांग सदस्य वाले परिवार जिसमें कोई भी तंदुरुस्त वयस्क सदस्य नहीं (डी–4)	7,16,045
अ.जा./अ.ज.जा. परिवार (डी–5)	3,85,82,225
परिवार जिनमें 25 साल से अधिक का कोई भी साक्षर सदस्य नहीं है (डी–6)	4,21,47,568
हाथ से काम करने वाले खेतिहर मजदूर परिवार (डी–7)	5,37,01,383
16 लाख अन्य परिवार स्वतः ही निर्धनतम परिवारों में शामिल	

iv) स्वयंसहायता समूहों की महिला सदस्यों में से 11,000 बैंक सखियां और 773 बैंक मित्रों को बैंकिंग कॉरेस्पांडेंट के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

v) गैर–रासायनिक कृषि–पारिस्थितिकीय पहल के तहत 33 लाख महिला किसानों को मदद दी गई।

vi) 86,000 उत्पादक समूह और 126 कृषि उत्पादक कंपनियों की स्थापना।

vii) ग्रामीण परिवहन के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत महिला ड्राइवरों द्वारा 449 वाहन चलाए जा रहे हैं।

viii) बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान आदि के दूरदराज इलाकों में महिला स्वयंसहायता समूहों की 4000 सदस्यों ने हिस्से–पुर्जे जोड़कर 9 लाख से ज्यादा सोलर लैंप बनाए।

ix) 6,000 से अधिक लोगों को तकनीशियन के रूप में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान कर प्रमाणपत्र दिए गए।

x) पिछले 4 साल में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत 3.54 लाख उम्मीदवारों को मजदूरी वाले रोजगार दिए गए और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देकर 12.65 लाख उम्मीदवारों को स्वरोजगार प्रदान किया गया।

xi) आवास कार्यक्रम के अंतर्गत 10,949 ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी) के आमदनी और रोजगार पर पड़ने वाले असर का आकलन करने को कहा गया। संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार ''वर्ष 2016–17 से बनाए जा चुके और बनाए जा रहे मकानों के बारे में आवास सॉफ्ट और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का उपयोग करके अनुमान लगाया गया है कि इस योजना से 52.47 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराए गए। दोनों वर्षों में इसमें से 20.85 करोड़ दिहाड़ियां कुशल मजदूरों के लिए और शेष 31.62 करोड़ अकुशल मजदूरों के लिए थीं''।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रमुख कार्यक्रम है और पिछले 4 साल में 1.69 लाख किमी. सड़कों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2011–12 से साल भर में बनी सड़कों की औसत लंबाई तालिका–4 में प्रदर्शित की गई है।

सड़क निर्माण कार्यक्रम में जोरदार बढ़ोतरी से भी रोजगार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण की कुल लागत का औसतन एक चौथाई कुशल, अर्ध–कुशल और अकुशल दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार देने में खर्च होता है। स्पष्ट है कि इस दौरान इनकी भी आमदनी और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र सरकार का वार्षिक आवंटन पिछले तीन साल में बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे राज्यों के हिस्से में भी 8,000 करोड़ रुपये से 9,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले तीन वर्षों में अकेले ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 70,000 करोड़ रुपये से 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। ज़ाहिर है कि इस राशि का 25 प्रतिशत प्रत्यक्ष रोजगार पर खर्च हुआ होगा। इससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलने का संकेत मिलता है और इसका ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी और रोजगार पर भी निश्चित रूप से असर पड़ा होगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) आजीविका की सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें इस दौरान पूरी पारदर्शिता दिखाई दी है।

- मनरेगा को कारगर तरीके से लागू करने में केंद्र सरकार की वचनबद्धता इसके लिए बजट आवंटन में लगातार बढ़ोतरी में परिलक्षित होती है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए बजट आवंटन

तालिका–4 : प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक दिन में बनी सड़कों की कुल औसत लंबाई

वर्ष	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत एक दिन में बनी सड़कों की कुल औसत लंबाई (कि.मी. में)
2011-12	85
2012-13	66
2013-14	69
2014-15	100
2015-16	100
2016-17	130
2017-18	134

55,167 करोड़ रुपये रहा जो इस कार्यक्रम के लागू होने के बाद से सबसे अधिक है।

वर्ष	बजट आवंटन (करोड़ रु.)
2014-15	33000
2015-16	37346
2016-17	48220
2017-18	55167

- धनराशि का उपयोग : धनराशि के उपयोग में (जिसमें केंद्र और राज्य, दोनों का हिस्सा शामिल है) भी पिछले वित्त वर्षों की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2017–18 में कुल खर्च करीब 64,288 करोड़ रुपये (अस्थायी) है जो शुरुआत के समय से ही सबसे अधिक है।
- पिछले तीन साल में मनरेगा के तहत सालाना 235 करोड़ दिहाड़ियों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। यह पहले से अधिकांश वर्षों की तुलना में कहीं अधिक है और इससे यह संकेत मिलता है कि टिकाऊ परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत लाभ योजनाओं पर जोर दिए जाने से मनरेगा कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ी है। नीचे दी गई तालिका में मनरेगा की टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से आजीविका की सुरक्षा की ऊंची मांग की पुष्टि होती है।

वर्ष	काम की दिहाड़ियां (करोड़ रुपये)
2014-15	166.21
2015-16	235.14
2016-17	235.6
2017-18	234.3

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का विस्तार करके 3 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से गेहूं और 2 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से चावल उपलब्ध कराने से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली है। इस अवधि में खाद्य पदार्थों के मूल्यों में मामूली बढ़ोतरी होने से कृषि मजदूरों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी मामूली तौर पर बढ़ा है, क्योंकि कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना करने में जिन जिंसों और सेवाओं को शामिल किया जाता है उनमें काफी बड़ा हिस्सा खाद्य पदार्थों का होता है। कृषि मजदूरों की मजदूरी की दरें तय करते समय चावल और गेहूं पर सब्सिडी तथा गरीब परिवारों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न की उपलब्धता का ध्यान रखना जरूरी है। वास्तविक मजदूरी में मामूली बढ़ोतरी से ही क्रयशक्ति बढ़ जाती है क्योंकि चावल और गेहूं जैसी महंगी वस्तुओं की कारगर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारी सब्सिडी दी जाती है।

ग्रामीण गरीबी सही अर्थों में बहुआयामी है और व्यापक प्रभाव के लिए इन सभी आयामों पर एक साथ कार्रवाई करना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली विभिन्न पहलों को समेकित करने के प्रयास किए गए हैं ताकि गरीब ग्रामीण परिवारों की दशा में सही अर्थों में बदलाव लाकर खुशहाली लाई जा सके। इन सब कदमों के तहत पारिवारिक गरीबी और क्षेत्रीय गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इसमें योगदान करने वाले घटक इस प्रकार हैं:

परिवारिक गरीबी

- शिक्षा और कौशल की कमी
- अल्पपोषण और बीमारी
- रोजगार के अवसरों की कमी
- परिसंपत्तियों की कमी
- सुरक्षित आवासों की कमी
- सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच
- बिचौलियों के चंगुल/भ्रष्टाचार/सूदखोरी
- सामाजिक पूंजी–महिला समूहों/युवाओं/गरीब परिवारों के समूहों का अभाव

भौगोलिक गरीबी

- उत्पादों का कम मूल्य – आपदाएं
- हिंसा/अपराध
- बारानी खेती/मानसून की अनिश्चितता
- बुनियादी ढांचे – सड़क, बिजली, इंटरनेट की कमी
- बाजारों और रोजगार तक पहुंच की कमी
- गैर–कृषि रोजगार की कमी

इन आंकड़ों और उपायों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान के लिए पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और महिला स्वयंसहायता समूहों को अधिक बड़े पैमाने पर बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। इन सब उपायों से आमदनी के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि आजीविका में विविधता आई है और उसका विकास हुआ है। इस विविधता को दर्शाने वाले कुछ उदाहरण ऊपर बताए जा चुके हैं। कुल मिलाकर ग्रामीण गरीबी की चुनौतियों पर उपरोक्त वर्णित उपायों के जरिए कारगर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है।

इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट (आई.आर.एम.ए.), आणंद के मूल्यांकन अध्ययनों से भी उन गांवों में आमदनी, उत्पादक परिसंपत्तियां और उद्यमों में बढ़ोतरी की पुष्टि होती है जहां दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयंसहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इसी तरह आर्थिक विकास संस्थान द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कराए गए जल–संरक्षण कार्यों के अध्ययन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आमदनी, उत्पादकता, क्षेत्रफल और भूमिगत जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की बढ़ोतरी से निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

(लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सचिव हैं।)
ई–मेल : secyrd@nic.in

बदलते गांव, संवरता जीवन

–डॉ. जगदीप सक्सेना

गांव–गांव और बस्ती–बस्ती को जोड़ती सड़कें अब हरित तकनीकों से बनाई जा रही हैं। घरों का निर्माण भी नई पर्यावरण–अनुकूल तकनीकों और आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। गांव के युवा हुनरमंद बनकर नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। महिलाएं भी अपने कौशल से गरीबी को मात देकर आर्थिक उत्थान की राह पर आगे बढ़ चली हैं। नए उपायों ने किसानों की आमदनी में वृद्धि और जीवन में समृद्धि के द्वार खोल दिए हैं। अब वह अन्नदाता से ऊर्जादाता बनने की डगर पर चल पड़ा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच ने गांवों को सूचना–संपन्न बना दिया है।

नए कदम, नया सफर तय करते हुए हमारे गांव आज विकास की उस डगर पर चल पड़े हैं, जिसका सपना कभी महात्मा गांधी ने देखा था। आत्मनिर्भर, विकसित, सुविधा–संपन्न और समृद्ध गांव, जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अभिमान हो। भारत सरकार इस सपने को साकार करने के साथ संवार भी रही है। अब केवल गांवों तक बिजली पहुंचाना मकसद नहीं, बल्कि हर घर को रोशन करना मंज़िल है। हाल में 'हर घर नल से जल' का बीड़ा उठाया गया है। खुले में शौच से मुक्ति के साथ अब गांवों में कचरा प्रबंधन की लहर भी चल पड़ी है।

कौशल के साथ आर्थिक विकास

एक चीनी कहावत है, 'भूखे को मछली मत दो, उसे मछली पकड़ना सिखाओ'। इस पर अमल करते हुए अब गांवों से गरीबी दूर करने के लिए युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है। यह एक ऐसी पहल है, जिसमें सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाती है, यानी उन्हें रोज़गार के लिए तैयार करती है, और फिर संबंधित उद्योग में उन्हें रोजगार दिलाने में सहायता भी करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत देशभर में लगभग 1100 प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं, जो 330 व्यवसायों यानी ट्रेड्स में आधुनिक कौशल प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा अब तक 2.70 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 50 प्रतिशत उद्यमों में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। एक नई पहल करते हुए इस योजना को 'मनरेगा' से जोड़ा गया है, ताकि अकुशल श्रमिक कुशलता प्राप्त करके अपनी आय बढ़ा सकें। 'प्रोजेक्ट लाइफ' नामक इस अभिनव प्रयास के अंतर्गत कामगार परिवारों के युवाओं को निर्धारित और प्रमाणित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के अनुसार प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाया जाता है। एक अन्य विशेष पहल के अंतर्गत देशभर में ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) खोले जा रहे हैं, जिनमें कृषि संबंधित कार्यों के अलावा ग्रामीण उद्यमिता के अन्य व्यवसायों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका संचालन बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय

कुशल और पारदर्शी हुआ मनरेगा

'मनरेगा' एक व्यापक और वृहद् कार्यक्रम है जिससे करोड़ों की संख्या में कामगार और लाखों अन्य संबंधित जुड़े हैं। इन कामगारों द्वारा प्रतिवर्ष औसतन 30 लाख परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। विशाल आकार के कारण इसका पारदर्शी प्रबंधन एक चुनौती थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक नई पहल करते हुए 'नरेगा सॉफ्ट' नाम एक इंटरनेट आधारित प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की है, जिसे राष्ट्रीय सूचना–तंत्र केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से व्यवहार में लाया जा रहा है। यह एक विशाल, विस्तृत, कुशल और पारदर्शी ई–प्रणाली है, जिसका उपयोग कोई भी संबंधित किसी भी स्थान से किसी भी समय कर सकता है, और सूचना प्राप्त कर सकता है। नरेगा सॉफ्ट को आधार प्रणाली से जोड़कर लाभार्थियों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित की गई है, जिससे बोगस या डुप्लीकेट लाभार्थियों की संभावना खत्म हो गई है। करोड़ों कामगारों के जॉब कार्ड इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं। इससे गड़बड़ी की आशंका पर विराम लगा है, और काम के आवंटन तथा भुगतान की प्रणाली पारदर्शी हो गई है। 'एनई–एफएमएस' के नाम से इस पोर्टल पर एक मॉड्यूल बनाया गया है, जो कामगारों को ऑनलाइन और समयबद्ध भुगतान निश्चित करता है। इसके तहत भुगतान का आदेश जारी होने के बाद लाभार्थी के बैंक या डाकघर के बचत खाते में एक निश्चित सीमा के अंदर भुगतान राशि जमा हो जाती है। काम के दोहराव और गड़बड़ी की संभावना को खत्म करने के लिए पोर्टल पर 'जियो मनरेगा' नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है, जो मनरेगा के अंतर्गत तैयार परिसंपत्तियों की 'जियो टैगिंग' करता है। इससे भविष्य की कार्य संबंधी योजनाएं बनाने में कुशलता आई है। 'जन मनरेगा' नामक एक अन्य एप्लीकेशन देश के नागरिकों को सीधे 'मनरेगा' के कार्यस्थलों से जोड़ती है। नागरिक अपने क्षेत्र के कार्यों पर निगाह रख सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। सभी संबंधित सूचनाओं के पोर्टल पर उपलब्ध होने से ग्राम–पंचायतों का काम भी सरल और सुविधाजनक हो गया है। अब ग्राम पंचायतें अपने बजट का उपयोग अधिक तर्कसंगत और तत्परता के साथ कर रही हैं। इस पोर्टल पर एक 'एलर्ट' मॉड्यूल भी है, जो काम लागू करने वाली एजेंसियों को किसी भी अनियमितता के लिए सचेत करती हैं। 'मनरेगा' में प्रस्तावित कामों को तेजी से मंजूरी देने के लिए 'सिक्योर' नामक एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है, जो मानक दरों के अनुसार काम के अनुमानित खर्च का आकलन करती है और इसी आधार पर मंजूरी भी दी जाती है। एक वेब लिंक के जरिए 'नरेगा सॉफ्ट' को 'सिक्योर' से जोड़ा गया है। पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं ने 'मनरेगा' को चुस्त–दुरुस्त, कुशल और पारदर्शी बना दिया है।

और राज्य सरकार इसमें साझेदार हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को हुनरमंद बनाकर और वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है, परंतु कुछ युवा इस प्रशिक्षण के बाद विभिन्न उद्यमों में रोजगार भी प्राप्त करते हैं। ग्रामीण युवा प्रशिक्षु के रूप में उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान वजीफ़ा यानी स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जिसमें भारत सरकार साझेदारी करती है।

कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ाने के लिए 'स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम' भी शुरू किया गया है। देश की शीर्षस्थ कृषि अनुसंधान संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने अपने जिला–स्तरीय कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि–आधारित उद्यमों में लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रशिक्षण के बाद ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। उनकी प्रारंभिक चुनौतियों और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ब्लॉक–स्तर पर बैठकें की जाती हैं और सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। कुछ चुने हुए कृषि विज्ञान केंद्रों में कौशल केंद्र स्थापित करने की पहल की गई है, ताकि यह कार्य नियमित रूप से और प्रतिबद्धता के साथ चलता रहे। साथ ही, आईसीएआर के 25 संस्थानों में एग्री–बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है, जहां ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल के साथ उद्योग स्थापित करने से संबंधित सभी पहलुओं पर जागरूक किया जाता है। उन्हें कदम–दर–कदम उपयोगी सलाह देकर आगे बढ़ाया जाता है, जिससे आज देशभर में कृषि–आधारित उद्यमों/स्टार्टअप की लहर–सी चल पड़ी है। इनकी सफलता गाथाएं लाखों ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहीं हैं।

इस संदर्भ में 'एस्पायर' नामक योजना महत्वपूर्ण है, जिसे हाल में नए प्रावधानों के साथ अधिक उपयोगी बनाया गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान इसके अंतर्गत 80 आजीविका बिज़नेस इनक्यूबेटर्स और 20 टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। कुल 75,000 आकांक्षी उद्यमियों को कृषि व ग्रामीण औद्योगिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जाएगा। एक नई पहल करते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों की उपज में मूल्यवर्धन करने और संबंधित व्यवसायों के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता दी जाएगी। इसी तरह, डेयरी में सहकारी संस्थानों को बढ़ावा देने की योजना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पशु आहार, दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन जैसे व्यवसायों को सहायता मिल सके। इसी क्रम में सरकार ने 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन का प्रस्ताव भी किया है, ताकि किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल सके और कृषि लागत में भी कटौती हो।

एफपीओ के रूप में संगठित होने से किसानों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर कृषि आदान उपलब्ध होते हैं, निवेश का पूरा और कुशल उपयोग होता है तथा बाजार में उपज की प्रतिस्पर्धी कीमत प्राप्त होती है।

देश के अनेक गांवों में परंपरागत रूप से कुछ उद्योग–धंधे किए जाते हैं, जिनके लिए हुनरमंद कारीगर भी उपलब्ध हैं। यह काम पीढ़ी–दर–पीढ़ी किया जा रहा है, परंतु उचित बाजार के अभाव में ये कारीगर आज आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। इन्हें उबारने के लिए हाल में सरकार की 'स्फूर्ति' योजना को अधिक ऊर्जावान बनाया गया है। इसके लिए फिलहाल तीन व्यावसायिक क्षेत्र चुने गए हैं– बांस, शहद और खादी। इन तीनों ही क्षेत्रों में अपार व्यावसायिक संभावनाएं और हुनर उपलब्ध हैं। योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में वर्ष 2019–20 के दौरान 100 समूह यानी क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे और इनमें 50,000 कारीगरों को क्षमता विकास तथा बाजार सहायता प्रदान कर आर्थिक उद्धार की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। सही सलाह और मार्गदर्शन से उनका व्यवसाय अधिक उत्पादक, अधिक लाभकारी और सतत् रूप से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाला बनेगा। साथ ही, इससे वैज्ञानिक तथा तकनीकी सुधार भी होगा।

अन्नदाता से ऊर्जादाता

सरकार मानती हैं कि केवल कृषि पर निर्भर रहने से किसानों की आमदनी को तेजी से और सार्थक रूप से बढ़ाना कठिन है। इसलिए उनके व्यवसाय में विविधीकरण होना आवश्यक है। इस दिशा में विशेष पहल करते हुए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2019–20) में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का विचार सामने रखा। दरअसल भारत सरकार द्वारा 'किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान' (कुसुम) नाम से एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक ओर सिंचाई पंपों को डीजल/बिजली से चलाने की जगह सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सहायता दी जा रही है, तो दूसरी ओर खेतों में या बंजर भूमि में सोलर पॉवर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी और व्यावसायीकरण की राह आसान की गई है। इसके लिए समस्त तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन भी दिया जाता है। 'सोलर पॉवर प्लांट' से उत्पादित सोलर बिजली को किसान अपने घर या खेत में उपयोग कर सकता है और बची हुई बिजली को ग्रिड में बेचकर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकता है। अन्नदाता और ऊर्जादाता का यह मेल किसान को आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर है। इस तरह ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा की लहर चल सकती है, जिसका लाभ पूरे भारत को होगा, क्योंकि यह एक पर्यावरण–अनुकूल उपाय है। किसान और पर्यावरण के संदर्भ में 'ज़ीरो बजट' फार्मिंग को प्रोत्साहन देना एक नई पहल है, जिसे इस वर्ष बजट भाषण में रेखांकित किया गया। यह एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें रासायनिक उर्वरक या अन्य कृषि आदान खरीदे नहीं जाते, बल्कि इनके विकल्पों को प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता है। और जो मामूली खर्च होता है, उसकी अधिक उत्पादन के कारण भरपाई हो जाती है। इस तरह यह कम पानी, कम लागत और कम संसाधनों से अधिक उपज देने वाली प्रणाली है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में इसे बड़ी संख्या में किसानों ने अपनाया है, और इसका लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार के प्रोत्साहन से अन्य राज्यों के किसान भी इसे अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे।

देश के अनेक भागों में जल संसाधनों की उपलब्धता के कारण किसान मछली पालन को अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। इस संभावना को देखते हुए **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** प्रारंभ की गई है, परंतु इसका फायदा केवल मछली उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके जरिए मत्स्य उद्यम को विकसित करने का इरादा है। इसलिए मत्स्य उद्योग से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा और पहले से उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मछली पकड़ने के बाद के प्रसंस्करण और क्वालिटी कंट्रोल पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार मत्स्य प्रबंधन की एक पूरी रूपरेखा बना ली गई है, ताकि इससे संबंधित 'वैल्यू चेन' विकसित हो सके। पशुपालन और डेयरी में भी इसी प्रकार की सहायता से उद्यमशीलता के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है।

किसानों को आर्थिक संबल

भारत सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है, उन्हें गरीबी के संकट से उबारना चाहती है और इसके लिए संकल्पबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार की नवीनतम पहल **प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना** है। यह एक पेंशन योजना है, जिसके लिए 9 अगस्त, 2019 से किसानों का पंजीकरण शुरू हो गया है। बदले राजनीतिक परिवेश के अनुसार यह योजना जम्मू–कश्मीर और लद्दाख सहित पूरे देश में लागू की जा रही है। योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के वे सभी किसान शामिल हो सकते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है। किसानों को आयु के अनुसार निर्धारित राशि का प्रीमियम के रूप में प्रति माह भुगतान करना होगा, जिसमें उतनी ही राशि का योगदान भारत सरकार करेगी।

इसी संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में लागू **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** को अब देश के सभी छोटे–बड़े किसानों के लिए लागू कर दिया गया है। इस योजना में पहले 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में केवल छोटे किसानों को दी जाती थी जिनके पास अधिकतम 2.5 हेक्टेयर या पांच एकड़ भूमि थी। अब इसका लाभ देश के लगभग 15 करोड़ किसानों को मिलेगा। **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** को भी नई व्यवस्थाओं द्वारा अधिक 'किसान हितैषी' बनाया गया है। पहले बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजे का भुगतान करने में देर लगाती थीं, इसलिए अब एक

निश्चित समय–सीमा के बाद भुगतान करने पर कंपनी को निर्धारित ब्याज देना होगा। इसी तरह फसल काटने के बाद खेत में रखी उपज को भी 14 दिन तक के लिए बीमा के दायरे में लाया गया है। इन उपायों के कारण सीमित कृषि क्षेत्र में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। हाल में प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के लिए लागत का डेढ़ गुना–न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने से भी किसानों की आदमनी में सार्थक बदलाव आया है।

सड़क, मकान, बिजली और पानी

गांवों में उद्यमशीलता के विकास की बात हो या कृषि विकास की, या फिर आर्थिक उत्थान की, ये सभी तब कामयाब होंगे, जब गांवों में बुनियादी सुविधाएं मौजूद होंगी। इस जरूरत को समझते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अधिक कुशल और तेज बनाया गया है। आज लगभग 135 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन बनाई जा रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहले तय किया गया था कि सन् 2022 तक सभी योग्य बस्तियां पक्की सड़कों यानी ऑल वेदर रोड्स से जोड़ दी जाएंगी, परंतु अब यह लक्ष्य इसी साल पूरा करने के लिए कमर कस ली गई है। और इसका कारण यह है कि कार्य में तेजी के कारण 97 प्रतिशत योग्य बस्तियां पक्की सड़कों से जुड़ चुकी हैं। साथ ही 1.25 लाख पुरानी सड़कों के सुधार और मरम्मत के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। इस अभियान में अब एक विशेषता यह है कि सड़कों को पर्यावरण–अनुकूल हरित प्रौद्योगिकी से बनाने की पहल ने ज़ोर पकड़ लिया है। प्लास्टिक के व्यर्थ और कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी से भी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में टैराजा ड्रूम प्रौद्योगिकी भी लोकप्रिय है, जिसमें स्थानीय मिट्‌टी और एक रसायन की सहायता से पक्की सड़कें बनाई जाती हैं। हरित प्रौद्योगिकी से अब तक 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई जा चुकी हैं। सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता आंकने और उपयोगिता जानने के लिए 'मेरी सड़क' नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जहां लोग अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव दे सकते हैं। सड़कों के साथ हर परिवार के सिर पर एक पक्की छत यानी घर का सपना पूरा करने का बीड़ा भी उठाया गया है। प्रधानमंत्री स्वयं यह मानते हैं कि जब घर होगा तो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए परिवार का हर सदस्य आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेगा, जिससे आर्थिक विकास को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत सन् 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के पास अपना एक पक्का घर होने का लक्ष्य तय किया गया है। सड़कों की तरह मकान बनाने में भी पर्यावरण–अनुकूल सामग्रियों और तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। सन् 2019–20 से 2021–22 तक 1.95 करोड़ घर बनाने और आवंटित करने का लक्ष्य निर्धारित है। प्रत्येक घर का नक्शा ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप तय किया गया है जिनमें शौचालय, बिजली का कनेक्शन और एलपीजी कनेक्शन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई है।

घर घर में हो बिजली

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत देश के सभी योग्य गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन लक्ष्य यह है कि इस वर्ष गांव के हर घर में बिजली का कनेक्शन हो। इसके लिए 'प्रधानमंत्री हर घर सहज बिजली योजना' यानी 'सौभाग्य' लागू की गई है, जिसमें गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन निःशुल्क दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज ग्रामीण भारत का हर वह घर बिजली से रोशन है, जो अपने घर में बिजली की रोशनी चाहता था। अब सरकार प्रयास कर रही है कि हर घर में चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध हो। दूरदराज के और दुर्गम इलाकों में स्थित गांवों में, जहां परंपरागत बिजली पहुंचाना तकनीकी रूप से व्यावहारिक नहीं है, ऊर्जा के गैर–परंपरागत और नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचने से

सुविधा संपन्न होते गांव

भारत सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए एक व्यापक मिशन शुरू किया गया है, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसके तहत ग्राम पंचायतों के समूह यानी 'क्लस्टर्स' को आर्थिक रूप से संपन्न और सुविधाओं से युक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देशभर में कुल 300 क्लस्टर विकसित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 289 की समेकित कार्ययोजना स्वीकृत की जा चुकी है। एक क्लस्टर में 25–30 ग्राम पंचायतें शामिल की गईं हैं। मैदानी और तटीय क्षेत्रों के लिए इन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 25,000 से 50,000 तक हो सकती है, जबकि पर्वतीय, रेगिस्तानी या आदिवासी क्षेत्रों के लिए 5,000 से 15,000 की जनसंख्या निर्धारित की गई है। 'स्मार्ट' गांव बनाने के लिए प्रत्येक गांव में मुख्य रूप से तीन प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। पहला, व्यावसायिक कार्यकलापों द्वारा आर्थिक गातिविधियों को प्रोत्साहन; दूसरा, कौशल विकास द्वारा स्थानीय–स्तर पर उद्यमिता विकास; और तीसरा, उपर्युक्त गतिविधियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास। इसके साथ ही समूह के गांवों में पर्यटन और तीर्थयात्राओं की संभावना के विकास पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही गतिविधियां स्थानीय–स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करती हैं। प्रत्येक 'स्मार्ट' गांव के लिए 14 कार्य चुने गए हैं; जैसे घरों में नल द्वारा पानी की सप्लाई, एलपीजी कनेक्शन/डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट सेवाएं, स्ट्रीट लाइट्स साफ–सफाई और कचरे का उचित प्रबंधन, सार्वजनिक यातायात प्रणाली और सड़कें आदि। साथ ही स्कूलों को उन्नत कर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का भी प्रावधान किया गया है। इन सभी गतिविधियों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य–स्तर पर संस्थानात्मक पहल भी की जा रही है। सन् 2020 तक के लिए लागू इस योजना से स्थानीय और क्षेत्रीय–स्तर पर विकास होगा, जिससे क्षेत्रीय सामाजिक–आर्थिक असंतुलन दूर करने में सहायता मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का पलायन रोकने में भी यह योजना कारगर और मददगार सिद्ध होगी।

ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है, जीवन–स्तर में सुधार हुआ है और छात्रों तथा कारीगरों को नए अवसर मिले हैं। उज्ज्वला योजना ने सात करोड़ ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देकर ग्रामीण विकास की एक अद्भुत मिसाल पेश की है। जलाऊ लकड़ी यानी ईंधन की बचत के साथ महिलाओं को ईंधन इकट्ठा करने की मशक्कत से छुटकारा मिला है और हानिकारक धुएं से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है।

हर घर नल में जल

पीने के पानी की बात करें तो कुछ गांवों में आज भी मुख्य रूप से महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए हर रोज कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ता है। परंतु हाल में जलशक्ति अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने सन् 2024 तक ग्रामीण भारत में 'हर घर जल' उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। प्रयास यह है कि हर ग्रामीण परिवार में नल लगा हो, जिससे पीने का पानी प्राप्त हो। इससे ग्रामीण विकास की सफलता की कहानियों में एक नया आयाम जुड़ेगा, जो ऐतिहासिक होगा।

महिलाओं ने दी गरीबी को मात

एक जाना–माना सामाजिक सत्य है कि यदि परिवार की महिला/गृहिणी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सक्रिय हो जाए तो परिवार आर्थिक सुधार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी सोच के आधार पर 'दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (आजीविका के नाम से प्रसिद्ध) की शुरुआत की गई, जो आज महिला शक्ति द्वारा ग्रामीण उत्थान की अद्भुत मिसाल बन गई है। इसके अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों (एसएचजी) के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है। उन्हें किसी एक कार्य के लिए कौशल प्रदान किया जाता है, जिसमें आमदनी की संभावना हो। यह कार्य कृषि, डेयरी, पशुपालन, शहद उत्पादन, मशरूम उत्पादन आदि से संबंधित हो सकता है या कोई अन्य ग्रामीण व्यवसाय भी हो सकता है। कुशलता प्राप्त करने के उपरांत उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है। व्यवसाय को भली–भांति चलाने के अलावा एसएचजी के प्रबंधन की जानकारी भी दी जाती है। यह समस्त कार्य एक सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) की निगरानी में होता है, जो कोई अनुभवी महिला होती है। जल्दी ही समूह अपने व्यवसाय में निपुण होकर आमदनी करने लगता है, जिसके एक भाग से बैंक का ऋण चुकाया जाता है और आर्थिक लाभ का तय दिशा–निर्देश के अनुसार आपस में वितरण किया जाता है। इस प्रकार सभी महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार की आजीविका में योगदान करती हैं। ऐसे ही किसी अनुभवी समूह की महिला किसी अन्य समूह के लिए सीआरपी का काम करती है। इस तरह यह सिलसिला कड़ी–दर–कड़ी चलता हुआ महिलाओं और उनके परिवारों को गरीबी से उबार रहा है। इस मिशन के अंतर्गत देश की लगभग पांच करोड़ गरीब महिलाएं लगभग 40 लाख स्वयंसहायता समूहों के रूप में संगठित होकर गरीबी से उबर चुकी हैं। उनके अपने व्यावसायिक उद्यम हैं, जो देशभर में सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं।

भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय अब अनेक नई पहलों के साथ गांधीजी के गांवों का सपना साकार कर रहा है। वर्षों पहले दीनदयाल उपाध्याय ने ग्रामीण विकास के लिए जो महती कार्य हाथ में लिया था, वह अब तेज रफ्तार से संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास की नई पहल एक नए भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

(लेखक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में प्रधान संपादक रह चुके हैं।)

ई–मेल : jagdeepsaxena@yahoo.com

कृषि विकास और किसानों की समृद्धि के लिए पहल

–डॉ. वीरेन्द्र कुमार

आज हम उन्नत कृषि तकनीकों व सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सफल हो गए हैं। साथ ही, देश 284.83 मिलियन टन उत्पादन के साथ खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। देश में खेती के लिए ज़मीन भी कम होती जा रही है। ऐसे में खेती की स्मार्ट तकनीकों का भविष्य उज्जवल है। डिजिटल तकनीक कृषि गतिविधियों को आधुनिक बनाने और व्यवस्थित करने में परिवर्तनकारी भूमिका निभाने को तैयार है। मौसम, बाजार, पौध सुरक्षा, इनपुट, कृषि मशीनरी और मृदा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में किसानों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है। आज देश में 713 कृषि विज्ञान केंद्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हमारे देश की मूल अर्थव्यवस्था और यहां की अधिकांश आबादी कृषि पर टिकी हुई है। कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का विकास और उन्नति किसी भी राष्ट्र या समाज की प्रगति का सूचक है। हाल ही में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। आज देश भुखमरी व कुपोषण जैसी समस्याओं पर भी विजय की ओर बढ़ रहा है। भारत के पास दुनिया में 10वां सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि संसाधन है। देश में दुनिया की 60 में से 46 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत वैश्विक–स्तर पर मसालों, दालों, दूध, चाय, काजू, आम, केला और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही गेहूं, चावल, फलों और सब्जियों, गन्ना, कपास और तिलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश से बासमती धान के रिकॉर्ड निर्यात से बासमती उगाने वाले प्रमुख राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आज हम उन्नत कृषि तकनीकों व सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सफल हो गए हैं। साथ ही, देश 284.83 मिलियन टन के साथ खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। दलहन उत्पादन में भी भारत ने लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। भारत में खाद्य तेलों की मांग को पूरा करने के लिए सरसों, मूंगफली, कुसुम, सोयाबीन व सूरजमुखी प्रमुख फसलें हैं। देश में खेती के लिए ज़मीन भी कम होती जा रही है। ऐसे में खेती की स्मार्ट तकनीकों का भविष्य उज्ज्वल है। देश में उपभोक्ताओं के बीच कई प्रकार के आयातित खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। इस मांग को पूरा करने के लिए वैज्ञानिकों ने खाद्यान्नों, दलहनों, तिलहनों और सब्जियों की कई उन्नत किस्मों, वैज्ञानिक तकनीकियों व नवाचारों को विकसित किया है। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने सेलाक कोटिंग तकनीक विकसित की है जो सब्जियों की भंडारण

अवधि को बढ़ाता है। साथ ही, इससे परिवहन के दौरान कम से कम क्षति होती है। मधुमक्खी पालन के माध्यम से गुणवत्तायुक्त शहद का उत्पादन और उससे किसानों को होने वाली आमदनी के साथ–साथ फसल उत्पादन के अन्य लाभ भी होते हैं। पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने एवं किसानों की आय बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक तकनीक से सब्जी उत्पादन करने पर ज़ोर दिया जा रहा है। कृषि के विविधिकरण के साथ–साथ सब्जियों की खेती द्वारा किसान कम समय और कम लागत में अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। आज देश में 713 कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों, सरकार और किसानों के बीच सेतु का काम कर रहे हैं जबकि कृषि अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का काम करते हैं।

किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस संबंध में फसल बीमा योजना अभूतपूर्व है। इस योजना के तहत इस वर्ष 14,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। सभी मौसमों में प्रत्येक फसल के लिए बीमा योजना का लाभ उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार ने आवश्यकतानुसार खेतों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की है। बेहतर मृदा उपजाऊपन के लिए किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं। ई–नाम के द्वारा सभी कृषि बाजारों को आपस में जोड़ दिया गया है। इससे किसान अपने फसल उत्पादों को बिचौलियों के चंगुल से बचा सकते हैं जिससे किसान अपनी फसलों को अच्छे मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों को खेती की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन ने अलग से 'किसान चैनल' की शुरुआत की है। रेडियो पर भी किसान चैनल लाने की आवश्यकता है। साथ ही, गांवों, गली–कूचों तथा छोटे कस्बों तक पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, यूरिया की नीम कोटिंग करने का सराहनीय काम किया गया है। पिछले कई वर्षों में किसानों की हर समस्या के लिए समग्र रूप से प्रयास किए गए। इसके लिए सरकार गोदामों का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रीजरेटर वैन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, समय पर ऋण और बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश में लगी हुई है। वित्त वर्ष 2018–19 में दो हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस वर्ष इसका दायरा बढ़ाकर इसमें सभी किसानों को शामिल किया गया है। इस योजना में दी जाने वाली वार्षिक राशि 6000 रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान परिवार देने का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 14.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। यह एक सराहनीय योजना है जिसमें सरकार ने सीधे किसानों के खातों में नकद हस्तांतरण किया है। इससे किसान फसली मौसम में बीज व खाद जैसी जरूरी चीजें खरीद कर फसलों की समय पर बुवाई कर सकेंगे।

किसानों के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं

1. परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत
2. सॉयल हेल्थ कार्ड योजना
3. यूरिया बोरी की क्षमता 50 से घटाकर 45 की गई
4. राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना, गंगटोक, सिक्किम
5. शत–प्रतिशत नीमलेपित यूरिया की शुरुआत
6. एकीकृत पोषण प्रबंधन पर जोर
7. किसानों को समय पर यूरिया की आपूर्ति
8. सॉयल टेस्ट फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मीटर (पूसा एसटीएफआर मीटर) का आविष्कार
9. फसलों के समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी
10. पराली प्रबंधन मशीनों का विकास

किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम

स्थानीय मौसम की जानकारी

वर्ष 2018 में उत्तर भारत में आंधी–तूफान, बेमौसम वर्षा होने और ओले पड़ने से रबी फसलों की कटाई के समय जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर और आम की उपज को काफी नुकसान पहुंचा था। इससे पहले ही परेशानियों का सामना कर रहे किसानों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। मौसम की इस चाल से रबी फसलों को काफी नुकसान हुआ था। पहले भी कभी सूखा और कभी बेमौसम वर्षा से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता रहता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) सन् 2020 तक देश के 660 जिलों में सभी 6,500 ब्लॉकों में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान जारी करने के लिए तेज गति से काम कर रहा है। ऐसा होने से देश के 9.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता को बढ़ाना और कृषि सलाहकार सेवाओं (एएएस) को अधिक उपयोगी बनाना है। यहां यह बताना उचित होगा कि वर्तमान में आईएमडी जिला–स्तरीय मौसम पूर्वानुमान जारी करता है। आईएमडी के पास मौसम–आधारित सलाह के लिए जिला–स्तर पर 130 एग्रोमेट फील्ड इकाइयों का एक नेटवर्क है। देश के 530 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में 'ग्रामीण कृषि सेवा केंद्र' के तहत ऐसी इकाइयों को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब तक 4 करोड़ किसान एसएमएस और एम किसान पोर्टल के माध्यम से जिला–स्तरीय मौसम पूर्वानुमान प्राप्त कर रहे है। जबकि 2020 तक 9.5 करोड़ किसानों को ब्लॉक–स्तर पर सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम पूर्वानुमान से किसान भविष्य में आने वाले जोखिमों को कम कर सकते हैं।

डिजिटल तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आय

बदलते परिवेश में ग्रामीण भारत का रुझान डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ता जा रहा है। डिजिटल तकनीक का उपयोग कर 2022 तक किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। पिछले कई वर्षों में यू ट्यूब एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है, जहां

से किसान खेती की नई–नई तकनीक सीख रहे हैं। आज गांव में प्रायः सबके पास स्मार्ट फोन हैं। इसीलिए खेती–किसानी से जुड़े वीडियो खूब देखे जा रहे हैं। डिजिटल तकनीक कृषि गतिविधियों को आधुनिक बनाने और व्यवस्थित करने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाने को तैयार है। योजनाओं की सफलता के लिए बिग डाटा एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों की तैनाती महत्वपूर्ण है। मौसम, बाजार, पौध सुरक्षा, इनपुट, कृषि मशीनरी और मृदा स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में किसानों को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बताया जा रहा है। आज देश में 713 कृषि विज्ञान केंद्र इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा, किसानों को केंद्रित प्रचार अभियानों, किसान कॉल सेंटरों, कृषि क्लीनिक और उद्यमियों के कृषि व्यवसाय केंद्रों, कृषि मेलों, प्रदर्शनियों और किसान एसएमएस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है।

गुणवत्ता संवर्धन द्वारा

भारत में अधिकांश कृषि उत्पाद बिना प्रसंस्करण के उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण की भूमिका बढ़ती जा रही है। यदि इसके द्वारा मूल्य–संवर्धन किया जाए तो किसानों को कृषि उत्पाद का अधिक मूल्य मिलेगा। सरकार द्वारा 'प्रधनमंत्री किसान संपदा योजना' शुरू की गई है जिसका लक्ष्य भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत देश में फूड पार्क, शीतगृह और अन्य खाद्य प्रसंस्करण संबंधित आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। देश के कई भागों में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। इससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेगा फूड पार्क योजना का मूल उद्देश्य होता है कि किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ रिटेल कारोबारियों को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

उत्पादन लागत को कम करके

इस संबंध में किसानों को खेती की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत है। मृदा में पोषक तत्वों की सही जानकारी के अभाव में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु मृदा उर्वरता बनाए रखने और पैदावार बढ़ाने के लिए इन दिनों मिट्टी की जांच पर विशेष जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार 'स्वस्थ धरा खेत हरा' के लक्ष्य के साथ देश के प्रत्येक किसान को 'सॉयल हेल्थ कार्ड' उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चला रही है। सॉयल हेल्थ कार्ड में मृदा के विभिन्न मानकों जैसे कार्बनिक कार्बन, पी.एच. मान, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है। यानी मृदा में जिस तरह की समस्या हो, उसी तरह का निदान किया जाता है। जिसके अनुसार किसान उचित मात्रा में खाद व उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। परिणामस्वरूप किसानों को आर्थिक लाभ व अच्छी पैदावार मिल सकती है।

कृषि औद्योगीकरण से

जिस तरह फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक, उन्नतशील प्रजातियां और फसल संरक्षण आवश्यक है, ठीक उसी तरह खेती में आधुनिकतम कृषि यंत्रों का प्रयोग भी अति महत्वपूर्ण है। पहले बीजों की बुवाई, पौध की रोपाई और कटाई आदि के लिए किसानों को भारी श्रम करना पड़ता था। कृषि में आधुनिक यंत्रों के प्रवेश से किसानों के शारीरिक श्रम का भार कम हुआ है। इससे लघु और सीमांत किसानों के जीवन–स्तर में सुधार आया है। आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग मानव श्रम को कम करने तथा कार्य की गुणवत्ता, समय एवं ऊर्जा की बचत के लिए होता है। आज खेती के अधिकांश काम मशीनों से किए जाते हैं। कृषि औद्योगीकरण के माध्यम से छोटे व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है व लागत मूल्य को प्रति हेक्टेयर कम किया जा सकता है। हमारे देश में आज भी लगभग 65 प्रतिशत रोजगार कृषि के माध्यम से उपलब्ध होता है। कृषि औद्योगीकरण ने खेती को और अधिक कुशल बना दिया है। फर्टी सीडडिल, थ्रेशिंग मशीन और पेडी ट्रांसप्लांटर के आविष्कार ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आजकल मजदूरों की कम उपलब्धता और उनकी

अधिक मजदूरी के कारण धान की रोपाई करने के लिए बहुत से पैडी ट्रांसप्लांटर बाजार में उपलब्ध हैं। कृषि औद्योगीकरण भारत के किसानों के आर्थिक व सामाजिक विकास एवं प्रगति को नई दिशाएं प्रदान कर रहा है।

कटाई उपरांत हानि को कम करके

देश में पर्याप्त भंडारण तथा शीतगृह की कमी के कारण प्रति वर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं। इस हानि को रोककर किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए भंडारगृह की श्रृंखला विकसित की जा रही है। सब्जियों व फलों को खराब होने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शीतगृह श्रृंखला बनाने की जरूरत है। भारत में अनाज, दलहन और तिलहन की तैयार फसलों में फसल कटने से लेकर भंडारण तक के बीच करीब 20 फीसदी फसल उत्पाद नष्ट हो जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि तैयार बीजों को बचाने के लिए समय–समय पर उपयुक्त उपायों को अपनाकर कीटों के प्रकोप को निर्धारित सीमा के नीचे रखा जाता है। इसके लिए कटाई, गहाई एवं ढुलाई में प्रयुक्त यंत्रों व साधनों को कीटमुक्त रखना चाहिए। खलिहान को भी समतल एवं साफ–सुथरा करके ही कटी फसल को वहां रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फसल कटने के बाद वर्षा या अन्य कारणों से बीज व अनाज भीगना नहीं चाहिए क्योंकि भीगे अनाज व नमीयुक्त बीजों में कीटों का प्रकोप अधिक होता है। भंडारण कक्ष एवं भंडारण पात्र को कीटमुक्त रखने हेतु समुचित उपाय करना आवश्यक होता है। आधुनिक तकनीकी, इनका सही समय पर किसानों को हस्तांतरण तथा किसानों द्वारा इनका अंगीकरण भंडारण में नुकसान की समस्या को कम कर सकता है। शोधकर्ताओं के अथक प्रयास, सरकार की ओर से सकारात्मक पहल, सहयोगी विभागों की सक्रियता, नीति निर्माताओं की सकारात्मक सोच और सबसे ऊपर किसानों की सक्रिय भागीदारी से हमने इसमें सफलता भी पाई है।

कृषि बाजार में सुधार

खेती–किसानी आज भी जोखिम भरा व्यवसाय है। किसान कटाई उपरांत अपनी उपज को कम मूल्य पर ही आसपास के बिचौलियों व व्यापारियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर होते हैं। स्थानीय बाजार में कम कीमत होने से उसे आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान हेतु ई–नाम योजना शुरू की गई है जिससे किसान अपने फसल उत्पादों को देश के किसी भी बाजार में उचित व अधिक मूल्य पर बेच सकता है। इससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा।

एकीकृत कृषि प्रणाली

खेती में लगातार एक ही प्रकार की फसलें उगाने व एक ही तरह के इनपुट का प्रयोग करने से न केवल फसलों की पैदावार में कमी आई है, बल्कि उनकी गुणवत्ता में भी गिरावट दर्ज की गई। एक फसल प्रणाली न तो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है, और न ही पारिस्थितिकी की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। अतः फार्म पर धान्य फसलों के साथ दलहन फसलें, बागवानी फसलें, पशुपालन, मछली पालन व मधुमक्खी पालन को भी अपनाना चाहिए जिससे यदि किसी वर्ष में मुख्य फसल नष्ट हो जाए तो अन्य कृषि व्यवसाय किसानों की आमदनी का स्रोत बन जाते हैं। साथ ही, इसमें प्राकृतिक संसाधनों का भी उचित उपयोग होता है। इसके अलावा, किसान मांग और आपूर्ति में होने वाले परिवर्तनों के परिणामस्वरूप मूल्यों में उतार–चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं।

जैविक खेती को बढ़ावा देकर

वर्तमान समय में जैविक खेती का वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण स्थान है। परंतु भारत में जैविक खेती के अंतर्गत एक प्रतिशत से भी कम खेती की जाती है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक मिशन की शुरुआत की गई है। आजकल शहरी क्षेत्रों के आसपास बेबीकॉर्न व स्वीटकॉर्न की जैविक खेती काफी लोकप्रिय हो रही है जो मुख्य उत्पाद के साथ–साथ पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की भी आपूर्ति करती है। इसके अलावा, सब्जियों की जैविक खेती का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की सब्जियों के दाम निश्चित रूप से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके उगाई गई सब्जियों की अपेक्षा अधिक रहते हैं। जो किसान सब्जियों की जैविक खेती कर रहे हैं, वे स्वयं पौष्टिक व संतुलित भोजन तो प्राप्त कर ही रहे हैं। साथ ही, ऐसी सब्जियों को बाजार में ऊंचे भाव बेचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। बदलते परिवेश में वैश्विक–स्तर पर आर्गेनिक खाद्य पदार्थों की निरंतर बढ़ती मांग के कारण फसलों की जैविक खेती को बढ़ावा देना नितांत आवश्यक है।

वेस्ट टू वेल्थ

देश में प्रति वर्ष 679 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पादित होते हैं जिनमें से 90 से 140 मिलियन टन फसल अवशेषों को गलत तरीके से जला दिया जाता है। फसल अवशेषों का प्रयोग खेती में करके मृदा में कार्बनिक कार्बन की मात्रा में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा, इनका उपयोग गोबर गैस तथा कम्पोस्ट खाद बनाने में किया जा सकता है। अतः किसानों को इसके लिए जागरूक करके आर्थिक रूप से सुदृढ किया जा सकता है। मशीनों से पराली प्रबंधन के लिए भी उपाय सुझाए गए हैं। इसके लिए हैप्पी सीडर, टर्बो सीडर व अन्य मशीनों का विकास किया गया है। मशीनों से पराली निस्तारण के कुछ समय बाद गोबर और मूत्र के मिश्रण से सड़ाकर अच्छी जैविक खाद बनाई जा सकती है जिसे बाजार में बेचकर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पूसा डिकंपोज़र का उपयोग किया जा रहा है। फसल अवशेषों को खेत में मिलाने से मृदा और अधिक उपजाऊ हो जाती है। इससे उत्पादन लागत के खर्च पर लगभग दो हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक की बचत की जा सकती है।

कम्प्यूटर लेवलिंग

मृदा उर्वरता प्रबंधन का आधार खेतों की समतलता है।

असमतल खेतों में बीज मिट्टी में सही गहराई पर नहीं पहुंचने से बीजों का अंकुरण एक समान रूप से नहीं हो पाता है। किसानों ने खेतों की समतलता के महत्व को समझा और खेतों को समतल करने की कई पारंपरिक विधियों को अपनाया जिसमें कुछ लाभ प्राप्त हुए। परंतु इन पारंपरिक विधियों में खेत पूर्णतया समतल नहीं हो पाते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों, लेज़र लेवलर व लेवल मास्टर के प्रयोग से खेत को पूर्णतया समतल किया जा सकता है। इस मशीन की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। किसानों के बीच यह मशीन 'कम्प्यूटर लेवलिंग' के नाम से प्रचलित है। पूर्ण समतल खेत की सिंचाई में पानी कम लगता है जिससे सिंचाई में खर्च होने वाली ऊर्जा बचती है। खेत में खाद एवं कीटनाशकों का फैलाव समान रूप से होता है जिससे मृदा की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार होता है।

शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाकर

हमारे देश की कुल 143 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि का लगभग 55 प्रतिशत वर्षा–आधारित तथा बरानी खेती के अंतर्गत आता है। देश में अधिकांश फसलें वर्षा के भरोसे होती हैं। देश में वर्षा–आधारित खेती करने योग्य पर्याप्त क्षेत्रफल है। इन क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकियों मुख्यतः सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को अपनाकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली द्वारा बारानी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने 'हर खेत को पानी' के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। पीएमकेएस योजना का उद्देश्य सिंचाई के संसाधन विकसित करने के साथ–साथ वर्षा के पानी का लघु–स्तर पर जल–संचय करना तथा जल का वितरण करना है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। ड्रिप सिंचाई उन क्षेत्रों में अधिक उपयुक्त है जहां जल की कमी होती है। खेती की ज़मीन असमतल और सिंचाई प्रक्रिया महंगी होती है। अतः इस सिंचाई प्रणाली में अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। आजकल ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग मुख्यतः सब्जियों, फूलों और फलों की खेती में हो रहा है। इसके अलावा, इस तकनीक का मुख्य लाभ पॉलीहाउस व ग्रीनहाउस वाले किसान उठा रहे हैं।

कृषि वानिकी

कृषि वानिकी भूमि प्रबंधन की ऐसी पद्धति है, जिसके अंतर्गत एक ही भूखंड पर फसलों के साथ बहु–उद्देशीय पेड़ों–झाड़ियों के उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन को भी लगातार या क्रमबद्ध तरीकों से किया जाता है। इससे न केवल भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाता है, बल्कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी, सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। कृषि वानिकी से न केवल खाद्यान्नों, चारा, ईंधन,फलों, सब्जियों व लकड़ी का उत्पादन बढ़ता है, बल्कि भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र से होने वाली आय में भी वृद्धि होती है जो अंततः जैव विविधता को बढ़ावा देने के साथ–साथ एक सुदृढ़ एवं स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करता है। देश के कई क्षेत्रों में जल व वायु से मृदाक्षरण होता रहता है। अतः कृषि वानिकी मिशन के अंतर्गत 'मेड़ पर पेड़' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो सकेगी। देश में कुल भूमि का आधे से अधिक भाग जल व वायुक्षरण से प्रभावित है। इस समस्या को कृषि वानिकी द्वारा काफी हद तक कम किया जा सकता है। फसलों के साथ वृक्ष लगाने से मृदा की जल रोकने एवं जल सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। अतः कृषि वानिकी मृदा संरक्षण और उसके उपजाऊपन में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है।

(लेखक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

ई–मेल : v.kumardhama@gmail.com

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए पंजीयन शुरू

कृषि मंत्री ने किसानों से पेंशन योजना में पंजीकरण कराने का आग्रह किया

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 9 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक संवाद्दाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए। साथ में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी हैं।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के लिए 9 अगस्त, 2019 से पंजीयन की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एक संवाद्दाता सम्मेलन में यह घोषणा की। उन्होंने देश के किसानों से वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल होने की अपील की। योजना से देश के छोटे व सीमांत किसानों का जीवन बेहतर होगा। प्रक्रिया से संबंधित निर्देश राज्यों के साथ साझा किए जा चुके हैं। कृषि सचिव श्री संजय अग्रवाल ने इस संबंध में वीडिया कांफ्रेंस के जरिए लोगों से बात की।

श्री तोमर ने कहा कि योजना स्वैच्छिक और योगदान आधारित है। 18 से 40 आयु वर्ग के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 60 साल की आयु के पश्चात् किसानों को 3000 रुपये प्रति महीने पेंशन देने का प्रावधान है। किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति महीने का योगदान देना होगा। योजना से जुड़ने के समय उनकी आयु के आधार पर धनराशि का निर्धारण किया जाएगा। किसान द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर की धनराशि का योगदान केंद्र सरकार करेगी। पति और पत्नी भी अलग–अलग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम को पेंशन कोष का फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। निगम पेंशन भुगतान के लिए जवाबदेह होगा।

श्री तोमर ने कहा कि इस योजना के योगदानकर्ता की मृत्यु होने पर उसकी पति/पत्नी शेष योगदान देकर योजना को जारी रख सकते हैं और पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि पति/पत्नी योजना को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो ब्याज सहित कुल योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि पति या पत्नी नहीं हैं तो नामित व्यक्ति को ब्याज सहित योगदान राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि अवकाश प्राप्ति की तारीख के पश्चात लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन धनराशि का 50 प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यदि लाभार्थी कम से कम 5 साल तक नियमित योगदान देते हैं और इसके बाद योजना को छोड़ना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एलआईसी बैंक की बचत खाता ब्याज दर के आधार पर ब्याज सहित धनराशि का भुगतान करेगी।

पीएम किसान योजना में मिलने वाली धनराशि को किसान सीधे पेंशन योजना की योगदान राशि के रूप में भुगतान कर सकते हैं। यदि नियमित भुगतान में विलंब होता है या अल्प–समय के लिए भुगतान रूक जाता है तो किसान ब्याज के साथ संपूर्ण पिछले बकाये का भुगतान कर सकते हैं। साझा सेवा केंद्रों के जरिए इस योजना का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीयन निःशुल्क है।

श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ लाभार्थियों का लक्ष्य इस वर्ष हासिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत अभी तक 5,88,77,194 तथा 3,40,93,837 किसान परिवारों को क्रमशः पहली और दूसरी किस्त प्राप्त हुई है।

ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य तथा आगे की राह

–डॉ. चंद्रकांत लहारिया

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले दो दशकों में, विशेषतौर से 2002 से 2017 के बीच, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिहाज से स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। भारत की आज़ादी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में यह पहला प्रमुख प्रणालीगत सुधार का दौर माना जा सकता है। ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में 'ज्यादा, बेहतर, अधिक तेज और लगातार' प्रयास की नीति से इनमें और सुधार संभव है। आज नीतियों पर पहले के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से अमल किया जा रहा है और इनमें नई पहलों को जोड़ा जा रहा हैं। साथ ही, इन सब प्रयासों को चिरस्थायी बनाने के लिए भी लगातार प्रयासों की जरूरत रहेगी।

1947 में आज़ादी मिलने के बाद से भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई कदम उठाए है। ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रमुख प्रयास के तहत देश के पहले कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना नज़फगढ़ (दिल्ली), पूनामल्लै (तमिलनाडु) और सिंगुर (पश्चिम बंगाल) में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत 1950 के दशक के मध्य में की गई। इसके बाद के वर्षों में भी ग्रामीण भारत सरकारी प्रयासों के केंद्र में बना रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005), राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के कुछ प्रस्तावों पर अमल का ही कार्यक्रम था। इन नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में की गई पहलों से शुरुआत करने के बाद भारत ने कई मोर्चों पर शानदार कामयाबी हासिल की। (तालिका–1)। आज जहां इन प्रयासों की सराहना और प्रशस्ति करना आवश्यक है, वहीं भारत को मौजूदा चुनौतियों का जायज़ा लेने और इनसे निपटने के प्रयास करने की भी आवश्यकता है ताकि देश एक स्वस्थ राष्ट्र बन सके। इस लेख में 2002 से 2017 तक स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहलों और कामयाबियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही, इसमें हाल के (2017–19) घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए 2030 तक सभी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने के उद्देश्य से भारत के लिए तेजी से अमल करने लायक कुछ कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी यही उपाय सुझाए गए हैं और हाल में प्रस्तुत भारत सरकार के 2019–20 के बजट में इन्हीं उपायों को अगले दशक के लिए 'विज़न इंडिया' के दस सूत्रों में से एक ''स्वस्थ भारत :

आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे'' के रूप में दोहराया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का दूसरा चरण (2017 से)

वर्ष 2017–19 में जो कुछ हुआ वह 2002–05 के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के घटनाक्रम से काफी मिलता–जुलता है। 2017 में एक महत्वपूर्ण पहल भारत की तीसरी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जारी किया जाना थी, लेकिन तब से स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य–स्तर पर कई अन्य घटनाक्रम और बहस हुई हैं। (तालिका–2)। इन कदमों ने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा को और तेज कर दिया है। जन स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए 12–15 साल के लगातार प्रयासों की जरूरत होती है। इसलिए 2017–19 में शुरू की गई कोशिशों को अभी जारी रखा जाना चाहिए ताकि देश में स्वास्थ्य देखभाल के दौर का रास्ता साफ हो सके।

तालिका–1 : स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित घटनाक्रम और भारत की उपलब्धियां (2002–17)

2002	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी–2002)
2002–03	सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस)
2005	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
2008	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
2008	जन औषधि योजना (प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में 2016 में दोबारा शुरू की गई)
2008–17	विशिष्ट लक्षित जनसंख्या के लिए राज्यों की सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएं
2010	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए उच्च–स्तरीय विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट
2011	भारत में पोलियो का अंतिम मामला
2012	भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज शुरू किए जाने के बारे में सघन बहस की शुरुआत
2013	भारत महामारी के रूप में पोलियो के प्रकोप से मुक्त देश घोषित; राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की घोषणा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नया नाम दिया गया)
2014	विश्व स्वास्थ्य संगठन का दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र पोलियो–मुक्त घोषित; सामान्य टीकाकरण बढ़ाने के लिए 'मिशन इंद्रधनुष' शुरू किया गया; राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी; भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च–प्राथमिकता वाले जिले पहचाने गए
2015	भारत ने मातृ और नवजात शिशु टिटनेस के उन्मूलन की पुष्टि की; देश यॉज की बीमारी से भी मुक्त हुआ
2015–16	भारत में संपूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में कार्यबल की रिपोर्ट
2017	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनपीएच–2017); राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम; भारत में राज्यों में बीमारियों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट

भारत की दो–तिहाई आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। राष्ट्र के समग्र विकास और देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण आबादी का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। वर्ष 2002–2017 के दौरान एक ऐसी बुनियाद तैयार हो गई है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। इससे संचारी रोगों के प्रकोप को कम करने में मदद मिली है, शिशु और मातृ मृत्यु में कमी आई है और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने राज्यों की स्वास्थ्य प्रणाली की बुनियाद को सुदृढ़ किया है। इस दौरान, स्वास्थ्य सेवाओं को सामुदायिक रूप दिया गया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी) तथा रोगी कल्याण समिति (आर.के.एस.) जैसी प्रणालियां उभरकर सामने आईं। सामुदायिक कार्रवाई से संबंधित सलाहकार दल और स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्रवाई जैसी प्रणालियों के माध्यम से इन प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप दिया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संयुक्त निधि ने कार्यक्रमों को स्थानीय–स्तर पर वित्तीय लचीलापन दिया जो बेहद जरूरी था। इससे लोक वित्त प्रबंधन के क्षेत्र में और सुधार के लिए अनुकूल माहौल भी बना।

2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के 14 साल बाद ग्रामीण भारत में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) का विशाल नेटवर्क तैयार हो गया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को जन स्वास्थ्य प्रणाली का फायदा उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है। आशा कार्यकर्ता, ऑक्जीलरी नर्स–मिडवाइफ (एएनएम) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले के मुकाबले अब बेहतर तालमेल से कार्य कर रही हैं। इन्होंने बस्ती/ग्राम–स्तर पर एक ऐसा मंच तैयार कर दिया है जो स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक व विकास संबंधी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में (जो 2013 से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो गया) खास आबादी की ओर ध्यान आकृष्ट किया और इसने स्वास्थ्य संबंधी नतीजों में सुधार लाने में योगदान किया। राष्ट्रीय शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (आरएसएसके), राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर सुरक्षा कार्यक्रम (आरकेएसके) और कायाकल्प, मेरा अस्पताल व इंडियन पब्लिक

तालिका–2 : भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी प्रमुख घटनाक्रम और प्रस्ताव (2017–19)

क.	**राष्ट्रीय–स्तर की पहलें**
2017	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति
	मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017)
	एचआईवी/एड्स अधिनियम (2017)
	राष्ट्रीय पोषण अभियान
	स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में मानवीय पूंजी में आमूल परिवर्तन के लिए नीति आयोग का 'साथ' (SATH) कार्यक्रम
2018	आयुष्मान भारत कार्यक्रम जिसके घटक हैं: (क) स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र; और (ख) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
	स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के अंतर्गत मध्य–स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल सेवाप्रदाता
	सामाजिक क्षेत्र की पहलों को प्राथमिकता देने के लिए नीति आयोग का आकांक्षी जिला कार्यक्रम
	पोषण अभियान/राष्ट्रीय पोषण मिशन
	भारत के लिए पहला राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी
	नए भारत के लिए नीति आयोग की नीतिगत योजना (2018–22)
	भारत में जनजातीय स्वास्थ्य पर कार्यबल की रिपोर्ट
2019	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) अधिनियम;
	एनएमसी अधिनियम के अंतर्गत प्रेस्क्रिप्शन (नुस्खा लिखना) अधिकार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य–प्रदाता;
	भारत का दूसरा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी
ख.	**राज्यों से संबंधित प्रमुख पहलें**
2017	केरल में परिवार स्वास्थ्य केंद्र
	कर्नाटक जन स्वास्थ्य नीति
2018	उत्तर प्रदेश राज्य स्वास्थ्य नीति (मसौदा)
	तेलंगाना में बस्ती दवाखाना की शुरुआत
2019	केरल राज्य स्वास्थ्य नीति
	भारत के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्वास्थ्य के अधिकार पर चर्चा
	आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली सुधार समिति का गठन
ग.	**हाल के नीतिगत दस्तावेज जिनका स्वास्थ्य पर अनुकूल असर पड़ सकता है।**
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017
•	प्रस्ताव है कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रमुख सेवाप्रदाता हो
•	जनसंख्या के विशेष वर्गों जैसे जनजातीय स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने का प्रावधान
•	स्वास्थ्य के सरकारी खर्च को 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत करना (जो 2014–15 में 1.15 प्रतिशत था)
•	स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का दो तिहाई या इससे अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए
•	राज्य सरकारों का स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाकर राज्य के बजट का 5 से 8 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव।
नीति आयोग की 'न्यू इंडिया' के लिए नीतिगत योजना (2018–22) में स्वास्थ्य के लिए निर्धारित क्षेत्र	
•	सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज
•	विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
•	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन; और
•	जन स्वास्थ्य देखभाल और प्रबंधन
	पोषण, लिंग, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के लिए विशिष्ट पहलें

हैल्थ स्टेंडर्ड्स (गुणवत्ता में सुधार के लिए) से यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि नवजात शिशुओं और किशोरों की ओर ध्यान दिया जाए और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो। इन पहलों से और अधिक जनसंख्या को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने में मदद मिली।

अन्य प्रमुख विशेषताओं में स्वच्छ भारत मिशन (2014); मुफ्त रसोईगैस के जरिए भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना; उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को कनेक्शन उपलब्ध कराना; समन्वित बाल विकास सेवा योजना, पोषण अभियान और पोषण जैसे स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। इन पहलों और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के अंतर्गत 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की 'हर घर नल से जल' कार्यक्रम पर ध्यान दिए जाने से स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पर और अच्छा असर पड़ सकता है।

सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में असमानताएं (तुलनात्मक) दूर करने पर भारत में काफी समय तक विशेष जोर दिया जाता रहा है। इससे पहले यह कार्य अधिकार–प्राप्त कार्रवाई समूह (ईएजी) के दायरे के अंतर्गत आता था जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुछ राज्यों को उच्च–प्राथमिकता के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में इसमें और प्रगति हुई है। यह वर्गीकरण अब अगले स्तर पर पहुंच गया है जिसमें

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जिला–स्तर पर प्रतिभागिता की जा रही है। 2014 से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उच्च–प्राथमिकता वाले जिलों का निर्धारण किया गया है और सामाजिक क्षेत्र की पहलों के लिए 2018 से आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम को अपनाया गया है। इसके अलावा, जनजातीय समूहों, व्यावसायिक स्वास्थ्य, दिव्यांगजनों और निर्धन व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। असमानताओं को दूर करने और भारत को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की धारणा मुख्य रूप से कार्य कर रही है।

आगे की राह

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस समय चल रहे कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने के साथ–साथ कुछ नई पहल करने और उन सबके बीच तालमेल कायम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत की जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए 'और अधिक बेहतर, अधिक तेज, तथा लगातार' पहल करने की आवश्यकता है और यह तभी संभव है जब ग्रामीण स्वास्थ्य पर उचित ध्यान दिया जाए। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अन्य बातों के साथ–साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार से भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इस दिशा में हाल के कुछ अनुकरणीय उदाहरण सामने आए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गुर्दे की बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध कराए जाने से जिला अस्पतालों में गुर्दे के रोगों से संबंधित सेवाओं के उपयोग में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह केरल के परिवार स्वास्थ्य केंद्रों में निर्वाचित संगठन और निर्वाचित प्रतिनिधि स्वास्थ्य सेवाओं की और अधिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये नई सोच के कुछ उदाहरण हैं जो देशभर से उभरकर सामने आए हैं और इन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य टेक्नोलॉजी की क्षमता के उपयोग की जबर्दस्त संभावना है। यहां भारत के ग्रामीण इलाकों में आमूल परिवर्तनकारी बदलावों को तेज करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं:

- **सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भर्ती और तैनाती:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र पहल के तहत भारत सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में मध्यम–स्तर के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति की है। भारत के कई राज्य इस सुविधा का कारगर और नए तरीके से फायदा उठाकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में मानव संसाधनों को बढ़ाने में उपयोग कर रहे हैं। इस दिशा में एक पूरक और संभावित रूप से आमूल परिवर्तनकारी कदम है–राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (सीएचपी) को शामिल किया जाना। सीएचपी को कुछ नुस्खे लिखने का अधिकार होगा और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2,50,000 से 3,50,000 सीएचपी भर्ती करने का प्रस्ताव है। कई देशों में इसी तरह के प्रावधान हैं और वे सामुदायिक–स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को कुछ चुनिंदा बीमारियों का इलाज तथा दवाओं को लिखने का अधिकार देकर वहां स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर में सुधार लाने में कामयाब रहे हैं। भारत में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक स्थायी समस्या बन गया है। ऐसे में सीएचपी ग्रामीण भारत के लिए एक ऐसे अवसर की तरह हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में 'डॉक्टर–केंद्रित सेवाओं' की बजाय 'टीम–आधारित' तरीका अपनाकर स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव लाया जा सकता है। सीएचपी का प्रस्ताव एक ऐसा कदम है जिसमें चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के तौर–तरीकों में आमूल परिवर्तन लाने की क्षमता है। भारत के जन स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएचपी वैसा ही सशक्त और प्रभावशाली तरीका हो सकता है जैसा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ता का रहा था।
- **उपचारात्मक और नैदानिक, दोनों ही तरह की सेवाओं के लिए टोल फ्री नंबर:** स्वास्थ्य के बारे में जारी एक अन्य बहस में जनसंख्या को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों से जोड़ने की बात कही जा रही है ताकि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का आश्वासन मिल सके और इससे इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वालों में व्यवहार संबंधी बदलाव लाया जा सके। यों तो यह एक आदर्श तरीका हो सकता है, लेकिन इसके कामयाब होने में वक्त लगने की संभावना है। इस संबंध में आपात स्थिति से इतर मामलों में कॉल सेंटर के ज़रिए लोगों को डाक्टर से जोड़ने वाला तरीका अपनाने की संभावना पर विचार किया जा सकता है। जनता की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टोल फ्री कॉल सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए जो पूरी तरह जनता के लिए हों। जनता को इस टेलीफोन नंबर के विवरण के साथ–साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि किस स्वास्थ्य सेवा के लिए किस व्यक्ति से संपर्क किया जाना चाहिए। यह तो हुई जनता के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने से पहले की बात। कोई प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस सुविधा का संचालन कर सकता है और जरूरत को देखते हुए कॉल को उचित सलाह के लिए संबंधित डाक्टर से जोड़ा जा सकता है। इस फोन लाइन से कॉल करने वाले को आशा कार्यकर्ता, ए.एन.एम., नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर और अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है। कॉल सेंटर का उपयोग गैर–एमरजेंसी कॉल आने पर लोगों को बीमारी की रोकथाम और आरोग्य को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी देने के लिए भी किया जा सकता है। इस सेवा के माध्यम

से लोगों को बीमारी की रोकथाम, उपचार, और टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य संबंधी संदेश भी भेजे जा सकते हैं (इस कार्य में पहले से इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों को भी जारी रखने की जरूरत है)।

- **ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए तैयार रखना :** हाल में बाढ़, चक्रवाती तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अनुभवों से भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को आपदाओं और प्रकृति के प्रकोपों से निपटने में सक्षम बनाने की जरूरत रेखांकित हुई है। हालांकि इस तरह की आपदाओं के असर से पूरी तरह बच पाना संभव नहीं है, लेकिन पर्याप्त नियोजन से इनके असर को काफी कम किया जा सकता है। ऐसी स्थितियों में लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत बढ़ जाती हैं। इसीलिए इन्हें ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रहने के वास्ते तैयार किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा कार्य है जिस पर राष्ट्रीय–स्तर पर ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों को, चाहे वह केरल हो या बिहार, कार्रवाई करनी चाहिए और तालमेल कायम करना चाहिए।
- **स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े असर के लिए स्वास्थ्य से इतर कई छोटी पहल :** स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी कई छोटी, स्वास्थ्य संबंधी और स्वास्थ्य से इतर पहल हैं जिनका संभावित असर भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं और उनके परिणामों पर पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली की आसान उपलब्धता और ग्रामीण बस्तियों में आसानी से पहुंचने के लिए मोटरगाड़ियों के चलने योग्य सड़कों का होना है जिनसे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, अब समय आ गया है जब ग्रामीण क्षेत्रों में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाएं उपलब्ध कराने से आगे बढ़ा जाए। ब्लॉक या तहसील–स्तर पर उप–जिला स्तर की इकाइयों को इतना आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए कि वे प्राथमिक और द्वितीयक–स्तर की सेवाओं के साथ–साथ रोकथाम, संवर्धन और जनसंख्या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकें। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, खासतौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। समुदाय–आधारित निगरानी से (जैसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक कार्रवाई में होता है) जवाबदेही बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में सोशल ऑडिट का सहारा लिया जा सकता है।
- **ग्रामीण भारत में जन सेवा प्रदान करने में 'महाअभिसरण' (ग्रेंड कंवर्जेंस):** पंचायत–स्तर पर तमाम सरकारी सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने वाले केंद्र गठित करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए। इन केंद्रों में बैंकिंग, स्वास्थ्य देखभाल, डाकघर, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, पोषण केंद्र और अन्य समाज कल्याण सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस तरह के केंद्र के लिए स्थान पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए या फिर उसकी पहचान में पंचायत की भागीदारी होनी चाहिए। पंचायत इन सेवाओं की जिम्मेदारी भी उठा सकती है, उसे निष्क्रिय उपभोक्ता की बजाय इसमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। इस तरह, एक ही स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इनके स्टॉफ के लिए भी एक ही स्थान पर आवास सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्टॉफ के लिए घर से इस केंद्र तक परिवहन की पक्की व्यवस्था भी की जा सकती है। इससे जहां बहुआयामी जवाबदेही में सुधार होगा, वहीं कुछ मौजूदा चुनौतियों से निबटने में भी मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

भारत में पिछले सात दशकों में ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिहाज से प्रगति हुई है। पिछले करीब दो दशकों में, वर्ष 2002–2017 के बीच, स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है। इसे भारत में स्वाधीनता के बाद स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार संबंधी पहली प्रमुख पहल माना जा सकता है। वर्ष 2017–19 की अवधि में 2002–05 की अवधि के साथ कई समानताएं हैं और इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का दूसरा चरण बनने की पूरी क्षमता है। यह ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में 'ज्यादा, बेहतर, अधिक तेज और लगातार' प्रयास करने की नीति से संभव हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि और अधिक पहल की जाएं; गतिविधियों और नीतियों पर पहले के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से अमल हो; नई पहलों को इनमें जोड़ा जाए और नई–नई खोजों के जरिए रफ्तार तेज की जाए, और साथ ही इन सब प्रयासों को चिरस्थायी बनाने की दिशा में भी पहल हो। भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यसूची में बहुत कुछ करना बाकी है। इसके लिए जो प्रस्ताव किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं: (क) शीघ्रता से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भर्ती और तैनाती की जाए; (ख) उपचारात्मक और नैदनिक दोनों तरह की सेवाओं के लिए टोल फ्री टेलीफोन नंबर शुरू किया जाए। (ग) आपदाओं और आपात स्थितियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार रखा जाए; (घ) स्वास्थ्य–संबंधी बड़े असर के लिए कई छोटे स्वास्थ्य से इतर पहल की जाएं; और (ङ) ग्रामीण भारत में जन सेवा प्रदान करने के कार्य में पूरा तालमेल कायम किया जाए। इन्हीं से बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त किए जा सकेंगे और सबको स्वास्थ्य सेवाओं के दायरे में लाने और चिरस्थायी विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता को पूरा किया जा सकेगा।

(लेखक वरिष्ठ जन–स्वास्थ्य विशेषज्ञ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली में नेशनल प्रोफेशनल ऑफीसर हैं।)

ई–मेल : c.lahariya@gmail.com

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीक की नई पहल

–डॉ. मनीष मोहन गोरे

ग्रामीण विकास से होकर ही राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य पूरा हो सकता है। वहीं विज्ञान और तकनीक के समावेश के द्वारा ग्रामीण समुदाय, युवाओं, महिलाओं, किसानों, वंचितों तथा दिव्यांगजनों को साथ लेकर ग्रामीण विकास का सपना पूरा किया जाना संभव है। इस सपने को पूरा करने में सरकार की इच्छाशक्ति, वैज्ञानिकों, स्थानीय आबादी और गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी आवश्यक है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समावेश सभी नागरिकों की मेधा व सामर्थ्य का उपयोग कर सामाजिक विकास के पथ पर आगे लेकर जाता है। साथ ही, देश की आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित होती है। आज विकसित देशों का चहुंमुखी विकास इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग किया है। भारत द्रुत गति से अर्थव्यवस्था के इंजन कहे जाने वाले 'विज्ञान और तकनीक' का उपयोग कर जीवन के हर क्षेत्र में विकास की ओर सतत् अग्रसर है।

भारत में विकास का मार्ग और सफर दोनों चुनौतियों से भरे हैं। यहां जलवायु, भौगोलिक स्थिति, खानपान, संस्कृति जैसे अनेक स्तरों पर विविधता देखने को मिलती है जो विकास में बाधक होती हैं। ग्रामीण, अर्ध–शहरी और शहरी परिवेशों का अंतर भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अलावा, शिक्षा और सुशासन भी विकास के जरूरी पहलू होते हैं।

शहरों में शिक्षा और शासन प्रणाली सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित होने से प्रौद्योगिकी का सदुपयोग भली–भांति होता है। साथ ही, शिक्षित नागरिक प्रौद्योगिकी का महत्व समझते हैं तथा उसकी सराहना करते हैं। वहीं जब ग्रामीण समाज में किसी नई प्रौद्योगिकी का समावेश करने जाते हैं तो ग्रामीण जन को उस प्रौद्योगिकी के उपयोग और फायदों के बारे में समझाना एक विकट चुनौती के रूप में सामने आता है। यहां पर शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव आड़े आता है। इसलिए ग्रामीण और अर्ध–शहरी समाज में शिक्षा व जागरूकता के प्रसार के साथ–साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की भी विशेष जरूरत होती है।

ग्रामीण भारत के कायाकल्प के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जाती रही है। इस आवश्यकता की अनुभूति महात्मा गांधी को भी हुई थी। 1935 में अखिल भारतीय ग्रामीण उद्योग संघ के मंच से उन्होंने 'आम जन के लिए विज्ञान' नामक एक आंदोलन का आगाज़ किया था। इस आंदोलन के सलाहकार मंडल में जे.सी. बोस, पी.सी. रे और सी.वी. रमन जैसी वैज्ञानिक शख्सियतों को रखा गया था। इसके अलावा, देश के कई हिस्सों में वैज्ञानिक संस्थाओं और विचारधारा का उद्गम

भारत की आज़ादी से पहले हो गया था। 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद एक बदहाल देश की गरीबी और अभाव को दूर करने में विज्ञान व प्रौद्योगिकी का सदुपयोग किया गया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की स्थापना और देश के विभिन्न प्रांतों में इसकी अनेक प्रयोगशालाओं की नींव रखना इसी दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस तथा सुनियोजित कदम था। 1958 में राष्ट्रीय विज्ञान नीति (साइंटिफिक पॉलिसी रिज़ोल्यूशन) भारतीय संसद में पारित की गई। इसके बाद विज्ञान व प्रौद्योगिकी की सराहना और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। तत्पश्चात परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आदि की स्थापना की गई। आगे चलकर साल 2003 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति तथा 2013 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) नीति को लागू किया गया।

ग्रामीण जीवन–स्तर में सुधार का तकनीकी आसरा 'अस्त्र' (ASTRA)

1970 के दशक में ग्रामीण भारत की जरुरतों को पूरा करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रयत्न देखने को मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञान एवं तकनीकी अनुप्रयोग के अंग्रेजी में संक्षिप्ताक्षर 'अस्त्र' का इस हेतु प्रयोग किया गया था। 'अस्त्र' की अवधारणा भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तैयार की थी जोकि देश में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आरंभिक संस्थानों में से एक है। 'अस्त्र' कार्यक्रम का मुख्य फोकस ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर केंद्रित था। इसके अंतर्गत ऊर्जा (विशेषतः बायोमास), किफायती मकान निर्माण तकनीकी, पेयजल के लिए असंख्य महत्वपूर्ण तकनीकी विकल्पों की पहचान की गई थी। वैज्ञानिक और इंजीनियर समुदाय ने इस दिशा में अहम योगदान दिए थे तथा यह दूरदर्शी कार्यक्रम सामाजिक सरोकार से पोषित एक बौद्धिक गतिविधि के रूप में सामने आया था।

'स्टेम' और सीएसआर की जुगलबंदी

साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स पर फोकस रखते हुए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना 'स्टेम' कार्यक्रम का मूलमंत्र है। इस कार्यक्रम को 2014 के बाद प्रभावशाली तरीके से भारतीय परिवेश में क्रियान्वित किया गया है। इसे भारतीय शिक्षा जगत के आधुनिक स्वरूप की संज्ञा दी जा सकती है। इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से विचारक, समस्या निवारक और भावी पीढ़ी के नवोन्मेषी तैयार किए जा सकते हैं। यह एक तथ्य है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में अपना स्थान रखता है जहां सर्वाधिक संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर तैयार होते हैं। 'स्टेम' शिक्षा पर भारत में दी जा रही तरजीह से उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दशक में 80 प्रतिशत नौकरियां गणित और विज्ञान में कुशल युवाओं को मिलने वाली हैं। मानवविज्ञान से जुड़े शोध से ये नतीजे प्राप्त हुए हैं कि आठ वर्ष की औसत आयु के बच्चों में 'स्टेम' विषयों में सहज रुचि उत्पन्न हो जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों और गैजेट ने बच्चों में इस रुचि को और भी उत्प्रेरित किया है। लेकिन रुचि के इस घेरे से बाहर निकलकर स्वयं आविष्कारक और नवोन्मेषी बनने के बीच अभी कुछ फासला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में इंजीनियरिंग–प्रौद्योगिकी–उद्यमिता के बीच आपसी लिंक टूटा हुआ है। यहीं पर 'स्टेम' शिक्षा कार्यक्रम की भूमिका अहम हो जाती है।

> **महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना**
>
> डीएसटी की यह योजना पर्वतीय, समुद्र–तटीय और मरुस्थल क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें विज्ञान व तकनीकी अनुप्रयोगों से जोड़ती है। इस योजना का लक्ष्य विज्ञान और तकनीक का समावेश कर महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता तथा उनकी कार्यदशाओं में सुधार लाना है। इसके माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने लगे हैं। खेती के दौरान कठिन श्रम के कारण किसानों खासकर महिला किसानों व श्रमिकों को थकान हो जाती है। डीएसटी और कृषि मंत्रालय ने साथ मिलकर ऐसी तकनीक तथा उपकरणों का विकास किया है जिनके उपयोग से खेती से संबद्ध थकान में कमी आई है। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए भी तकनीकी हस्तक्षेप व रणनीतियों का विकास किया गया है।

मौजूदा शिक्षा प्रणाली में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आईसीटी और स्मार्ट क्लॉस प्लेटफार्म के साथ–साथ स्टेम कार्यक्रम से विद्यार्थियों को जोड़ने पर बल दिया जा रहा है। आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी) और संवर्धित वास्तविकता (आग्मेंटेड रियलिटी) जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर विश्व के कई देशों में अनेक 'स्टेम' अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्कूलों में स्टेम केंद्र और विचार केंद्र (थिंकिंग सेंटर) खोले जा रहे हैं। नए एंट्री लेवल कोडिंग डिवाइस बाजार में आने लगे हैं जिनमें साधारण कोडिंग प्रणाली के शिक्षण की क्षमता है और साथ ही ये क्लासरूम में स्टेम शिक्षा के लिए भी उपयोगी हैं। सरकार भी शैक्षिक संस्थानों में उनके पुस्तकालय ढांचे को अपग्रेड करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत उन्हें मैनेजमेंट टूल्स, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एसेसमेंट सिस्टम, लैंग्वेज लैब, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, गेमिफिकेशन आदि जैसे नवीनतम साफ्टवेयर से लैस किया जा रहा है।

भारत में स्टेम शिक्षा प्रणाली का क्रियान्वयन अभी प्रायोगिक चरण में है और इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं– इसका बुनियादी ढांचा, पाठ्यक्रम तथा इसके कुशल मार्गदर्शक तैयार करना। फंड भी एक चुनौती है जिसकी पूर्ति निजी स्कूल प्रशासन और सरकारी शिक्षा विभाग तथा संस्थानों को स्वयं करनी होगी।

भारत में युवाओं की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए

स्टेम शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और विद्यार्थियों तक इसके लाभ पहुंचाने के लिए सरकार तथा शिक्षा जगत की संयुक्त पहल की आवश्यकता है। वर्तमान केंद्र सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'इन्नोवेशन मिशन' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित कर रही है जिनके अंतर्गत स्टेम शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी अपने नवोन्मेषी विचारों या उत्पादों का सृजन कर उनके निर्माण का अधिकार अपने पास रख सकते हैं। विद्यार्थियों की सृजनशीलता और नवाचार प्रवृत्ति को उजागर करने, उन्हें पोषण प्रदान करने तथा शिक्षण संस्थान व समाज में नवोन्मेष संस्कृति विकसित करने का यही सबसे उपयुक्त समय है। इसमें सरकार के साथ–साथ शिक्षकों की भूमिका अहम है।

भारत में विज्ञान व प्रौद्योगिकी संबंधी अनुसंधान और इसमें संबद्ध मानवशक्ति में लैंगिक भेद का मुद्दा प्रायः मुखर होता है। महिलाओं की संतुलित भागीदारी का न होना यहां एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या महिलाओं को वैज्ञानिक शोध की दिशा में पुरुषों की अपेक्षा कम अवसर दिया जाता है? लेकिन सरकार की योजनाओं पर नजर डालें तो समझ में आता है कि अनेक योजनाओं और फैलोशिप के द्वारा महिलाओं को विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान से जोड़ने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं को भी इसमें समान भागीदारी का अवसर दिया जाता है।

गांव और शहर की विषमता को दूर करने तथा प्रौद्योगिकियों के द्वारा ग्रामीण समुदाय का जीवन–स्तर उठाने के लिए वर्तमान सरकार के डिजिटल इंडिया, डीजी गांव और अन्य डिजिटल साक्षरता अभियान बेहद कारगर साबित हुए हैं। स्पष्ट है कि शहर के साथ–साथ गांवों में भी इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के प्रयोग में तेजी आई है परंतु उनमें तकनीकी सृजन या नवाचार की प्रवृत्ति के विकास की दर बहुत धीमी या नगण्य है। ग्रामीण इलाकों में छात्राएं ही नहीं छात्र भी विज्ञान शिक्षा में फिसड्डी रहते हैं। विज्ञान में अरुचि की एक मुख्य वजह बच्चों को रुचिकर ढ़ंग से समझा पाने में विज्ञान शिक्षकों का विफल रहना है (इंडिया साइंस रिपोर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 2005)। लेकिन जब से विज्ञान शिक्षण के स्कूली पाठ्यक्रम में हैंड्स ऑन प्रशिक्षण अर्थात लर्निंग बाई डूइंग के सत्र शामिल किए गए हैं, तब से विद्यार्थियों का रूझान विज्ञान की ओर बढ़ा है।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक अग्रणी उद्योग समूह और बहुराष्ट्रीय कंपनियां सक्रिय योगदान कर रहे हैं। यह समुदाय नवाचार प्रौद्योगिकी आधारित संसाधनों के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन आदि जैसे सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में भारत सरकार की सहायता करता है। इस प्रकार के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) निर्वहन संबंधी प्रयास ग्रामीण समाज और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित हुए हैं। 11 मार्च, 2019 को आईबीएम ने छात्राओं को 'स्टेम' शिक्षा में आगे लाने के लिए सीएसआर पहल के अंतर्गत तीन–वर्षीय कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके आरंभिक चरण में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही लगभग दो लाख छात्राओं के लिए विज्ञान व तकनीक क्षेत्रों में कैरियर के रास्ते खुलेंगे। कंपनी ने 50 महिला आईटीआई सहित देश के 100 आईटीआई में आधुनिक प्रौद्योगिकियों में दो वर्षीय एडवांस्ड डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किया है। यह शैक्षिक पाठ्यक्रम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। इस तरह स्टेम और सीएसआर के संयुक्त प्रयास द्वारा लैंगिक भेद से परे जाकर विद्यार्थियों को विज्ञान व तकनीक में अध्ययन तथा कैरियर के अवसर खुलते जा रहे हैं।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी दूर करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कौशलों का विकास करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस योजना का लाभ 5.5 करोड़ ऐसे युवाओं को मिलने की उम्मीद है जो कुशल हैं। यह योजना 'मेक इन इंडिया' की मुख्य भागीदार है। इसका लाभ हाशिए पर खड़े ग्रामीण युवाओं को मिलेगा। समाज के वंचित समुदायों के साथ–साथ दिव्यांग जन और महिलाओं को भी कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। इस योजना को तीन स्तरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है– नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सरलीकरण। योजना की क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा युवाओं में कौशल विकास और प्लेसमेंट के माध्यम से इस कार्यक्रम को लागू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, चमड़ा, विद्युत आदि अनेक उद्यमों में प्रशिक्षण तथा अनुदान प्रदान किया जाता है। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इसे देश के सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति का सहारा 'तारा' योजना

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के सीड अनुभाग के अंतर्गत एक योजना 'तारा' (TARA-टेक्नोलॉजीकल एडवांसमेंट फार रूरल एरियाज़) को संचालित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण जीविकोपार्जन में सहायता और सामाजिक लाभ के लिए ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को सहायता पहुंचाना है जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस योजना में नवाचार (इन्नोवेशन) और प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुकूलन पर बल दिया जाता है। इसमें स्थान विशेष की आवश्यकताओं या समस्याओं के निराकरण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को आजमाने से पूर्व इसका क्षेत्र परीक्षण की जाती है। इसके अंतर्गत नियोजित अवधि का शोध प्रयत्न किया जाता है। इस योजना में देश के भीतर तकनीकी कुशलता का वातावरण

सृजित होता है और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। जो संगठन न्यूनतम 10 वर्षों से ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अहम माने जाते हैं। इन्हें पंचायत व राज्य सरकार के साथ मिलकर काम को अंजाम देना होता है। सुयोग्य संगठनों के चयन की प्रक्रिया प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण माध्यम से द्वि–स्तरीय विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। प्रस्ताव की मंजूरी होने पर आरंभिक रूप से 5 से 10 वर्षों के लिए कोर अनुदान दिया जाता है और समय–समय पर इनका मूल्यांकन तथा समीक्षा की जाती है।

सीड योजना

डीएसटी की सीड (साइंस फार इक्विटी एम्पॉवरमेंट एंड डेवलपमेंट) योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी–स्तर पर तकनीकी सशक्तीकरण तथा सतत् जीविकोपार्जन को सुनिश्चित करना है। इस योजना के अंतर्गत अभिप्रेरित वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को समाज के वंचित व गरीब समुदाय के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त विज्ञान व तकनीकी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को साझीदार बनाया गया है ताकि वहां से विशेषज्ञ सलाह मिल सके तथा बुनियादी तकनीकी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं।

इस योजना में ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य एवं पोषण, पानी, स्वच्छता, प्राकृतिक आवास, स्वास्थ्य और कौशल विकास हेतु तकनीकी सहायता दी जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 और विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति 2013 इस योजना के आधारभूत प्रेरक हैं।

जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए तकनीकी हस्तक्षेप (टीआईटीई) उपयोजना

डीएसटी (भारत सरकार) की इस टीआईटीई (टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर ट्राइबल एम्पॉवरमेंट) उपयोजना का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के दीर्घकालिक अनुप्रयोग के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जीवन दशा में सुधार लाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके तहत जनजातीय समुदाय में वैज्ञानिक और तकनीकी शोध तथा विकास का समावेश कराया जाता है ताकि वे इसे अपनाने के लिए तत्पर हों। इसमें देश के प्रमुख सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में स्थान–केंद्रित विज्ञान व प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाता है। परंपरागत दस्तकारी, शिल्प कौशल और स्थानीय ज्ञान प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देकर ग्रामीण समुदाय को रोजगार से जोड़ना इस योजना का अहम लक्ष्य होता है।

भारत के संदर्भ में यह बात तो तय है कि ग्रामीण विकास से होकर ही राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य पूरा हो सकता है। वहीं विज्ञान और तकनीक के समावेश के द्वारा ग्रामीण समुदाय, युवाओं, महिलाओं, किसानों, वंचितों तथा दिव्यांग–जनों को साथ लेकर ग्रामीण विकास का सपना पूरा किया जाना संभव है। इस सपने को पूरा करने में सरकार की इच्छा–शक्ति, वैज्ञानिकों, स्थानीय आबादी और गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी आवश्यक है।

(लेखक विज्ञान प्रसार, डीएसटी, भारत सरकार में सेवारत हैं और 1995 से विभिन्न संचार माध्यमों के लिए लोकप्रिय विज्ञान लेखन कर रहे हैं।)

ईमेलः mmgore@vigyanprasar.gov.in

राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार, 2019

देश के प्रतिभाशाली उद्यमियों की सराहना करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने और युवाओं में उद्यमिता की भावना को तेजी से विकसित करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कारों के चौथे संस्करण के लिए नामांकनों की शुरुआत कर दी गई है। राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार (एनईए) 2019 का उद्देश्य पहली पीढ़ी के प्रतिभाशाली युवा उद्यमियों और पारिस्थितिकी निर्माताओं को उद्यमिता विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करना है।

भारत सरकार राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के जरिए सर्वाधिक अभिनव, प्रेरणादायक और निपुण छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए पुरस्कृत करेगी। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन इस वर्ष 9 नवंबर को होगा।

इसके तहत विशेष रूप से तैयार किए गए कुल 45 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें उद्यमों के लिए 39 पुरस्कार और उद्यमिता पारिस्थितिकी निर्माताओं के लिए 6 पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों का पात्र होने के लिए नामित उद्यमी की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, उन्हें प्रथम पीढ़ी का उद्यमी होना चाहिए, नामित उद्यमी के पास अवश्य ही 51 प्रतिशत अथवा उससे अधिक इक्विटी के साथ–साथ व्यवसाय का स्वामित्व होना चाहिए और महिला उद्यमियों के पास संयुक्त रूप से उद्यम की 75 प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी होनी चाहिए। इस वर्ष राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार प्रदान किए जाने का चौथा वर्ष है

वार्षिक पुरस्कारों का उद्देश्य उन व्यक्तियों अथवा संगठनों की पहचान करना है, जिन्होंने भारत के उद्यमिता युक्त माहौल को विकसित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह में विजेताओं का अभिनंदन किया जाएगा और उन्हें एक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार (उद्यम/व्यक्ति) और 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार (संगठन/संस्थान) दिया जाएगा।

नामांकन और श्रेणियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी http://www.neas.gov.in पर उपलब्ध है।

Mc Graw Hill

Because learning chenges everything.®

1985 से अब तक सर्वश्रेष्ठ

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020

₹1595/-

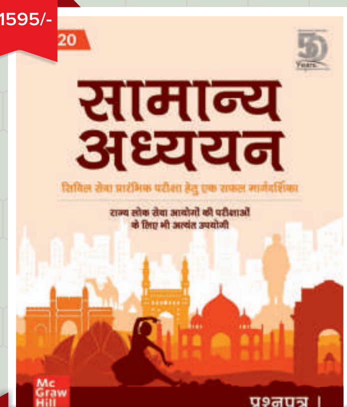

ISBN: 9789353167875

मुख्य आकर्षण

- अद्यतन सामग्री के साथ प्रश्नपत्र I के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के नवीन पाठ्यक्रम का एक पूर्ण और व्यापक कवरेज
- भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन तथा भौतिकी नामक विषय में नवीन विषयवस्तु की प्रस्तुति प्रासंगिक जो समकालीन उभरते रुझानों के अनुरूप है
- प्रत्येक अध्यायों में सभी मौलिक एवं परीक्षोपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करने के क्रम में चरणबद्ध तरीके से माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एवं बुलेट आदि का सहारा लिया गया है ताकि विषयवस्तु आकर्षण का केंद्र बने एवं अभ्यर्थी पढ़ने हेतु आकर्षित हों
- प्रस्तुत पुस्तक के निहित विषयों में स्थित आंकड़ों के समायोजन में विभिन्न समाचार पत्रों/चैनलों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों, बजट 2019–20, आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19 आदि महत्वपूर्ण घटकों का अटूट सहयोग

मुख्य आकर्षण

- नवीनतम प्रवृत्ति के आधार पर अध्यायगत अवधारणाओं एवं उसमें निहित प्रश्नों की गुणवत्ता में विश्वसनीय सुधार
- सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अद्यतन प्रारूप के आधार पर 15 नए मानक अभ्यास प्रश्नपत्रों का समावेश
- अवबोध क्षमता खंड के अंतर्गत 20 नवीन अनुच्छेदों का समावेश
- प्रासंगिक समकालीन उभरते रुझानों, निर्णयन और समस्या समाधान, तर्कसंगत विवेचना और आंकड़ों का विश्लेषण आदि पर उदाहरणों सहित गहन व्याख्या

₹995/-

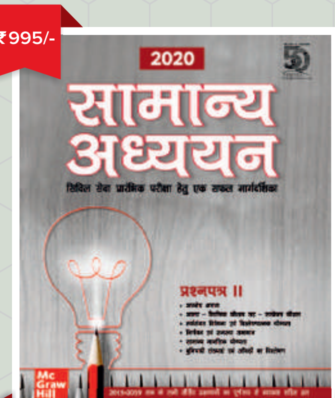

ISBN: 9789353167790

Toll free number: 18001035875 | support.india@mheducation.com | www.mheducation.co.in | McGraw Hill Pvt LTD

प्रकाशन विभाग की ई-परियोजनाओं का शुभारंभ

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 31 जुलाई, 2019 को सूचना भवन की बुक गैलरी में प्रकाशन विभाग की कई ई–परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें प्रकाशन विभाग की नए सिरे से डिजाईन की गई वेबसाइट, मोबाइल ऐप, रोज़गार समाचार का ई–वर्ज़न और ई–बुक 'सत्याग्रह गीता' शामिल हैं।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 31 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग की ई–परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 'मन की बात' 2.0 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे पुस्तक पढ़ने को अपनी आदत बना लें और देश में पढ़ने की संस्कृति को फिर से जीवित करें। उन्होंने पढ़ने की संस्कृति में और सुधार के लिए अपने आस–पड़ोस में पुस्तक क्लब बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि रोज़गार समाचार में सुधार किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि रोज़गार समाचार को अगर कॉलेज के छात्रों में वितरित किया जाए तो इससे उन्हें अपना कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी और वे रोज़गार की मांग के अनुसार बाजार के लिए अधिक उपयुक्त बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकाशन विभाग की नए सिरे से डिजाईन की गई वेबसाइट आकर्षक और डायनामिक लगती है। प्रकाशन विभाग के मोबाइल ऐप के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ई–बुक्स और किंडल के आज के इस युग में लोगों की पढ़ने की आदत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। श्री जावड़ेकर द्वारा शुरू की गई ई–परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार हैः

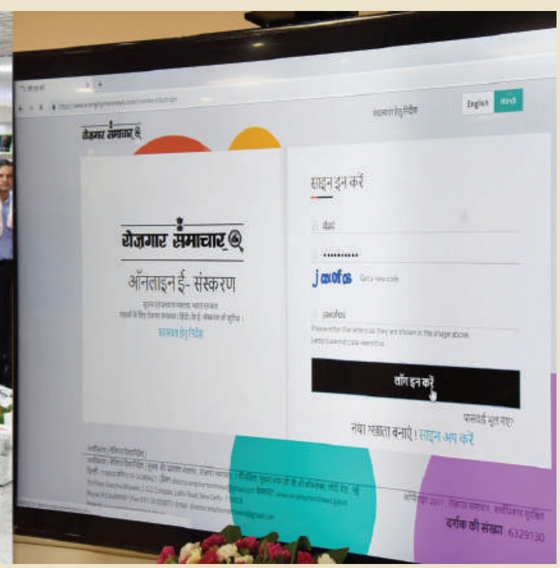

1. नए सिरे से डिजाईन की गई वेबसाइट : हाल में नए सिरे से तैयार की गई प्रकाशन विभाग की वेबसाइट (www.publicationsdivision.nic.in) के साथ भुगतान सुविधा के लिए पेमेंट गेटवे जोड़ा गया है जिसमें रियल टाइम में खरीदारी करने की सुविधा के साथ–साथ प्रकाशन विभाग की पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध है। वेबसाइट से पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं की खरीद करना आसान हो जाएगा। ये सभी पुस्तकें वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे 'भारतकोष' के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। वेबसाइट का स्वरूप बड़ा आकर्षक है और इसे सुनियोजित तरीके से सुसज्जित किया गया है। सुरुचिपूर्ण ले–आउट, सुंदर रंग विन्यास, और आइकन के साथ आसानी से देखने के लिए इसमें पाठ्य–सामग्री और पृष्ठभूमि के बीच अच्छा कॉन्ट्रास्ट रखा गया है। सूचनाओं को विभिन्न खंडों और श्रेणियों में रखा गया है ताकि यह सभी सहभागियों जैसे पाठक, लेखक, अन्य प्रकाशक, मुद्रक, एजेंट आदि की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके लिए बेहद सलीके से सूचियां दी गई हैं जिनके साथ उचित दृश्य सामग्री भी उपलब्ध करायी सामग्री गई है जिसे आसानी से समझा जा सकता है।

यह वेबसाइट इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी आसान है और इसमें सोशल मीडिया टूल्स को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसका आसान इंटरफेस अंग्रेजी और हिंदी में सुगम इंटर–एक्टिविटी उपलब्ध कराता है। दिव्यांगजनों समेत कोई भी इसका इस्तेमाल (स्क्रीन रीडर के साथ) कर सकता है। इसमें फीडबैक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है और फेसबुक व ट्विटर जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सुझाव भेजने और प्रकाशन विभाग के साथ संपर्क करने की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। इसमें Gandhi@150 नाम से एक विशेष खंड भी है। इसकी कुछ खास खूबियों में विशेष गांधी पुस्तक सूची, संपूर्ण गांधी वाङ्मय और गांधी साहित्य पढ़ने के लिए गांधी धरोहर पोर्टल के साथ लिंक सुविधा शामिल है।

2. मोबाइल ऐप : यह गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और इससे बढ़ती हुई मोबाइल कॉमर्स क्षमता का फायदा उठाने में मदद मिलेगी। मोबाइल ऐप डिजिटल अधिकार प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि पायरेसी को रोका जा सके। इसमें भारतकोष पेमेंट गेटवे के जरिए आसानी से भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।

3. रोज़गार समाचार का ई–संस्करण : रोज़गार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज (अंग्रेजी) का हिंदी संस्करण है। यह हिंदी का एक प्रमुख रोज़गार–पत्र है जिसमें केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रोज़गार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें विभिन्न व्यवसायों के बारे में विशेषज्ञों के लेखों के माध्यम से पाठ्यक्रमों के बारे में प्रवेश संबंधी सूचनाएं, रोज़गार के अवसरों की जानकारी और व्यावसायिक परामर्श भी उपलब्ध कराया जाता है। ई–रोज़गार समाचार इस पत्र को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करता है और इसका वार्षिक शुल्क 400 रुपये है। ऐसी उम्मीद की जाती है कि यह संचार के इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल करने वाले नौजवान पाठकों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

4. ई–बुक 'सत्याग्रह गीता' : जानी–मानी कवयित्री डॉ. क्षमा राव द्वारा 1930 के दशक में लिखी यह पुस्तक धरोहर के समान महत्व की है। इसमें गांधी जी के जीवन और कार्यों को संस्कृत श्लोकों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी याद में प्रकाशन विभाग ने इस पुस्तक के पीडीएफ संस्करण से इसका ई–पुस्तक संस्करण तैयार किया। अधिक से अधिक लोग इसे पढ़ सकें, इसके लिए पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी ई–संस्करण में दिया गया है। 18 अध्यायों में विभाजित (भगवद्गीता के अध्यायों की तरह) 'सत्याग्रह गीता' गांधी जी के विचारों, जीवन–दर्शन और उनके काम करने के तौर–तरीकों को संस्कृत श्लोकों के रूप में दिया गया है जो गांधीवादी संस्कार और सिद्धांतों के अनुरूप है।

(स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय)

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में असीमित विकास

–निमिष कपूर

भारत में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं और अक्षय ऊर्जा के प्रयोगों में जन–भागीदारी भी तय की जा रही है। वर्ष 2017–18 के दौरान देश में अक्षय ऊर्जा से कुल 101.83 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ। केंद्र सरकार की 'कुसुम' योजना के जरिए किसान अपनी ज़मीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। 'कुसुम' योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए तो करेंगे ही बल्कि बिजली बेचकर अधिक आय भी अर्जित कर सकेंगे। किसान की ज़मीन पर बनने वाली बिजली देश के गांवों के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी स्थापित क्षमता (25 मेगावॉट से अधिक पनबिजली को छोड़कर) 31 मार्च, 2014 के 35 गीगावॉट से दोगुनी से भी अधिक होकर 31 मार्च, 2019 तक 78 गीगावॉट के स्तर पर पहुंच गई है। 30 जून, 2019 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के पास 80.47 गीगावॉट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल हो चुकी है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी क्रमशः 29.55 गीगावॉट और 36.37 गीगावॉट है। बायोमास और छोटी पनबिजली इकाइयों की हिस्सेदारी क्रमशः 9.81 गीगावॉट और 4.6 गीगावॉट है।

केंद्र सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा मुहैया करने के उद्देश्य से इस अभियान का आरंभ किया है। कुसुम योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीज़ल या बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। केंद्र सरकार की 'कुसुम' योजना के जरिए किसान अपनी ज़मीन में सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। 'कुसुम' योजना की मदद से किसान अपनी भूमि पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का उपयोग खेती के लिए तो करेंगे ही बल्कि बिजली बेचकर अधिक आय भी अर्जित कर सकेंगे। किसान की ज़मीन पर बनने वाली बिजली देश के गांवों के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाएगी।

इस योजना में तीन घटक हैं, जिनका लक्ष्य 2022 तक 25,750 मेगावॉट की सौर क्षमता को बढ़ाना है। घटक 'ए' में 10,000 मेगावॉट विकेंद्रीकृत ज़मीन पर लगे ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्र लगाने की योजना है। घटक 'बी' में 17.50 लाख स्टैंडअलोन सौर–ऊर्जा संचालिक कृषि पंपों की स्थापना की जानी है और घटक 'सी' में ग्रिड से जुड़े 10 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौरकरण किया जाना प्रस्तावित है। सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ा बजट निर्धारित किया है। योजना में प्रदान की जाने वाली कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता 34,422 करोड़

रुपये होगी। घटक 'ए' और घटक 'सी' को पॉयलट मोड पर 1000 मेगावॉट क्षमता और क्रमशः एक लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के लिए लागू किया जाएगा और प्रायोगिक संचालन के बाद बड़े स्तर पर संचालित किया जाएगा। घटक 'बी' को पूर्णतः लागू किया जाएगा।

यह योजना किसानों के लिए व्यक्तिगत–स्तर पर तो फायदे का सौदा साबित होगी ही, साथ ही सहकारी समितियों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों को भी सीधा लाभ मिलेगा। किसान और संगठन अपनी बंजर या कृषि योग्य भूमि पर 500 किलोवॉट से 2 मेगावॉट क्षमता के नवीकरणीय बिजली संयंत्र स्थापित कर सकेंगे। इन संयंत्रों से उत्पादित बिजली को राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीड–इन–टेरिफ पर विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम द्वारा खरीदा जाएगा। इस योजना से किसानों और ग्रामीण भूमि के मालिकों को आय का एक स्थिर और निरंतर स्रोत मिलेगा। प्रदर्शन–आधारित प्रोत्साहन पांच वर्षों के लिए प्रति इकाई 0.40 की दर पर डिस्कॉम को प्रदान किया जाएगा। घटक 'बी' के तहत किसानों को व्यक्तिगत–स्तर पर 7.5 हॉर्स पॉवर तक की क्षमता वाले स्टैंडअलोन सोलर पंपों को स्थापित करने के लिए समर्थन दिया जाएगा। स्टैंडअलोन सौर पंपों पर योजना में कच्चे तेल के आयात में कमी के कारण प्रति वर्ष 120 करोड़ लीटर डीजल और विदेशी मुद्रा की बचत भी हो सकेगी।

योजना के घटक 'सी' के अंतर्गत व्यक्तिगत तौर पर किसानों को 7.5 हॉर्स पॉवर तक की क्षमता वाले सोलर पंपों की स्थापना में समर्थन दिया जाएगा। किसान सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अतिरिक्त ऊर्जा डिस्कॉम को बेची जाएगी। इस योजना से किसानों को अतिरिक्त आय के नए आयाम मिलेंगे और राज्य के अपने सौर लक्ष्यों की पूर्ति भी सफलता से हो सकेगी। इस योजना को भारतीय किसानों की समृद्धि से जोड़ कर देखा जा रहा है और साथ ही, भौगोलिक तापन के नियंत्रण में भी यह योजना अपना योगदान देगी। इस योजना से कार्बन–डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण–अनुकूल प्रभावों को बल मिलेगा। योजना के सभी तीन घटकों को मिलाकर यह अनुमान लगाया गया है कि प्रतिवर्ष लगभग 2.7 करोड़ टन कार्बन–डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी।

सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के ज़रिए किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। ऑफ़ ग्रिड और विकेंद्रीकरण सौर फोटो–वोल्टेइक अनुप्रयोग कार्यक्रम के अंतर्गत देश का नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) किसानों को सौर जल पंपों के बेंच मार्क लागत की तीस प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अगस्त 2018 तक 1.85 लाख से अधिक सौर जल पंप स्थापित किए गए हैं।

पिछले वर्ष प्रधानमंत्री ने भारत सोलर प्रौद्योगिकी के रिक्त स्थान को भरने के लिए सोलर टेक्नोलॉजी मिशन आरंभ करने की

सौर प्रौद्योगिकी आधारित अभिनव उत्पाद

देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से भी सौर ऊर्जा के स्वदेशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सौर प्रौद्योगिकी आधारित अभिनव उत्पादों का विकास आम जन के लाभ के लिए किया जा रहा है। इसी शृंखला में विकसित सौर उपकरण 'सूर्यज्योति', सौर ऊर्जा से संचालित प्रकाश स्रोत (एक बड़ी लाइट के रूप में), एक सौर जलशोधक और एक सोलर जैकेट शामिल हैं। इन अभिनव वस्तुओं के विकास का उद्देश्य जीवन–स्तर बेहतर करने के साथ–साथ लोगों के खर्चों में कमी लाना है। 5000 से भी अधिक परिवार अपने घरों को रोशन करने के लिए 'सूर्यज्योति' से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2019 तक 'सूर्यज्योति' से 1,00,000 घरों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सबसे खास बात यह है कि सूर्यज्योति में किसी प्रकार के अतिरिक्त सौर पैनल की आवश्यकता नहीं होती और इसका प्रयोग झुग्गियों या कच्चे–पक्के मकानों में आराम से किया जा सकता है। कमरे की छत में इसे इस प्रकार लगाया जाता है कि इसका सोलर सेल छत पर सूर्य के प्रकाश में रहता है और पूरे दिन सूरज की रोशनी से ऊर्जान्वित होता है जिससे रात में घर प्रकाशित होता है। सूर्यज्योति की आरंभिक कीमत लगभग 1100 रुपये है, जिसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सौर जलशोधक एक महत्वपूर्ण अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद है जो प्रतिदिन 300–400 लीटर पेयजल सुलभ कराने में समर्थ है। यह जलशोधक विशेषकर गांवों में अवस्थित स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पर्यटक लॉज के लिए उपयोगी है जहां पारंपरिक बिजली बहुत ही अनियमित है या उपलब्ध नहीं है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत उत्कृष्ट तकनीक विकसित की गई है जिसमें सौर ऊर्जा की बचत शोधित जल के रूप में होती है, इन्वर्टर या बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है, कुछ भी प्रदूषण नहीं होता और अत्यंत कम रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है।

सोलर जैकेट विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहकर काम करने वाले रक्षा और वनकर्मियों के लिए उपयोगी है। इससे एक केंद्रित प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यह 'पहचान टैग' को प्रकाशित करती है और इसमें मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा भी है। सोलर जैकेट में जो तकनीकी सुविधाएं विकसित की गई हैं, उनमें शामिल हैं, बीमा सुविधाओं से युक्त टॉर्च, पहचान कोड, मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधाएं, जीपीएस और पॉकेट सोलर फैन।

सौर ऊर्जा पर आधारित आगामी अभिनव परियोजनाओं में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित बॉयोमीट्रिक एटीएम भी शामिल हैं। इस एटीएम को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया जा रहा है जहां साक्षरता–स्तर पर्याप्त नहीं हैं। बॉयोमीट्रिक आधारित 'बीएस–एटीएम' का एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया है जो उपयोगकर्ताओं (यूजर) के अनुकूल है। इस एटीएम में ऊर्जा की कम खपत होती है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इसे संचालित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।

प्रयोगशाला से जुड़े हैं तो अनुसंधान और विकास की वित्तीय सहायता के लिए एम.एन.आर.ई. में आवेदन कर सकते हैं।

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट की स्थापना से पारंपरिक विद्युत की खपत कम होती है और बिजली के बिल में कमी की जा सकती है। ग्रिड–कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट संयंत्र नेट मीटरिंग प्रणाली पर आधारित होता है। संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा का उत्पादन दिन में पारंपरिक ऊर्जा के स्थान पर किया जा सकता है तथा उत्पादित ऊर्जा, उपयोग की गई ऊर्जा से अधिक होने पर, अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में संचित किया जा सकता है। ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पॉवर प्लांट की स्थापना किसी भी भवन की छत पर की जा सकती है। एक किलोवॉट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए छत पर अनुमानतः 10 वर्ग मीटर दक्षिण दिशा में छायामुक्त स्थल की आवश्यकता होती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप और छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तहत आवासीय, सामाजिक, सरकारी, पीएसयू और संस्थागत क्षेत्रों में सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस (सीएफए) कार्यक्रम के जरिए वर्ष 2018 तक 2100 मेगावॉट की क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था।

घोषणा की थी। इस मिशन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय–स्तर का है और यह देश की सरकारी, तकनीकी तथा शैक्षणिक संस्थाओं को साथ मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में शोध व अनुसंधान के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसायीकरण के प्रयोग व प्रदर्शन के लिए एम.एन.आर.ई. द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन और भंडारण के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक व शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाई गई है जिसके तहत शोध परियोजनाओं की लागत का 50 प्रतिशत तक की केंद्रीय वित्तीय सहायता उन परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाती है जिनमें उद्योग के साथ नागरिक व समाज की भागीदारी शामिल हो। इस प्रकार सरकार स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े नए अनुसंधानों में वैज्ञानिकों, विज्ञान शिक्षकों, शोधार्थियों व तकनीकीविदों को जनता से सीधे जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और उनके प्रयोगों में जनभागीदारी सुनिश्चित कर रही है। हालांकि इस नीति में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी प्रयोगशालाओं, गैर–लाभकारी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों के परियोजना प्रस्तावों के लिए कुल परियोजना राशि की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। एम.एन.आर.ई. द्वारा बारहवीं योजना अवधि के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 523.43 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता के साथ विभिन्न अनुसंधान और विकास से जुड़े प्रयोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों व उद्योगों की 112 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यदि आप नवीकरणीय ऊर्जा पर कार्यरत शोध व अनुसंधान

हाल ही में कैबिनेट द्वारा ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर कार्यक्रम के द्वितीय चरण को मंजूरी मिली है। इससे छत पर सौर–प्रणालियों की स्थापना की दिशा में आम जन की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 फरवरी, 2019 को वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर परियोजनाओं से 40,000 मेगावॉट की संचयी क्षमता के लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए ग्रिड से जुड़े छत सौर कार्यक्रम के द्वितीय चरण के लिए 11,814 करोड़ रुपये की कुल धनराशि को मंजूरी दी गई है। दिसंबर 2018 तक स्थापित क्षमता 1.4 गीगावॉट थी। मूल रूप से द्वितीय चरण की योजना दिसंबर 2017 में प्रस्तावित की गई थी जो भारत के सोलर ट्रांसफिगरेशन के लिए सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत थी। द्वितीय चरण के कार्यक्रम में आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का पुनर्गठन किया गया है। इसमें रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 3 किलोवॉट क्षमता और 40 किलोवॉट से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए 20 प्रतिशत और 10 किलोवॉट तक की उपलब्धता है। द्वितीय चरण के कार्यक्रम के अंतर्गत डिस्कॉम की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में प्राप्त रूफटॉप सोलर क्षमता के आधार पर

डिस्कॉम को प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पिछले वर्ष विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और नव विकास बैंक की ओर से लगभग 1375 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रियायती ऋण सोलर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक को उपलब्ध कराए गए हैं।

सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न स्तरों के लाभार्थियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) के बीच हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। एनआईएसई और यूएनआईडीओ विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री विकसित करते हुए भारत में बेहतरीन स्वच्छ ऊर्जा पद्धतियों को लाने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों और वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ जोड़ेंगे। यह समझौता यूएनआईडीओ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही वर्तमान में जारी एमएनआरई–जीईएफ–यूएनआईडीओ परियोजना का भाग है और इसका उद्देश्य कोयले, डीज़ल, भट्ठी तेल आदि जैसे परंपरागत जीवाश्म ईंधन को बदलने के लिए उपयोग में लाई जा रही संकेंद्रित सौर तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सीएसटी) में तकनीकी मानव–शक्ति के क्षमता निर्माण और कौशल विकास में सहायता प्रदान करना तथा औद्योगिक संसाधित ऊष्मांश अनुप्रयोगों की लागत और उत्सर्जन में कमी लाना है।

देशभर में विभिन्न स्थानों पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी (एनआईएसई) राज्य नोडल एजेंसियों के सहयोग से सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण देकर युवाओं को तैयार किया जा रहा है, जिन्हें 'सोलर मित्र' नाम दिया गया है। दसवीं पास और इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, शीट मैटल में आईटीआई कर चुके युवा सूर्य मित्रों के लिए उपयुक्त उम्मीदवार है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के कौशल को विकसित करना, भारत और विदेशों में बढ़ते सौर ऊर्जा रोजगार के अवसरों को देखते हुए ऊर्जा परियोजना की स्थापना, संचालन और रखरखाव करना है। 'सूर्यमित्र' कार्यक्रम में उम्मीदवारों को नए उद्यमियों के रूप में भी तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 11,000 से भी अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। सौर मित्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने और जागरूकता के लिए मोबाइल ऐप अरुण (अटल रुफटॉप सोलर यूजर नेवीगेटर) भी उपलब्ध है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस संगठन में 121 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें ऐसे देश शामिल हैं जो मकर और कर्क रेखा पर पड़ते हैं। आईएसए ने 6 दिसंबर, 2017 को भारत में अपने मुख्यालय के साथ कानूनी इकाई के तौर पर कार्य करना शुरू कर दिया। 11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्थापन सम्मेलन में 23 देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इसमें 6 उपराष्ट्रपति, उप–प्रधानमंत्री और 19 मंत्री शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा, 'प्रधानमंत्री जी, आपने एक सपना देखा, जिसे साकार किया जा रहा है। दो साल पहले यह सिर्फ एक विचार था, जिस पर इतनी जल्दी काम हुआ और अब बड़ा बदलाव हो रहा है।' माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की मुहिम जिस तरह तेज हुई है, उसमें इस सम्मेलन ने भारत को दुनिया में सौर ऊर्जा की राजधानी के तौर पर स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय गुरुग्राम में बनाया गया है। एक उपलब्धि यह भी है कि भारत को इस गठजोड़ में फ्रांस जैसे उन्नत सोलर तकनीक वाले देश का सहयोग मिला है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम शुरू किया है। हम 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावॉट बिजली उत्पन्न करेंगे जिसमें से 100 गीगावॉट बिजली सौर ऊर्जा से होगी। हमने इसमें से 20 गीगावॉट स्थापित सौर ऊर्जा का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया है।

भारत में ऊर्जा की बढ़ोतरी अब परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बजाए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अधिक हो रही है। अटल ज्योति योजना का उद्देश्य अपर्याप्त बिजली वाले क्षेत्रों में सौर–ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट को स्थापित करना है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सोलर स्टडी लैंप स्कीम से 70 लाख बच्चों को रोशनी मिल रही है। अगर हम सौर ऊर्जा से दूसरी प्रौद्योगिकी को जोड़ दें, तो परिणाम और भी अच्छे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, सरकार द्वारा 28 करोड़ एलईडी बल्बों के वितरण से पिछले तीन साल में न सिर्फ 2 बिलियन डॉलर से अधिक की बचत हुई है बल्कि 4 गीगावॉट बिजली भी बची। यही नहीं, 3 करोड़ टन कार्बन–डाई–ऑक्साइड भी कम बनी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय की स्थापना के लिए 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सदस्यों को प्रत्येक वर्ष सौर ऊर्जा में 500 प्रशिक्षण स्लॉट प्रदान करेंगे। हमने पूरे विश्व में 143 मिलियन अमेरिकी डॉलर की 13 सौर परियोजनाएं या तो पूरी कर ली हैं या उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत 15 अन्य विकासशील देशों में 27 और परियोजनाओं के लिए 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने वाला है।

बायोगैस और बायो–सीएनजी को प्रोत्साहन

बायोगैस और बायोमास उत्पादन में भारत का विश्व में छठा स्थान है। बायोगैस को देश में भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गोबर धन योजना की शुरुआत की गई जिसमें कृषि व पशु अपशिष्ट पदार्थ को कम्पोस्ट, बायोगैस और बायो–सीएनजी में परिवर्तित किया जाएगा। सरकार जिन 115 जिलों को विकास का मॉडल बनाने की तैयारी में है,

पिछड़े इलाकों को आर्थिक मजबूती देना चाहती है जिससे भविष्य में गांवों के मॉडल को एक नया रूप देने में मदद मिलेगी।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बैठक और एक्सपो (अक्षय ऊर्जा निवेश 2019) भारत में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक आयोजित होगा। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी महासभा के साथ–साथ सम्पन्न होगी। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना तथा भारत की वर्तमान अक्षय ऊर्जा सफलता–गाथा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना इस आयोजन का उद्देश्य है।

वहां गैलवनाइज़िंग ऑर्गेनिक बायो–एग्रो रिसोर्स धन (गोबर धन) योजना मुख्य भूमिका निभाएगी। गोबर धन योजना के तहत पहले चरण में चयनित 115 जिलों के गांवों में ठोस कचरे और जानवरों के मलमूत्र का उपयोग खाद बनाने के लिए आरंभ किया गया है, जिसे बायोगैस के निर्माण में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना से देश में बड़ी मात्रा में बर्बाद हो रहे गोबर एवं मानव व पशु मलमूत्र का उपयोग हो सकेगा। गोबर धन योजना से पशु मलमूत्र और फसल कटाई के बाद बचे अवशेष का भी मूल्य किसान को मिल सकेगा। किसी कारणवश खराब हो चुकी फसल को सीधे बायोमास के तौर पर बायोगैस ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग में लाया जा सकेगा और किसान को उसके दाम भी मिल सकेंगे।

देश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए गोबर धन योजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों का बड़े स्तर पर निर्माण और बायोगैस का अधिकतम उपयोग देश की ऊर्जा मांग को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। वर्तमान में स्वीडन में बायोगैस ईंधन से बसें चलाई जा रही हैं और बायोगैस से चलने वाली ट्रेन का निर्माण किया गया है। भारत में 2022 तक बायो गैस उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है इसलिए बायोगैस के विकास की प्रचुर संभावना है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन के बजाय इसीलिए भी बेहतर है क्योंकि यह सस्ती और नवीकृत ऊर्जा है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह फायदेमंद है क्योंकि इसे छोटे संयंत्रों में भी बनाया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र में ऊर्जा फसलों के उपयोग से भी बायोगैस बनाई जाती है। ऊर्जा फसलों यानी एनर्जी क्रॉप्स को भोजन के बजाय जैव–ईंधन के लिए उगाया जाता है।

गोबर धन योजना में किसानों को आर्थिक सहायता के साथ–साथ आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसान खुद से अपनी खाद का निर्माण कर सकें और अपनी कृषि प्रणाली को मजबूत बना सकें। सरकार इस योजना में गांव एवं

वर्ष 2018–19 की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन है। भारत दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों को लागू करने वाले देशों में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुका है। विश्व–स्तर पर भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांचवें और नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में पांचवें पायदान पर है। यह भी चर्चा का विषय है कि कुल विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वर्ष 2014–15 के 6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018–19 में 10 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों में अतिरिक्त निवेश लगभग 80 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा, जबकि वर्ष 2023–30 अवधि के दौरान 250 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा। समीक्षा में यह भी कहा गया है कि इन संसाधनों का दोहन ऊर्जा सुरक्षा, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन में कमी के साथ ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने और सामाजिक समानता हासिल करने संबंधी भारत के विज़न का एक हिस्सा है।

ऊर्जा तक लोगों की पहुंच बढ़ाना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि विकसित देशों में इस वजह से पर्यावरण को ऐतिहासिक रूप से हुई भारी क्षति के बजाय यह भारत में पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नुकसान के साथ हासिल हो। भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के अत्यधिक अवसर हैं। भारत सरकार अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की परियोजनाओं के लिए शत–प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देती है। वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत की स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है।

(लेखक विज्ञान प्रसार, भारत सरकार में बतौर वैज्ञानिक 'ई' कार्यरत हैं और विज्ञान संचार के राष्ट्रीय आयोजनों से संबद्ध हैं।)
ईमेलः nimish2047@gmail.com

बाल स्वास्थ्य और पोषाहार योजनाएं

–डॉ. ज्योति शर्मा

देश के प्रत्येक बच्चे को जीवित व स्वस्थ रहने, पोषाहार, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता का अधिकार है। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, पोषाहार और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस लेख में बाल स्वास्थ्य और पोषाहार से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है।

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां की आबादी में बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। किसी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक बाल स्वास्थ्य और पोषाहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत ने देश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर में कमी करके 2030 तक इसे जीवित जन्म लेने वाले प्रति 1,000 बच्चों पर 25 करने की वचनबद्धता व्यक्त की है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिदृश्य में इस संख्या को 2025 तक 23 पर लाने का लक्ष्य रखा है।

भारत के संविधान में बच्चों को बुनियादी अधिकार दिए गए हैं और राज्यों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करें। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के साथ बढ़ने और विकास करने के लिए दीर्घकालीन, चिरस्थायी, बहुक्षेत्रीय, समन्वित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इस नीति में यह भी माना गया है कि देश के प्रत्येक बच्चे को जीवित व स्वस्थ रहने, पोषाहार, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता का अधिकार है। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य, पोषाहार और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

बाल मृत्युदर में कमी लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत क्रियान्वित किए जाने वाले बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत यह बात महसूस की गई है कि प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य पर एक–दूसरे से अलग–अलग विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विभिन्न आयु वर्ग की हमारी जनसंख्या के स्वास्थ्य के स्तर से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए इसमें विभिन्न कार्यक्रमों को व्यापक रूप से समन्वित कर दिया गया है। एक किशोरी के स्वास्थ्य का असर गर्भावस्था पर पड़ता है, जबकि गर्भवती माता के स्वास्थ्य से नवजात शिशु और बच्चे का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। इसीलिए जीवनचक्र के विभिन्न चरणों के कार्यक्रमों के साथ–साथ ऐसे उपाय करने जरूरी हैं जो आपस में जुड़े हुए हों।

इसी तरह, पारिवारिक या सामुदायिक शिक्षा से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं की रोकथाम में मदद मिलती है; सामुदायिक–स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल से अस्पताल में भर्ती करने की नौबत नहीं आने पाती; और प्राथमिक देखभाल के स्तर पर मजबूत परामर्श सेवा की सुविधा होने पर जोखिमों की शीघ्र पहचान की जा सकती है जिससे गंभीर और जटिल मामलों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। इसीलिए महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों पर आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। प्राथमिक यानी घर से लेकर

सामुदायिक–स्तर तक सभी स्वास्थ्य–केंद्रों में इसके लिए इंतजाम होने जरूरी हैं। इस तरह स्वास्थ्य देखभाल के दो आयाम हैं: (i) जीवनचक्र का चरण (चित्र–1); और (ii) वे स्थान जहां स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जानी हैं (चित्र–2)। इन दोनों के समन्वय से ही स्वास्थ्य देखभाल का अटूट सिलसिला बनता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल में तत्काल चिकित्सा देखभाल, नवजात शिशु की रोजमर्रा की देखभाल, बीमार शिशु की देखभाल, बाल पोषाहार (जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति भी शामिल है), बचपन की आम बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और नवजात शिशु तथा बचपन की आम बीमारियों का इलाज शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (2017–18) के अनुसार जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 712 विशेष नवजात देखभाल इकाइयों की स्थापना की गई है ताकि बीमार नवजात शिशुओं को चौबीस घंटे सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बेहद गंभीर तरीके से कुपोषित बच्चों को चिकित्सा और पोषाहार संबंधी देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर 1148 पोषाहार पुनर्वास केंद्र स्थाापित किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष से देशभर में टीकाकरण सेवाओं का दायरा बढ़ाने में मदद मिली है।

राष्ट्रीय पोषण अभियान

पोषण को मानव विकास, गरीबी कम करने और आर्थिक विकास के लिए सबसे किफायती उपाय माना जाता है। वर्ष 2017–18 में शुरू किए गए पोषण अभियान में देश के सबसे पिछड़े जिलों में अल्प–पोषण, शारीरिक बढ़वार रुकने, रक्ताल्पता और जन्म के समय कम वज़न के मामलों में कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पोषण अभियान का बजट परिव्यय 9046.17 करोड़ रुपये है और यह विभिन्न मंत्रालयों के पोषण–संबंधी तमाम कार्यक्रमों की निगरानी और पर्यवेक्षण करता है। इसे कुपोषण की समस्या से संबंधित विभिन्न योजनाओं का जायज़ा लेकर उनके बीच मजबूत तालमेल कायम करने की प्रणाली बनाने के उद्देश्य से गठित किया गया है। पोषण अभियान के तहत प्रस्तावित पहलों में कार्यक्रम क्रियान्वयन की रियल टाइम निगरानी करना, आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के कद को मापने की व्यवस्था शुरू करना, लक्ष्य प्राप्त करने

चित्र–1 : जीवन–चक्र के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य देखभाल

जीवनचक्र के विभिन्न चरणों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में समन्वय

चित्र–2 : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य केंद्र में बाल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का ढांचा

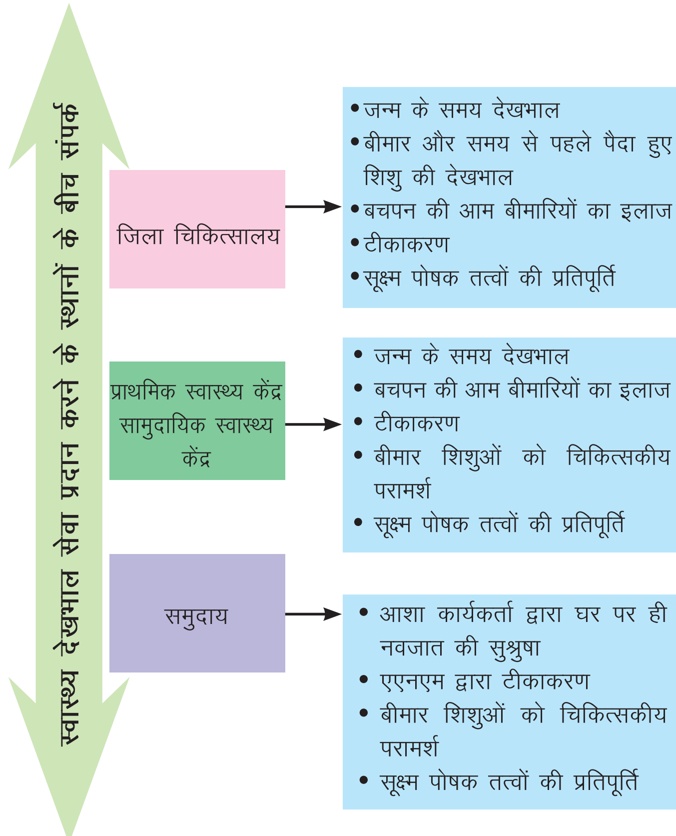

पर राज्यों को प्रोत्साहन देना और जन–आंदोलन के माध्यम से आम लोगों को अभियान में शामिल करना शामिल है।

पोषण अभियान को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें 2019–20 तक देश के सभी राज्यों और जिलों को अभियान के दायरे में लाने का भी लक्ष्य रखा गया है जिनमें से 315 को 2017–18 में, 235 को 2018–19 में और बाकी सभी जिलों को 2019–20 तक अभियान के दायरे में लाने का भी लक्ष्य है। देश में ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका सीधा असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोषक आहार के स्तर पर पड़ता है। पोषण अभियान में इन सबके बीच तालमेल कायम करने और उनके बीच कारगर समन्वय का लक्ष्य रखा गया है ताकि जीवनचक्र के विभिन्न चरणों में (गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक) पोषण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

सबसे बड़ा पोषण प्रतिपूर्ति कार्यक्रम समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) ही है। 2 अक्तूबर, 1975 में शुरू किया गया यह समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम दुनिया के सबसे अनोखे और बड़े कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य 0 से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करना है।

इस कार्यक्रम के तहत कई सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है जिसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और छह साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, 3–6 साल के बच्चों को अनौपचारिक स्कूल–पूर्व शिक्षा और 15 से 45 साल की महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा दी जाती है।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत छह सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से गांवों में स्वास्थ्य और पोषण तथा स्वच्छता दिवस के दौरान एएनएम के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

आईसीडीएस के पोषण संबंधी घटक का उद्देश्य निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराना है:

- 6 महीने से 6 साल तक के स्कूल–पूर्व बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और चुनी हुई किशोरियों को पूरक भोजन;
- माताओं को पोषण की शिक्षा देकर खुराक में सुधार और उसमें विविधता लाना;
- शिशुओं और छोटे बच्चों को उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए पोषण शिक्षा;
- बच्चों की बढ़वार की निगरानी और बढ़वार में अवरोध का पता लगाना।

आईसीडीएस योजना का पूरक पोषण कार्यक्रम भारत में गर्भवती और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा बच्चों में कुपोषण और खाद्य असुरक्षा की समस्या के समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को बुनियादी तौर पर अनुशंसित खुराक भत्ते और औसत दैनिक खुराक के बीच अंतर को पाटने के लिए बनाया गया है और इसका उद्देश्य 0–6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त पोषक आहार सुनिश्चित करना है।

चित्र : पोषण अभियान की क्रियान्वयन प्रणाली

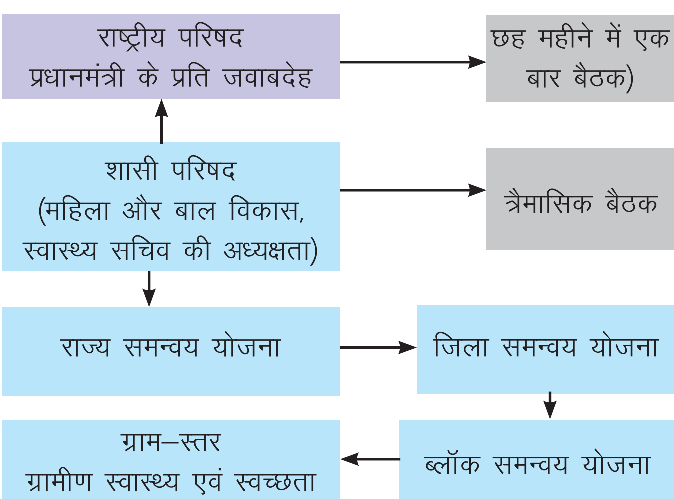

तालिका–1 : आईसीडीएस के तहत सेवाओं का पैकेज

लाभार्थी	सेवाएं*
गर्भवती महिलाएं	स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, पूरक पोषण, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा
शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताएं	स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा
3 साल से कम उम्र के बच्चे	बच्चों की बढ़वार की निगरानी पूरक पोषण स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य परामर्श
3–6 साल के बच्चे	पूरक पोषण बच्चों की बढ़वार की निगरानी स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य परामर्श अनौपचारिक स्कूल–पूर्व शिक्षा
किशोरियां	पूरक पोषण स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए–2013) की धारा 5(1) के अनुसार 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे उपयुक्त भोजन निःशुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। यह आहार उन्हें स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि एनएफएसए द्वारा निर्दिष्ट पोषण संबंधी मानदंड पूरे हो सकें। पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों, शिशुओं को स्तनपान कराने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं को कच्चा राशन उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल–पूर्व शिक्षा के लिए रोज़ाना आने वाले बच्चों को (3–6 साल) सुबह का नाश्ता और पका हुआ गर्म खाना भी उपलब्ध कराया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण पूरक पोषण समय से उपलब्ध कराने के लिए खरीद प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण किया गया। इसके अंतर्गत बिचौलियों की भागीदारी को समाप्त किया गया और स्थानीय तौर पर पसंद किया जाने वाला भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय स्वयंसहायता समूहों और महिला–मंडलों को काम पर लगाने को प्रोत्साहित किया गया। लाभार्थियों के लिए सुबह का नाश्ता और गर्मागर्म भोजन तैयार करने में तरह–तरह की व्यंजन विधियां विकसित की गई हैं और राशन घर ले जाने का भी प्रावधान है। डीएफएम ने भोजन को स्वादिष्ट बनाने, गुणवत्ता का आश्वासन देने और भोजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की है। गांवों की महिलाओं के लिए आर्थिक और राजनीतिक पूंजी के सृजन तथा खरीद और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी यह मददगार साबित हुई है। आईसीडीएस सेवाएं अब आंगनवाड़ी केंद्रों में

समुदाय–आधारित कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

ग्रामीण/शहरी परियोजनाओं के तहत एक आंगनवाड़ी केंद्र 400–800 की आबादी और जनजातीय इलाकों में 300–800 की आबादी की जरूरतें पूरी करता है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र 150–400 की आबादी की आवश्यकता पूरी करता है। आईसीडीएस ने 1975 में बेहद छोटे स्तर पर शुरुआत की थी और आज यह भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम का बड़ी तेजी से विस्तार हुआ है और आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या पिछले एक दशक में 4891 से 6.4 लाख हो गई है। इतना ही नहीं पिछले दशक में कार्यशील केंद्रों की संख्या बढ़कर 2015–16 में 13.4 लाख हो गई है। इस समय आईसीडीएस देश में 83 लाख छोटे बच्चों और 19 लाख गर्भवती और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आवश्यकताएं पूरी करता है।

बजट आवंटन और आईसीडीएस का पुनर्गठन

आईसीडीएस केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है। वित्त वर्ष 2005–07 तक भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम को छोड़कर बाकी तमाम आधानों के लिए 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध करायी जाती थी। पूरक पोषण कार्यक्रम का सारा खर्च राज्य सरकार उठाती थी। वित्त वर्ष 2009–10 में वित्तपोषण के तरीके में बदलाव किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अब देश के बाकी राज्यों में पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए खर्च अब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 का है।

जिला–स्तर पर आईसीडीएस का संगठनात्मक ढांचा

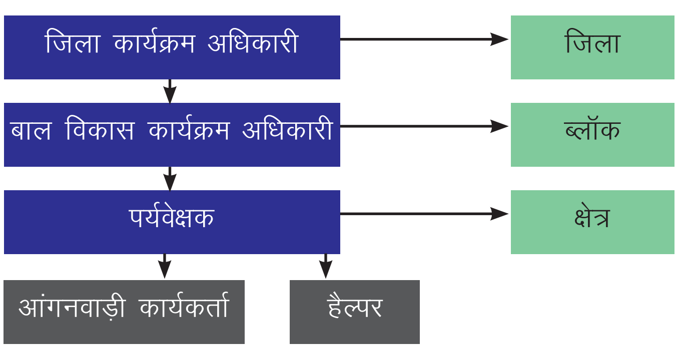

आईसीडीएस प्रणाली को सुदृढ़ करने और इसके पुनर्गठन के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं ताकि सेवा प्रदान करने में सुधार हो सके।

- बुनियादी ढांचे और सेवा उपलब्ध कराने में सुधार के लिए 'नंदघर' जैसी सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजनाओं को बढ़ावा देकर बेहतर नतीजे प्राप्त करना।
- कुछ राज्यों में खाद्य पदार्थों की विकेंद्रित खरीद एक सकारात्मक कदम है; आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और वार्ड सदस्य के नाम पर संयुक्त खाता, राज्य के लिए मानक मेन्यू, समुदाय–आधारित निगरानी व्यवस्था; आंगनवाड़ी केंद्र में मानक मेन्यू को प्रदर्शित किया जाना; निगरानी और पर्यवेक्षण में ग्राम पंचायत की भूमिका, भोजन पकाने आदि के कार्य में महिला स्वयंसहायता समूहों को शामिल करने से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलती है।
- उन्नत प्रबंधन सूचना प्रणाली और सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का उपयोग करके निगरानी और पर्यवेक्षण से गुणवत्ता सुधार में मदद मिलेगी। सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के उपयोग और चुने हुए राज्यों में प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयासों से सेवा प्रदान करने में सुधार लाने में मदद मिल रही है।

मध्याह्न भोजन योजना

स्कूलों में बच्चों को भोजन देने के कार्यक्रमों को सामाजिक संरक्षण के क्षेत्र में दीर्घावधि निवेश की तरह देखा जाता है जिसके कई फायदे होते हैं। इनसे तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरे होते हैं: समाज के सबसे दुर्बल वर्गों के बच्चों को इसके दायरे में लाकर सामाजिक समानता स्थापित करना, शिक्षा तक बच्चों की पहुंच बढ़ाकर उनकी पढ़ाई में मदद के जरिए उनकी शैक्षिक उन्नति और उनके पोषाहार की स्थिति तथा संपूर्ण स्वास्थ्य का संरक्षण। इसके अलावा, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने से उनके परिवारों की आमदनी में भी मदद मिलती है। दोपहर के भोजन से स्कूल में पढ़ने वाले दुर्बल

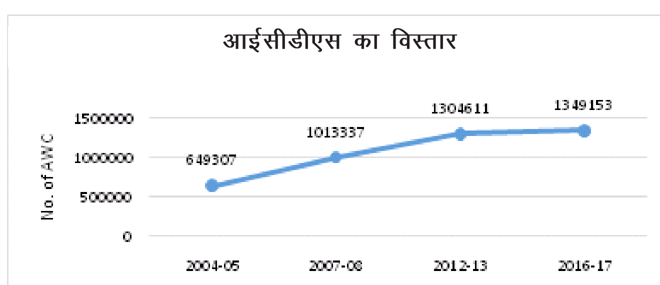

वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में भी संभवतः मदद मिलती है जिससे वर्ग असमानता समाप्त होती है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में हुई थी। इसके अंतर्गत दो साल के अंदर सभी सरकारी और सहायता–प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की जानी थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त कैलोरी वाला पका हुआ/प्रसंस्कृत भोजन सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सहायता–प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

केंद्र और राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए एकजुट होकर कार्य करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा योजना को लागू करते समय अनुपालन करने के लिए दिशानिर्देश जारी करती है। इसी संबंध में कुछ राज्यों ने अपने अलग दिशानिर्देश भी बनाए हैं।

मध्याह्न भोजन योजना दिशानिर्देश (2006) और संशोधित दिशानिर्देश 2017 के अनुसार, जहां भी संभव हो, सरकार को इस कार्यक्रम के लिए सामुदायिक सहयोग हासिल करना चाहिए और सार्वजनिक–निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए मुनाफे के मकसद से काम न करने वाले संगठनों और स्वयंसहायता समूहों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे क्रियान्वयन करने वाले संगठन के रूप में कार्य कर सकें।

वर्ष 2016–17 में 11.40 लाख स्कूलों के 9.78 करोड़ बच्चों को पके हुए पोषक आहार का फायदा मिला। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और बच्चों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 8.17 लाख रसोई सहभंडार बनाए गए हैं। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2016–17 के दौरान 25.38 लाख रसोइयों/सह–हैल्परों को काम पर रखा गया। वर्ष 2014–15 और 2015–16 में स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों को मध्याह्न भोजन के दायरे में लाने की स्थिति लगभग एक जैसी रही। उत्तर प्रदेश और झारखंड में मध्याह्न भोजन सेवा का उपयोग न्यूनतम रहा।

बजट आवंटन

मध्याह्न भोजन योजना में बॉटम अप यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाने वाला तरीका अपनाया जाता है जो राज्यों/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा भेजी गई वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट पर आधारित होता है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे योजनाएं स्कूल–स्तर पर सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बनाएं। मध्याह्न भोजन योजना के लिए बजट आवंटन के अंतर्गत निम्नलिखित मानदंडों को शामिल किया जाता है:

- प्राइमरी स्कूलों के लिए प्रति बालक रोज़ाना 100 ग्राम और अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए 150 ग्राम की दर से खाद्यान्न।
- पात्र स्कूलों/कार्यान्वयन एजेंसियों को दालों, सब्जियों, तेल/घी, नमक, मसाले और ईंधन सहित पकाने की लागत।
- मध्याह्न भोजन में शामिल वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि के असर की भरपाई के लिए पकाने की लागत में 2010 से 7.5 प्रतिशत की दर से सालाना बढ़ोतरी की गई है।

खाना पकाने की वर्तमान दैनिक लागत प्राथमिक–स्तर के लिए 4.33 रुपये प्रति बालक और उच्च प्राथमिक–स्तर पर 6.18 रुपये है। (2016)

ऊपर बताई गई पहलों से भारत में भुखमरी और कुपोषण की समस्या के समाधान की राजनीतिक वचनबद्धता रेखांकित होती है। पौष्टिक आहार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को लागू करने में विद्यमान कमियों को दूर करने, समानता लाने और सेवाओं का दायरा बढ़ाने जैसी चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है, क्योंकि देश में बच्चों में पौष्टिक आहार की समस्या के समाधान के लिए ये सब बहुत जरूरी हैं।

(लेखिका पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ, दिल्ली में एडीशनल प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : jyoti@iiphd.org

वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार

भारत सरकार के प्रमुख विचार मंच नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (डब्ल्यूटीआई) पुरस्कारों का चौथा संस्करण आरंभ किया है। नामांकन व्यक्ति विशेषों की तरफ से या खुद व्यक्ति विशेष द्वारा https://wep.gov.in. पर किए जा सकते हैं। पुरस्कार के लिए आवेदन आरंभ हो चुके हैं।

2016 में अपनी शुरूआत से ही डब्ल्यूटीआई पुरस्कार पूरे भारत की अनुकरणीय महिलाओं की गाथाओं को सम्मानित करते रहे हैं। डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2019 के लिए थीम 'महिला एवं उद्यमशीलता' है जो पिछले संस्करण की थीम की निरंतरता में है। यह ऐसी महिला उद्यमियों को सम्मानित करता है जो व्यवसायों और उद्यमों के माध्यम से रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ती रही हैं और एक गतिशील नवीन भारत के निर्माण में नवोन्मेषी विकास संबंधी समाधान उपलब्ध कराती रही हैं। वाट्सअप ने डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2019 के लिए डब्ल्यूईपी के साथ करार किया है और वह विजेताओं को 100,000 डॉलर के बराबर की सहायता प्रदान करेगा।

यह अभियान पिछले तीन वर्षों के दौरान डब्ल्यूटीआई पुरस्कारों की सफलता पर आधारित है। डब्ल्यूटीआई पुरस्कार 2018 के लिए 2300 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। एक उच्च वस्तुपूरक और सख्त चयन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, स्वच्छता, कला एवं संस्कृति, सामाजिक नवन्मेषण एवं प्रभाव में प्रेरक कार्य करने वाली 15 महिला उद्यमियों को सम्मानित किया गया। डब्ल्यूटीआई पुरस्कारों के पहले दो संस्करणों में 12 असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया जिसमें से प्रत्येक महिला ने भारत के नगरों, शहरों एवं गांवों में समाजों को रूपांतरित करने तथा खुद को एवं अपने समुदायों को अधिकार–संपन्न बनाने के लिए असाधारण कार्य किया था।

जल-संरक्षण की दिशा में पहल

–अनुराग दीक्षित

पानी को लेकर पूरी दुनिया में बढ़ने वाली मुश्किलों के चलते बेहतर है कि बारिश की एक–एक बूंद को बचाया जाए और हर नागरिक को अपनी इस जिम्मेदारी का अहसास कराया जाए। सदियों से हमारे पूर्वज इस दिशा में काम करते रहे हैं। हाल–फिलहाल में भी इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। मात्र पिछले दो महीनों में जलशक्ति अभियान के तहत जल–संरक्षण हेतु 5 लाख से अधिक बुनियादी ढांचे बनाए गए हैं। केरल में कुट्टूमपेरूर नदी को मनरेगा के तहत मात्र 70 दिनों में पुनर्जीवित किया गया।

''मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन–आंदोलन का रूप दे दिया। आइए, वैसे ही जल–संरक्षण के लिए एक जन–आंदोलन की शुरुआत करें।'' ये शब्द भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हैं। प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2019 को अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार 'मन की बात' कार्यक्रम में ये उद्‌गार व्यक्त किए। उन्होंने लोगों से जल–संरक्षण के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि जल–संरक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक तौर–तरीकों को साझा करने की जरूरत है।

2014 से 2018 के बीच मनरेगा बजट से इतर केवल जल–प्रबंधन पर ही सालाना 32 हज़ार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। 2017–18 में 64 हज़ार करोड़ रुपये के कुल खर्चे की 55 प्रतिशत राशि यानी क़रीब 35 हज़ार करोड़ रुपये जल–संरक्षण जैसे कामों पर ही खर्च की गई। सरकार के इन प्रयासों के चलते ही तब तीन सालों में करीब 150 लाख हेक्टेयर ज़मीन को इससे फायदा मिला था। प्रधानमंत्री ने पानी की एक–एक बूंद को बचाने की जरूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में पानी को लेकर पूरी दुनिया में बढ़ने वाली मुश्किलों के चलते बेहतर है कि बारिश की एक–एक बूंद को बचाना हर किसी की जिम्मेदारी हो।

सदियों से हमारे पूर्वज इस दिशा में काम करते रहे हैं। मनारकोविल, चिरान महादेवी, कोविलपट्टी या पुदुकोट्टई के साथ–साथ तमिलनाडु के मंदिरों में जल–प्रबंधन के बारे में शिलालेख मौजूद हैं। गुजरात में अडालज और पाटन की रानी की बावड़ी के साथ ही राजस्थान में जोधपुर में चांद बावड़ी जल–संरक्षण के प्राचीन प्रमाण हैं। पिछले 3–4 वर्षों में इस दिशा में काम भी हो रहा है। केरल में कुट्टूमपेरूर नदी को मनरेगा के तहत काम करके 70 दिनों में पुनर्जीवित किया गया। साथ ही, फतेहपुर ज़िले में ससुर और खदेरी नामक दो छोटी नदियों को भी पुनर्जीवित किया गया।

केंद्र सरकार ने जल–संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक एकीकृत मंत्रालय का गठन किया है, जिसे 'जलशक्ति मंत्रालय' नाम दिया गया है। इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है। रतनलाल कटारिया राज्यमंत्री है। प्रधानमंत्री की जल–संरक्षण की अपील के अगले ही दिन केंद्र सरकार ने जल–संरक्षण अभियान शुरू कर दिया। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री ने 1 जुलाई, 2019 को जल–संरक्षण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश के 256 जिलों के ज्यादा प्रभावित 1592 ब्लॉकों को प्राथमिकता के आधार

पर चुना गया। इस अभियान को दो चरणों में चलाना तय किया गया है। पहला चरण 1 जुलाई, 2019 से शुरू होकर 15 सितंबर, 2019 तक चलेगा तो दूसरा चरण एक अक्टूबर, 2019 से शुरू होकर 30 नवंबर, 2019 तक। इस अभियान का फोकस पानी के कम दबाव वाले जिलों और ब्लॉकों पर होगा। दरअसल इस अभियान का मकसद जल–संरक्षण के फायदों को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है ताकि देश के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने में सहभागिता और जागरूकता का लाभ मिल सके। जलशक्ति अभियान पेयजल और स्वच्छता विभाग की पहल पर कई मंत्रालयों के साथ–साथ राज्य सरकारों का एक मिला–जुला प्रयास है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ मिलकर जल संरक्षण को लेकर मंत्रालय द्वारा तय किए गए पांच बिंदुओं पर काम करेंगे ताकि मंत्रालय तय समय में अपना लक्ष्य हासिल कर सके। जलशक्ति मंत्रालय का लक्ष्य साल 2024 तक देश के हर घर में पीने का साफ पानी मुहैया कराना है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी अपना पहला बजट पेश करते वक्त ही साफ कर दिया था कि अगले 5 साल में देश के हर नागरिक को पीने का साफ पानी मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए जल–संरक्षण को मिशन तौर पर लागू किया गया है ताकि वर्षाजल संरक्षण, जल–संरक्षण और जल प्रबंधन वॉटर को बढ़ावा मिल सके।

जलशक्ति मंत्रालय ने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। इनमें प्रमुख हैं– गंगा संरक्षण, नदियों को आपस में जोड़ना, बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, बांध पुनर्वास, क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, नमामि गंगे, राष्ट्रीय जल मिशन कार्यान्वयन, नदी बेसिन प्रबंधन, भूजल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का विकास।

पानी के मोर्चे पर देश की मौजूदा स्थिति को भी समझना जरूरी है। साल 2018 की नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में करीब 60 करोड़ लोगों को पानी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। देश के करीब 75 फीसदी घरों में आज़ादी के सात दशक बाद भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। जबकि ग्रामीण इलाक़ों के हालात तो और बदतर हैं, जहां 84 फीसदी घरों में अभी भी जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, देश में 70 फीसदी पानी दूषित है। तभी तो जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत दुनिया की 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। जल सूचकांक रैंकिंग के मामले में देश में गुजरात पहले पायदान पर है तो मध्य प्रदेश दूसरे जबकि आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और झारखंड़ सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल हैं! यकीनन ये स्थिति बेहद गंभीर है क्योंकि पिछड़े राज्यों में देश की आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है।

भूजल इस्तेमाल करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रिपोर्ट बताती है कि भारत अकेले इतना भूजल इस्तेमाल करता है जितना कि अमेरिका और हमसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क चीन मिलकर करते हैं! वैसे समझना ये भी जरूरी है कि हम कितने भूजल का इस्तेमाल कहां करते हैं। दरअसल देश के 89 प्रतिशत भूजल का इस्तेमाल कृषि में होता है। जबकि पीने के पानी के तौर पर 9 प्रतिशत भूजल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं उद्योग–धंधों में केवल 2 प्रतिशत भूजल का इस्तेमाल होता है। हालांकि गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो शहरों में पीने के पानी की 50 प्रतिशत जरूरत भूजल से ही पूरी होती है जबकि ग्रामीण इलाक़ों में पीने के पानी की 85 प्रतिशत ज़रूरत के लिए अकेले भूजल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ज़ाहिर है देश की आबादी का बड़ा हिस्सा पानी की अपनी जरूरत के लिए भूजल पर ही आश्रित है। इसी का असर है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड बताता है कि साल 2007 से 2017 के बीच देश के भूजल–स्तर में

'समग्र शिक्षा– जल सुरक्षा' अभियान

देश के सभी स्कूली बच्चों में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 9 अगस्त, 2019 को 'समग्र शिक्षा– जल सुरक्षा' अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री की जलसंचय अपील से प्रेरित होकर भारत सरकार ने जलशक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया है। यह निश्चित समयावधि का अभियान है जिसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है। जल संरक्षण की अवधारणा छात्रों के लिए जरूरी है ताकि वे पानी के महत्व को समझ सकें और जान सकें कि यह कैसे उनके जीवन को सार्थकता के साथ आकार देता है, जिससे उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में जल संरक्षण की गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आने वाले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूली बच्चों में जल संरक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'समग्र शिक्षा– जल सुरक्षा' अभियान की शुरुआत की है, ताकि वे देश के सक्षम, कर्तव्यनिष्ठ और प्रतिबद्ध जल नागरिक बन सकें। देश के सभी स्कूलों में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभाग ने इसकी एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की है।

पांच मुख्य उद्देश्य

1. स्कूली बच्चों को जल संरक्षण को लेकर शिक्षित करना।
2. जल की कमी से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर छात्रों को संवेदनशील बनाना।
3. छात्रों को पानी के प्राकृतिक स्रोतों को बचाना सीखने के लिए सशक्त बनाना।
4. प्रतिदिन एक लीटर पानी बचाना सीखने के लिए छात्रों की मदद करना।
5. घर एवं स्कूल–स्तर पर छात्रों को पानी के विवेकपूर्ण इस्तेमाल और न्यूनतम बर्बादी के लिए प्रोत्साहित करना।

लक्ष्य

एक छात्र	एक दिन	एक लीटर पानी की बचत
एक छात्र	एक साल	365 लीटर पानी की बचत
एक छात्र	10 साल	3650 लीटर पानी की बचत

मनरेगा के तहत जल संरक्षण

पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा एक ऐसी प्रमुख ताकत बनकर उभरा है जो समस्त ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इस योजना के जरिए पहले मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा संकट कम करने पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अब यह राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से जुड़े कार्यों के जरिए ग्रामीण आमदनी बढ़ाने के एक केंद्रित अभियान में तब्दील हो गई है। वर्ष 2014 में मनरेगा अनुसूची–I में संशोधन किया गया जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर करना होगा। परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत स्वीकृति योग्य कार्यों की एक सूची तैयार की गई है जिसमें ऐसी लगभग 75 प्रतिशत गतिविधियों या कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है जो जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण के प्रयासों को सीधे तौर पर बेहतर बनाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनआरएम से जुड़े कार्यों पर किए गए खर्चों में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

संसाधनों का लगभग 60 प्रतिशत राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) पर खर्च किया जाता है। एनआरएम से जुड़े कार्यों के तहत फसलों के बुवाई क्षेत्र (रकबा) और पैदावार दोनों में ही बेहतरी सुनिश्चित कर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। भूमि की उत्पादकता के साथ–साथ जल उपलब्धता भी बढ़ाकर यह संभव किया जाता है। एनआरएम के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में चेकडैम, तालाब, पारंपरिक जल क्षेत्रों का नवीनीकरण, भूमि विकास, तटबंध, फील्ड चैनल, वृक्षारोपण, इत्यादि शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान 143 लाख हेक्टेयर भूमि इन कार्यों से लाभान्वित हुई है।

जहां तक तकनीकी पक्ष का सवाल है, समुचित धनराशि जल–संरक्षण कार्यों पर खर्च की जा रही थी, कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण अपर्याप्त था और अक्सर ऐसी संरचनाएं तैयार की जाती थी जो अपेक्षित नतीजे नहीं देती थीं। इसे ही ध्यान में रखते हुए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय और भूमि संसाधन विभाग के साथ साझेदारी में मिशन जल–संरक्षण दिशा–निर्देश तैयार किए गए थे, ताकि ऐसे डार्क एवं ग्रे–ब्लॉक पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जहां भूजल का स्तर तेजी से गिर रहा था। इस साझेदारी से एक सुदृढ़ तकनीकी मैनुअल बनाने के साथ–साथ अग्रिम पंक्ति वाले श्रमिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों के तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाने में मदद मिली।

मनरेगा के तहत संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर काम किया जाता रहा है। एनआरएम कार्यों में जल संरक्षण की समस्या से निपटने के लिए एक पूर्ण टूलकिट शामिल है। इसके तहत विभिन्न कार्योंकलापों की सूची कुछ इस तरह से तैयार की जाती है जिससे कि यह राज्यों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति उनकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार कर सके। परिणामस्वरूप कई राज्य बड़े उत्साह के साथ जल–संरक्षण कार्यों को शुरू करने के लिए अपने संसाधनों को मनरेगा से जुड़ी धनराशि के साथ जोड़ने में समर्थ हो पाए हैं। इसके तहत नियोजन एवं कार्यान्वयन प्रयासों से समुदायों को भी जोड़ा जाता रहा है। हालांकि व्यक्तिगत लाभार्थियों की भी सेवाएं ली गई हैं, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। समुदाय ही कार्यों के चयन, लाभार्थियों के चयन और परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए जवाबदेह हैं। मनरेगा कोष को राज्यों की धनराशि के साथ जोड़ने से निम्नलिखित राज्य–स्तरीय योजनाओं को अत्यंत सफल बनाना संभव हो पाया है:

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य
1.	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान	राजस्थान
2.	जलयुक्त शिवहर अभियान	महाराष्ट्र
3.	डोभा या खेत तालाबों का निर्माण	झारखंड
4.	नीरू चेट्टू	आंध्र प्रदेश
5.	कपिल धरा	मध्य प्रदेश
6.	बोरवेल रिचार्ज	कर्नाटक
7.	उसर मुक्ति	पश्चिम बंगाल

इन योजनाओं को समस्त राज्यों के लगभग 50,000 गांवों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवहर अभियान से 22,590 गांवों में सकारात्मक असर पड़ा है, जबकि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान के समस्त 12,056 गांवों में अत्यंत सफल रही है। राजस्थान और महाराष्ट्र में किए गए स्वतंत्र आकलन से भूजल के स्तर में 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की वृद्धि, जल भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी, फसल तीव्रता में 1.25 से 1.5 गुना तक की वृद्धि, पानी के टैंकरों पर व्यय में उल्लेखनीय कमी और बेकार पड़े हैंडपंपों, नलकूपों एवं खुले कुओं का कायाकल्प होने के बारे में जानकारी मिली है। एनआईआरडी की टीम इन गांवों का दौरा करेगी, ताकि जल–संरक्षण कार्यों की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके। मंत्रालय व्यापक दस्तावेजों एवं आलेखों के साथ इस तरह के गांवों की पूरी सूची वेबसाइट पर डाल रहा है और इसके साथ ही नागरिकों से अनुरोध कर रहा है कि वे इन गांवों का दौरा करें और ज़मीनी हकीकत से वाकिफ हों। मंत्रालय 2 अक्टूबर, 2019 को उन सिविल सोसायटी और सामुदायिक नेताओं को पुरस्कृत करने की योजना बना रहा है जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख एनआरएम कार्यों की प्रगति

मनरेगा के तहत सृजित प्रमुख एनआरएम परिसंपत्तियां (31/03/2019 तक की स्थिति)

क्र. सं.	परिसंपत्ति का प्रकार	1 अप्रैल 2014 से लेकर अब तक पूर्ण
1	तालाब	20,03,744
2	खोदे गए कुएं	5,14,284
3	चेक डैम	5,22,645
4	तटबंध	2,02,125
5	खेत तालाब	18,10,754
6	वर्मी/एनएडीईपी खाद वाले गड्ढे **	10,53,227
7	सोखने वाले गड्ढे **	4,84,020

**सामुदायिक/व्यक्तिगत परिसंपत्तियां

दिल्ली स्थित आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) ने जनवरी, 2018 में मनरेगा के तहत एनआरएम कार्यों के साथ–साथ टिकाऊ आजीविकाओं पर इसके असर का राष्ट्रीय आकलन किया था। अध्ययन के दौरान राष्ट्रीय आकलन करते वक्त उत्पादकता, आमदनी, पशु चारे की उपलब्धता के साथ–साथ एनआरएम कार्यों की बदौलत यहां तक कि जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई।

विभिन्न अन्य अध्ययनों से यह पता चला है कि मनरेगा कार्यों से इसके जल संबंधी कार्यकलापों के जरिए ग्रामीण समुदायों को सुदृढ़ बनाने में मदद मिली है। मनरेगा के तहत हर वर्ष किए जाने वाले सार्वजनिक खर्च के नियोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और रिपोर्टिंग को बेहतर करने के लिए नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी को अपनाने में निरंतर काफी मुस्तैदी दिखाई जाती रही है और इस प्रक्रिया में भारत को जल की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग दिया जाता रहा है।

भारत सरकार ने जल से संबंधित सभी विषयों पर त्वरित निर्णयों को लिया जाना सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नाम से एक नया मंत्रालय बनाया है। भारत सरकार ने 1 जुलाई, 2019 को 256 जिलों में महत्वाकांक्षी 'जल शक्ति अभियान (जेएसए)' का शुभारंभ किया जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे 1593 ब्लॉकों को कवर किया जा रहा है और जिसके तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचय पर ध्यान दिया जा रहा है। देश में स्वच्छता अभियान की भांति ही जल संरक्षण को भी एक 'जन आंदोलन' का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा दरअसल 'जल शक्ति अभियान (जेएसए)' में एक प्रमुख साझेदार है और इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

61 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई! इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती आबादी, शहरीकरण, औद्योगीकरण और मानसून में देरी इस गिरावट की बड़ी वजह है।

जल–सरंक्षण के मोर्चे पर इतनी गंभीर चुनौतियों के बावजूद बीते सात दशक में देश में पानी के दोबारा इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बन सकी। तभी भारत वॉटर रिसाइकल के मामले में बेहद पिछड़ा है। आज भी देश के घरों में इस्तेमाल होने वाला 80 फीसदी पानी बर्बाद होता है, जबकि इज़राइल में इस्तेमाल में लाए गए पानी का 100 फीसदी फिर से इस्तेमाल किया जाता है। देश के सर्वोच्च थिंक टैंक नीति आयोग के मुताबिक जल संकट की वजह से भारत की जीडीपी में साल 2050 तक 6 फीसदी की कमी हो सकती है। इतना ही नहीं, अगले 11 सालों में यानी साल 2030 तक देश में पानी की आपूर्ति के मुकाबले मांग दोगुनी हो जाएगी। तब देश की करीब 40 फीसदी आबादी ऐसी होगी, जिनके पास पीने का पानी नहीं होगा। अगले एक साल में यानी साल 2020 तक देश के 21 बड़े शहरों से भूजल ही खत्म हो सकता है। इनमें देश की राजधानी दिल्ली के साथ–साथ हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर शामिल हैं।

हालांकि इस बीच दुनिया के कई देशों में पानी को बचाने की बेहतरीन पहल भी की गई हैं। दरअसल साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने अपने यूनाइटेड नेशंस एनवॉयरमेंट प्रोग्राम में वर्षाजल संचयन को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने पर ज़ोर दिया था। उसके बाद से कई देश इस दिशा में आगे आए। इनमें ब्राजील, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी और इजराइल का नाम सबसे पहले आता है, जो जल संकट से निपटने के लिए बेहतरीन तकनीक का सहारा ले रहे हैं। हालांकि भारत में अब तक बारिश का केवल 8 फीसदी पानी ही संरक्षित हो पाता है भारत में अभी तक पानी को कभी बड़े मुद्दे के तौर पर नहीं देखा गया। यहां तक कि हमारे संविधान तक में नदियों के संरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं है! संविधान में नदियों की रक्षा करना नागरिकों का कर्तव्य भर है यानी कोई जवाबदेही नहीं। ना ही कोई ठोस नीति, ना ही पानी की बर्बादी रोकने के खिलाफ कोई कड़ा क़ानून! तभी तो अकेले मुंबई में रोज़ वाहन धोने में ही 50 लाख लीटर पानी खर्च हो जाता है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पाइप लाइनों की ख़राबी के चलते हर रोज 40 फीसदी तक पानी बेकार बह जाता है। पानी की ऐसी बर्बादी के चलते ही बीते 70 साल में 30 लाख में से 20 लाख तालाब, कुएं, पोखर, झील पूरी तरह खत्म हो चुके हैं।

जल शक्ति अभियान

जल शक्ति अभियान जल सुरक्षा को बढ़ाने की एक राष्ट्रव्यापी कोशिश है। एक जुलाई, 2019 से शुरू हुए जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों में 5 लाख से अधिक जल संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार जल शक्ति अभियान से 3.7 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और इसके तहत लगभग 12.3 करोड़ पौधे भी लगाए गए। हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई।

हाल–फिलहाल में भारत सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए अलग–अलग मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं। सरकार के एजेंडे में जल–संरक्षण प्राथमिकता पर है। इसी के मद्देनजर सरकार ने 'जलशक्ति अभियान' की शुरुआत की है और इस महत्वपूर्ण अभियान की जिम्मेदारी जलशक्ति मंत्रालय पर है। मकसद है पानी को लेकर जानकारी फैलाना ताकि जल–संरक्षण को बढ़ावा मिल सके।

अब स्थितियां बदलती दिख रही हैं। घर–घर पीने का साफ पानी, जल–संरक्षण और जल–संचयन सरकार की प्राथमिकता में साफ नज़र आ रहा है। आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीते कुछ सालों में घर–घर पीने के साफ पानी की उपलब्धता में इज़ाफा हुआ है। प्रधानमंत्री भी जल–संरक्षण को सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए इस मोर्चे पर सहभागिता की अपील कर चुके हैं। बीते दिनों ग्रामीण इलाकों में पानी के संकट को देखते हुए उन्होंने देश के दो लाख से ज्यादा सरपंचों और गांव प्रधानों को निजी तौर पर पत्र लिखा, जिसमें बारिश के पानी का संरक्षण करने की अपील की गई। जाहिर है सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। साल 2024 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 100 लाख करोड़ का निवेश करना भी उसी दिशा में एक बड़ी पहल है। ज़ाहिर तौर पर चुनौती काफी बड़ी है ऐसे में पानी के संकट को दूर करने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है पानी की बचत और पानी का कम से कम इस्तेमाल करना और इस दिशा में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए जलशक्ति मंत्रालय तेजी से कार्य कर रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
ई–मेल : **anuragdixit2005@gmail.com**

ग्रामीण भारत में स्वच्छ पर्यावरण और साफ-सफाई हेतु पहल

–डॉ. विश्वरंजन

देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 99 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है और स्वच्छ भारत मिशन अपने अंतिम चरण में है। 30 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। मिशन इस प्रगति के फायदों को निरंतर बनाए रखने और ओडीएफ–प्लस चरण को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है।

घनी आबादी के शहरी क्षेत्रों के बाहर की भूमि का एक क्षेत्र, गांव या ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है "भारत का वह क्षेत्र जिसमें लोगों की आबादी 5000 तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो तथा कृषि पर आश्रित कामकाजी लोगों की संख्या कम से कम 25 प्रतिशत हो, ऐसे क्षेत्र को 'ग्रामीण क्षेत्र' की श्रेणी में लिया जाता है"।

स्वच्छ पर्यावरण को बनाए रखने के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारत सरकार और निजी संस्थानों के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण और साफ–सफाई हेतु अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब भारतीय ग्रामीण क्षेत्र भी स्वच्छता हेतु मिसाल कायम करेंगे।

स्वच्छ पर्यावरण

वह वातावरण, जिसमें परिवार रहते हैं, परिवारों के सदस्यों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने में उस वातावरण की प्रमुख भूमिका है। 'स्वच्छ पर्यावरण' की पहचान तीन महत्वपूर्ण तत्वों से की जा सकती है– (i) स्वच्छता (ii) पर्यावरणीय स्वच्छता और (iii) घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित जल की स्थिति।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ द्वारा लाई गई वैश्विक जल आपूर्ति और स्वच्छता आकलन रिपोर्ट 2000 में, स्वच्छता को एक सीवर या सेप्टिक टैंक प्रणाली, पौर–फ्लश लैट्रिन, साधारण गड्ढे या हवादार उन्नत गड्ढे वाले शौचालय, स्थानीय विकसित स्वीकार्य तकनीक हेतु प्रौद्योगिकीयों के रूप में परिभाषित किया गया है।

पर्यावरणीय सफाई में अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट के उपचार और निपटान की विधि शामिल है। इस प्रकार, ऑपरेटिंग ड्रेनेज सिस्टम और कचरा संग्रहण प्रणाली पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्वपूर्ण अंग हैं।

जल : घरेलू उपयोग जैसे बर्तन धोना, स्नान करना आदि, के लिए पानी की कमी (पीने के अलावा) स्वच्छता प्राप्त करने में बाधा डाल सकती है। शौचालय के उपयोग के संदर्भ में, पानी की उपलब्धता आवश्यक है। अगर पर्याप्त पानी नहीं हो तो शौचालय का उपयोग गंभीर रूप से बाधित हो सकता है। इसलिए पर्याप्त जल स्वच्छता के लिए आवश्यक है।

एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से घरों के आसपास के वातावरण की गुणवत्ता को कुछ संकेतकों द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है जैसे जल निकासी व्यवस्था, अपशिष्ट जल और कचरे के निपटान की प्रणाली आदि।

समाज को बड़े पैमाने पर स्वच्छ पर्यावरण में गिरावट की गंभीरता का एहसास होने लगा है और पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए संगठन और व्यक्तिगत–स्तर पर कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के प्रतिबद्ध मंत्रालयों, पर्यावरण निगरानी एजेंसियों, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक और

अनुसंधान संस्थानों से जुड़े आउटरीच और शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण निगरानी, मूल्यांकन और प्रदूषण नियंत्रण के राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई है। हमारे देश में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों और गैर–सरकारी संगठनों का अत्यधिक योगदान रहा है।

1991 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, पर्यावरण शिक्षा स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक बन गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रदूषण–मुक्त बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार को प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय–स्तर पर लागू किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन

2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देशभर में शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। दो उपमिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) इसके अंतर्गत आते हैं। दोनों मिशनों का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर सही रूप में श्रद्धांजलि देते हुए वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस पहल से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन की गतिविधियों/कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता के स्तर में वृद्धि हुई है। देश के लाखों गांवों को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ), बनाया जा चुका है हालांकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है।

साफ–सफाई हेतु सरकार और आम जनता की पहल

साफ–सफाई हेतु राज्य सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है जिसमें विभिन्न मुद्दों के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा कार्यनीति बनाई गई है। मिशन को पूरा करने के लिए संकेंद्रित कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकारों के प्रयासों को सफल बनाने में भारत सरकार की अहम भूमिका है।

कार्यनीति के मुख्य तत्व

1. ज़मीनी–स्तर पर गहन व्यवहारगत परिवर्तन गतिविधियां चलाने के लिए जिलों की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।
2. कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से चलाने और परिणामों को सामूहिक रूप से मापने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना।
3. समुदायों में व्यवहारगत परिवर्तन गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु राज्य–स्तर की संस्थाओं के कार्य निष्पादन को प्रोत्साहन देना।

व्यवहारगत परिवर्तन पर बलः– स्वच्छ भारत मिशन को भिन्न करने वाला कारक व्यवहारगत परिवर्तन है और इसीलिए व्यवहारगत परिवर्तन संवाद (बीसीसी) पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। जागरूकता सृजन, लोगों की मानसिकता को प्रेरित कर समुदाय में व्यवहारगत परिवर्तन लाने और घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, सामुदायिक समूहों के स्थलों में स्वच्छता की सुविधाओं की मांग सृजित करने तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है। चूंकि गांव के अधिकांश घरों में व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन एवं प्रत्येक बार शौचालय के उपयोग पर वांछित व्यवहार अपनाने और खुले में शौच से मुक्ति की अपील अभियान के माध्यम से की गई है। इसका वर्तमान परिणाम यह है कि खुले में शौच में कमी आई है और स्वच्छ पर्यावरण का स्तर बढ़ गया है।

सरकार की स्वच्छता/स्वच्छ पर्यावरण पहल

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छता संबंधित अनेक काम किए जा रहे हैं। स्वच्छता/स्वच्छ पर्यावरण के विषयों को लेकर भारत सरकार ने गांवों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के जीवन–स्तर को सुधारने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की हैं।

पर्यावरण का ह्रास और इसके विनाशकारी परिणाम दुनिया भर की सरकारों के लिए चिंता का विषय रहे हैं। पर्यावरण के प्रबंधन और संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए कई कानून पारित किए गए हैं। 5 जून, 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित "मानव पर्यावरण" पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण पर पहली बार चर्चा की गई, जिसमें 5 जून को 'विश्व पर्यावरण दिवस' घोषित किया गया।

यह प्रामाणिक है कि स्टॉकहोम में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन के चार वर्षों के भीतर, भारत ने पर्यावरण–संरक्षण के उद्देश्य से कानून बनाया, जो बाद में भारतीय संविधान का एक हिस्सा बना। हमारे संविधान के अनुच्छेद 48ए के 42वें संशोधन के अनुसार "राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश में वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा"।

स्वच्छ विद्यालय अभियान पहल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वैसे विद्यालयों को चिन्हित किया जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अलग–अलग शौचालयों की सुविधा नहीं है और गैर–कार्यशील शौचालयों को कार्यात्मक बनाने हेतु, नए शौचालय प्रदान कर स्वच्छ विद्यालय बनाने की पहल की। यह पहल व्यवहार परिवर्तन जैसे हाथ धोने, शौचालय का उपयोग करने और इसे बनाए रखने पर केंद्रित है। छात्रों, साथ ही उनके माता–पिता और शिक्षकों के लिए जागरूकता सृजन कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

अगस्त 2014 में देशभर के 33 राज्यों में यह अभियान शुरू किया गया था। पहल के शुभारंभ के समय, 2,61,400 से अधिक सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त शौचालयों की सुविधा नहीं थी। यह आकलन किया गया था कि 4,10,000 से अधिक शौचालयों के निर्माण या मरम्मत की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर बच्चे को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।

विभिन्न सरकारी मंत्रालयों द्वारा की गई पहल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 'कायाकल्प' योजनाः इस योजना में निम्नलिखित उद्देश्य निहित हैं–

- सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में उच्च–स्तर की स्वच्छता, और संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- ऐसी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं (केंद्रीय अस्पतालों/ संस्थानों) को प्रोत्साहन देना और उनकी पहचान करना जो स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण के मानक प्रोटोकॉल का पालन करने में अनुकरणीय प्रदर्शन दिखाते हैं।
- केंद्रीय अस्पतालों/संस्थानों में स्वच्छता से संबंधित प्रदर्शन के मूल्यांकन और बाह्य समीक्षा की संस्कृति को विकसित करना।
- सकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों से जुड़े केंद्रीय अस्पतालों/ संस्थानों में बेहतर स्वच्छता से संबंधित स्थायी प्रथाओं को बनाना और साझा करना।

महिला और बाल विकास मंत्रालय– स्वच्छ भारत मिशन के उदेश्यों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की **एकीकृत बाल विकास योजना** के माध्यम से चलाया जा रहा है और इसका उदेश्य महत्वपूर्ण क्षेत्र, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यशील शौचालय प्रदान करना है। इस संबंध में, मंत्रालय ने बच्चों को साफ–सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए **बाल स्वच्छता मिशन** की शुरुआत की है। यह समुदायों के बीच व्यवहार परिवर्तन लाने और पीढ़ियों के बीच स्वच्छता की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- प्रत्येक नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र के साथ बाल सुलभ शौचालयों के निर्माण और आंगनवाड़ी केंद्र के उन्नयन के लिए प्रावधान।
- निर्धारित विषयों पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में छह दिनों के लिए बाल स्वच्छता मिशन का उत्सव (यानी स्वच्छ आंगनवाड़ी, स्वच्छ वातावरण, स्वयं स्वच्छ, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय) आयोजित करना।
- प्रत्येक जिला और राज्य–स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों पर की जाने वाली गतिविधियों का अनुसरण करना।

मंत्रालय ने एक अभियान के माध्यम से स्वच्छता के प्रयासों को बनाए रखने पर ज़ोर दिया है। परिणामस्वरूप, बाल स्वच्छता मिशन के तहत निम्नलिखित राज्य–स्तरीय गतिविधियां बताई गई हैं:

- आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर निर्णय लेने के लिए कई संबद्ध विभागों के साथ राज्य और जिला–स्तर पर अभिसरण बैठकें।
- बच्चों की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और ग्राम स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर माताओं के संवेदीकरण हेतु माताओं को समिति की बैठक द्वारा और पोषण दिवस के आयोजन के माध्यम से जागरूक करना।
- पका हुआ और बिना पका हुआ भोजन, (दोनों के लिए) तथा स्वच्छता और भोजन के प्रबंधन पर प्रदर्शन सत्र आयोजित किए जाते हैं।
- शौचालय का उपयोग करने से पहले और बाद में तथा खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने हेतु कई गतिविधियों/ कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा देना।
- आंगनवाड़ी केंद्रों और आसपास के परिवेश की सफाई हेतु स्वयंसहायता समूह के सदस्यों, माताओं, समिति के सदस्यों, महिलामंडल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, लाभार्थियों के माता–पिता के सहयोग से और सहायकों द्वारा योगदान दिया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन की बदौलत भूजल के दूषित होने में कमी

स्वच्छता भूजल, सतही जल, मिट्टी या वायु सहित पर्यावरण के सभी पहलुओं और साथ ही साथ ओडीएफ क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। डब्ल्यूएचओ के 2018 के अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया गया था कि भारत के खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो जाने पर स्वच्छ भारत मिशन 3 लाख से अधिक जिंदगियां बचा पाने में समर्थ होगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के बारे में किए गए दो स्वतंत्र तृतीय–पक्ष अध्ययनों को हाल ही में जारी किया गया। मिशन आने वाले लंबे समय तक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा। यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा कराए गए इन अध्ययनों का उद्देश्य क्रमशः स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पर्यावरणीय प्रभाव और उनकी कम्युनिकेशन छाप का मूल्यांकन करना था। दोनों अध्ययनों की पूरी रिपोर्ट और साथ ही दोनों अध्ययनों की संक्षिप्त रिपोर्ट mdws.gov.in और sbm.gov.in पर उपलब्ध है।

देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 99 प्रतिशत का आंकड़ा पार कर चुकी है और स्वच्छ भारत मिशन अपने अंतिम चरण में है। 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। मिशन इस प्रगति के फायदों को निरंतर बनाए रखने और ओडीएफ–प्लस चरण को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है।

कुछ अन्य पहल

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली तेल कंपनियों, गैर–केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और संयुक्त कंपनियों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की हैं:

- देशभर के स्कूलों में 29 फरवरी, 2016 तक 20,218 शौचालयों का काम पूरा किया।

- तेल विपणन कंपनियों को देश में रिटेल आउटलेट्स पर स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा गया।
- देशभर में 29 फरवरी, 2016 तक 50,166 रिटेल आउटलेट्स में स्वच्छ शौचालय बनाए जा चुके थे।
- 29 फरवरी, 2016 से 983 नए शौचालयों का निर्माण उन रिटेल आउटलेट्स में किया गया जहां शौचालय नहीं थे।
- स्वच्छता अभियान को बनाए रखने के लिए, तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों द्वारा अपनी खुदरा दुकानों पर स्वच्छ शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाता है।
- सीपीएसई ने स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने संचालन क्षेत्रों के आसपास 29 फरवरी, 2016 तक 87 गांवों, जल निकायों और स्थानों को अपनाया है।
- सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों में सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से जागरूकता अभियान शामिल हैं। आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रतियोगिताओं, नाटकों, क्विज़, वॉकथॉन आदि का आयोजन किया गया।
- 406 से अधिक परियोजनाओं में स्वच्छता अभियान में तेल और गैस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा श्रमदान गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत, **रेल मंत्रालय** ने निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया हैः–

- स्वच्छता और स्वच्छ शौचालय/जल निकासी में सुधार।
- जन–जागरूकता अभियान/मिशन की आवधिक निगरानी तथा वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहल।
- प्रमुख स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सफाई की निगरानी।
- सभी रेलवे स्टेशनों पर डस्टबिन की अपेक्षित संख्या का प्रावधान।
- रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य के लिए, ज़ोनल रेलवे द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों को मान्यता देने के बाद पुरस्कार की व्यवस्था।

हरित कौशल विकास कार्यक्रम

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरित कौशल विकास कार्यक्रम को, पर्यावरण सूचना प्रणाली योजना के तहत प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जिससे इस क्षेत्र में कुशल युवा को लाभप्रद रोज़गार या स्वरोजगार प्राप्त हो। वर्तमान में, देशभर के 87 स्थानों पर 44 हरित कौशल विकास कार्यक्रम पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 80 घंटे से लेकर 550 घंटे तक की अवधि के साथ, वे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। इनमें निम्न शामिल हैं– प्रदूषण निगरानी (वायु/पानी/मिट्टी); उत्सर्जन सूची; सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP)/एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP)/कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) संचालन और रखरखाव; कचरा प्रबंधन; पर्यावरण

प्रभाव आकलन; वन अग्नि प्रबंधन; जल बजट और लेखा परीक्षा; नदी डॉल्फ़िन का संरक्षण; वन्यजीव प्रबंधन; पैरा टैक्सोनॉमी जिसमें पीपुल्स बायो–डायवर्सिटी रजिस्टर (PBR) शामिल हैं; मैंग्रोव संरक्षण; बांस प्रबंधन और आजीविका उत्पादन; पारिस्थितिकी–तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन; आदि।

भारत में अनेक स्वैच्छिक संगठन/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा ग्रामीण और पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए अनेक रणनीति विकसित की जाती हैं। पर्यावरण और वन के कार्य हेतु 20,521 तथा ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्य हेतु 19,599 संगठन भारत में मौजूद हैं जिनके उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं–

1. स्थानीय समुदायों को कुशलतापूर्वक अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने हेतु जानकारी उपलब्ध कराना।
2. समुदायों और लोगों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संभावित रूप से सफल रणनीति विकसित करना।
3. पर्यावरण संरक्षण और विकास हेतु महिलाओं को प्रशिक्षण और महिला कार्यक्रमों के माध्यम से अनेक भूमिकाओं को बढ़ावा देना;
4. साफ–सफाई, वनों की कटाई, भूमिक्षरण से निपटने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक स्थायी विकास रणनीतियों को बढ़ावा देना, साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना कि इसमें ग्रामीण वित्तपोषण के वैकल्पिक मॉडल का विकास शामिल हो।
5. पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने हेतु वैधानिक ज्ञान के साथ–साथ पर्यावरणीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और सूचना कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाना।

(लेखक भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।)
ईमेल : vishwranjan@yahoo.com

दिव्यांग-जनों के सशक्तीकरण हेतु पहल

–देवाशीष उपाध्याय

सेवा क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए, सरकार द्वारा दिव्यांगों को बाजार की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार दिव्यांगों के लिए स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण, कर छूट, पुरस्कार इत्यादि द्वारा नियमित रूप से सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए सरकार दिव्यांगों को रोजगार देने वाले संस्थानों को कर छूट के साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी देती है।

देश में आबादी का लगभग तीन फीसदी हिस्सा शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता या अपूर्णता के कारण समाज की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने में असहज महसूस करता है। किसी प्राकृतिक या आनुवांशिक कारण, असंतुलन, असाध्य बीमारी या किसी दुर्घटनावश शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असामान्य व्यक्ति को 'दिव्यांग' कहा जाता है। जिसके कारण दिव्यांग जनों को सामाजिक प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, रोजगार, जीवनयापन, जीवन निर्वहन में कदम–कदम पर कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग जन भी सामान्य लोगों की तरह बहुमूल्य मानवीय संपदा हैं, परंतु शारीरिक अथवा मानसिक निःशक्तता के कारण सामान्य लोगों की भांति दैनिक कार्यों का संपादन नहीं कर पाते हैं।

यद्यपि संविधान में समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समानता और समान अवसर की गांरटी दी गई है। लोक–कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार समाज के निःशक्त, वंचित व उपेक्षित वर्ग के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। विकलांगों के विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1995 में 'विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम' बनाया। जिसके अंर्तगत दिव्यांग जनों के सम्मानपूर्वक जीवन निर्वहन, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अवरोध–मुक्त तथा अधिकार–आधारित समाज निर्माण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास दिव्य क्षमता होती है, इसलिए विकलांगों को 'दिव्यांग' शब्द से संबोधित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप, दिव्यांग–जनों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 'दिव्यांग जन–अधिकार नियम 2017' को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।

दिव्यांगों के सामाजिक पुर्नवास संबंधी चुनौतियां

ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा गरीब परिवार से संबद्ध दिव्यांग जनों के लिए जीवन की मूलभूत जरुरतों (रोटी, कपड़ा, और मकान) को पूरा कर पाना चुनौतीपूर्ण होता है। दिव्यांग जन समाज की उपेक्षाओं का शिकार होने और सामान्य लोगों की भांति दैनिक क्रियाओं का संपादन न कर पाने के कारण हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। सामाजिक रुढ़ियों, प्रथाओं, मान्यताओं, अंधविश्वासों तथा सामाजिक जागरूकता के अभाव के कारण दिव्यांगों के प्रति सदियों से अन्याय होता रहा है। दिव्यांगों को सामाजिक सम्मान व सहयोग की बजाय तिरस्कार का सामना करना पड़ता है जिसके कारण दिव्यांग जन दोयम दर्जे का जीवन व्यतीत करने को मजबूर होते हैं।

बढ़ती जनसंख्या, घटते प्राकृतिक संसाधनों के कारण, मनुष्य के बीच संसाधनों की प्राप्ति के लिए कठिन प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। सामाजिक असमानता, भौतिक संसाधनों और चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव के कारण दिव्यांगों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जिसके कारण दिव्यांग जन समाज की मुख्यधारा के साथ कदमताल करने की बजाय पिछडते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 35 फीसदी दिव्यांग 20 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी और चिकित्सीय सुविधाओं की मदद से यह आंकड़ा कम किया जा सकता है।

निशक्तजनों के सशक्तीकरण हेतु सरकारी पहल

दिव्यांगों के कौशल व रचनात्मक पोषण और सुगमतापूर्ण जीवन के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विशेष प्रावधान कर रही है। शारीरिक अक्षमता के प्रभावों को कम करने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। इसी प्रकार उच्च–तकनीकी आधारित सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 6–18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग बच्चों की मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों की स्थानीय समस्याओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा जिला–स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। दिव्यांगों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय व राज्य–स्तरीय कोष का गठन किया गया है।

भौतिकतावादी, प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक प्रणाली में सामान्य मनुष्य के लिए सामाजिक पुर्नस्थापना कर पाना दिन–प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से निशक्त जनों को समाज में पुर्नस्थापित करना तो असंभव प्रतीत होता है, परंतु ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जिसमें लगन, कठोर परिश्रम, प्रेरणा द्वारा अनेक दिव्यांगों ने सामान्य मनुष्यों को भी पीछे छोड़ दिया है।

चिकित्सकीय सुविधा

दिव्यांगों का समुचित वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से उपचार कर दिव्यांगता के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समुचित टीकाकरण, फीज़ियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पीच थिरैपी, क्लिनिकल मनोविज्ञान, व्यावसायिक चिकित्सा, विशेष शिक्षा, शल्यक्रिया से सुधार और उपचार, दृष्टि मूल्यांकन, दृष्टि संवर्धन तथा आनुंवाशिक विज्ञान में किए गए अद्यतन शोधों का उपयोग कर जन्मजात विकलांगता तथा मानसिक अपंगता के प्रभावों को कम किया जा सकता है। इसी प्रकार आकस्मिक दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का समय से समुचित वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा उपचार कर संभावित अक्षमता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। चिकित्सकीय सेवाएं मुख्यतः शहरी क्षेत्रों और इनके आसपास ही होती हैं, जबकि लगभग 80 प्रतिशत दिव्यांग जन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों को पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ग्रामीण और सेवारहित क्षेत्रों में चिकित्सकीय तथा पुनर्वास सेवाओं का कवरेज बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की सहायता से जिला दिव्यांग जन पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एक्रिडिटिड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (आशा) की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांग जनों की व्यापक देखभाल का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार दिव्यांगों की चिकित्सा के लिए विशेष योजनाओं का संचालन राज्य सरकार के सहयोग से कर रही है। निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर किए गए शोधों एवं वैज्ञानिक अनुसंधान तकनीकों द्वारा राष्ट्रीय और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांग जनों पर उपयोग कर अक्षमता के प्रभाव को काफी हद तक कम करने पर बल दिया जा रहा है।

सहायक यंत्र

शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों को वैज्ञानिक विधि से तैयार किए गए आधुनिक मानकों वाले सहायक यंत्र तथा उपकरण दैनिक कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। सहायक यंत्र दिव्यांगता के प्रभाव को कम कर शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करते हैं। दिव्यांगों को प्रति वर्ष राष्ट्रीय संस्थान, राज्य सरकारें, जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रोस्थेसिस एवं आर्थोसिस, ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सर्जिकल फुटवियर जैसे चल सहायक यंत्र और दैनिक जीवन के कार्यकलापों के लिए सहायक यंत्र, सीखने वाले उपकरण (ब्रेल राइटिंग उपकरण, डिक्टाफोन, सीडी प्लेयर व टेप रिकार्डर) कम दृष्टि के सहायक यंत्र, विशेष चल सहायक यंत्र, अनेक प्रकार के श्रव्य सहायक यंत्र, शैक्षिक किट, संचार सहायक यंत्र और चेतावनी देने वाले यंत्र प्रदान किए जाते हैं। दिव्यांग जनों के लिए हाईटेक सहायक यंत्रों का निर्माण एवं अनुसंधान करने वाले निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों तथा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता एवं कर में छूट प्रदान की जाती है।

शिक्षा

दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सामान्य लोगों की भांति नहीं होता है। अक्सर इन्हें हीनभावना और उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाता है जिससे दिव्यांग–जनों की सामाजिक चुनौतियां और जटिल हो जाती हैं। ऐसे में दिव्यांग–जनों का सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर व स्वावलंबी होना आवश्यक है। चूंकि दिव्यांग शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य व्यक्ति के बराबर सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए दिव्यांगों को सामान्य शिक्षा के स्थान पर विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। संविधान के भाग तीन मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 (क) में शिक्षा को मूल अधिकार घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 26 के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु तक के समस्त दिव्यांगों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी देश के लगभग 60 प्रतिशत दिव्यांग निरक्षर हैं। सरकार दिव्यांगों की शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करने के साथ ही साथ बड़े पैमाने पर विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना का प्रयास कर रही है। दिव्यांगों को समावेशी शिक्षा प्रणाली द्वारा सामान्य शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संकेतक मूल्य वाले किट की व्यवस्था की गई है जहां ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। दृष्टिबाधित बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल यंत्र स्मार्ट केन भी प्रदान किया जाता है जोकि सोनिक वेव्स के माध्यम से घुटने से लेकर सिर की ऊंचाई तक के अवरोधों का पता लगाकर आवागमन को सुगम बनाता है।

निःशक्त बालकों को सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा विकल्प, मुक्त शिक्षा पद्धति और ओपन स्कूल, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, दूरवर्ती शिक्षा, गृह–आधारित शिक्षा, परिभ्रामी अध्यापक मॉडल, उपचारी शिक्षा, अंशकालिक कक्षाओं में शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, समुदाय–आधारित पुनर्वास, व्यावसायिक शिक्षा तथा एकीकृत शिक्षा योजना (आई.ई.डी.सी.) के अंतर्गत शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन्हें शिक्षण साधन और उपकरण आवागमन सहायता तथा अन्य सहायक सेवाएं इत्यादि भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सरकार दिव्यांगों का नियमित रूप से सर्वेक्षण कर, उन्हें उपयुक्त स्कूलों में प्रवेश दिलाकर, शिक्षा पूरी होने तक अनवरत पर्यवेक्षण करती है तथा अन्य आवश्यक संसाधन जैसे आईईडीसी स्कीम के अंतर्गत शिक्षण सामग्री, पुस्तकें, स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन, दृष्टि दिव्यांगों को रीडर भत्ता, हॉस्टल भत्ता, उपस्कर लागत, स्कूल भवनों को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना, छात्रवृत्ति, दिव्यांगों का कौशल विकास बढ़ाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। दिव्यांगों को उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा हेतु विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों में विशेष प्रबंध किया गया है।

रोजगार

दिव्यांगों के सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए आर्थिक रुप से स्वावलंबी व आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। दिव्यांगों की सरकारी व सार्वजनिक सेवाओं में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 3 की बजाय 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था और अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही, दिव्यांगों के आर्थिक पुनर्वास हेतु स्वरोजगार एवं प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार दिव्यांगों की क्षमता एवं योग्यता के अनुरूप उपयुक्त व्यावसायिक कौशल विकास, पुनर्वास और प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा दे रही है। दिव्यांग जन के उद्यमों के उत्पाद और सेवाओं को प्राथमिकता देने के लिए कर रियायत और सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों द्वारा गठित स्वयंसहायता समूहों को वित्तीय सहायता उदारतापूर्वक दी जाती है। दिव्यांग जन सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत आसानी से कार्य कर सकते है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए, सरकार द्वारा दिव्यांगों को बाजार की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, आसान शर्तो पर ऋण, कर छूट, पुरस्कार इत्यादि द्वारा नियमित रूप से सहायता प्रदान कर रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए सरकार दिव्यांगों को रोजगार देने वाले संस्थानों को कर छूट के साथ ही साथ वित्तीय सहायता भी देती है।

दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा एवं पुर्नवास

दिव्यांग भी सामान्य लोगों की तरह बहुमूल्य मानवीय संपदा हैं परंतु शारीरिक अथवा मानसिक निशक्तता के कारण सामान्य लोगों के समान अपने दैनिक कार्यो का संपादन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण सरकार दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा एवं पुर्नवास के लिए विशेष प्रबंध करती है। केंद्र व राज्य सरकारें दिव्यांगों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, जीवन निर्वाह हेतु पेंशन, बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम विशेष प्रकार के दिव्यांगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। दिव्यांगों के विरुद्ध यदि कोई दुर्व्यवहार, उपेक्षा अथवा शोषण करता है, तो उसके विरुद्ध दिव्यांगों के लिए गठित विशेष न्यायालय में सुनवाई की जाती है तथा उसे छः महीने से लेकर दो साल तक की सजा और 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। केंद्र सरकार दिव्यांगों के अभिभावकों को कर में छूट प्रदान करती है। दिव्यांगों के दैनिक कार्यो, मेडिकल देखभाल, परिवहन, सहायक उपकरणों की खरीद के लिए सरकार अतिरिक्त व्यय राशि मुहैया करा रही है। दिव्यांगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है।

निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2014

दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पारित

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय संस्थान

क्र. सं.	राष्ट्रीय संस्थान	स्थापना	क्षेत्रीय केंद्र	संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र
1	राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान (एनआईवीएच)	1979	चेन्नई, कोलकाता एवं सिकंदराबाद	हिमाचल प्रदेश
2	अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ (एवाईजेएनआईएसएचएच), मुम्बई	1983	कोलकाता, नई दिल्ली, मुम्बई एवं अहमदाबाद भुवनेश्वर	भोपाल एवं अहमदाबाद
3	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (एनआईओएच)	1978	देहरादून, आइजोल	पटना
4	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआर टीएआर), कटक	1975	–	गुवाहाटी
5	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग संस्थान (पीडीयूआईपीएच)	1960	सिकंदराबाद	लखनऊ एवं श्रीनगर
6	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान (एनआईएमएच)	1984	दिल्ली, मुम्बई, और कोलकाता	–
7	राष्ट्रीय बहु विकलांगता सशक्तिकरण संस्थान	2005	–	कोझीकोड

''निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2014'' द्वारा शैक्षिक संस्थानों एवं सरकारी नौकरियों में 3 की बजाय 4 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांगता की 7 के बजाय 21 कैटिगरी तय की गई हैं। दृष्टिहीनता, कम नजर आना, सुनने में असमर्थता, मंदबुद्धिता और शरीर के किसी अंग के काम न करने या न होने के अतिरिक्त मस्कुलर डिस्ट्राफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल सेरेब्रल पॉल्सी, हीमोफीलिया, मल्टिपल स्कलेरोसिस, ऑटिज्म, एसिड अटैक और पार्किंसन डिसीज, थैलेसीमिया को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक के अंतर्गत आरक्षण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उन दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा, जिनके सामान्य कामकाज इन रोगों या अक्षमता आदि के कारण 40 प्रतिशत तक प्रभावित होते हैं। इसका आकलन केंद्र और राज्य सरकारों के मेडिकल बोर्ड करेंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी दिव्यांग के साथ भेदभाव, तिरस्कार अथवा उपेक्षा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर दो साल तक की सजा और 10 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालयों के माध्यम से दिव्यांगों के अधिकारों के अतिक्रमण व उल्लंघन संबंधी मुकदमों की सुनवाई का प्रावधान किया गया है। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक भवनों, स्थलों पर दिव्यांगों के आसानी से प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर उस भवन को कंपलीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन में दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों व साधनों का प्रबंध करना आवश्यक है।

गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

देश के विकास में गैर–सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो बिना किसी लाभ के सामाजिक सुरक्षा तथा विकास की दिशा में सरकार द्वारा उठाए जा रहे लोक कल्याणकारी कार्यो में सहयोग प्रदान करते हैं। गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय परिस्थितियों एवं जरूरतों के आधार पर सामाजिक सुधार तथा समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के साथ–साथ दिव्यांगों के सामाजिक पुर्नस्थापना में सहयोग करते हैं। कुछ गैर–सरकारी संगठन मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और दिव्यांगों के लिए रोजगार स्थापना की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सरकार इनके स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। ये सरकारी प्रयासों को लागू करने का एक सस्ता माध्यम होता है। सरकार इन संगठनों को दिव्यांगों के लिए बनाई जा रही नीतियों के सूत्रीकरण, योजना क्रियान्वयन तथा निगरानी में शामिल कर दिव्यांगों से जुड़े मुद्दों पर परामर्श लेती है। दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे संगठनों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण तथा जानकारी प्रदान कर सरकार द्वारा मजबूत बनाया जा रहा है। पारदर्शिता, जिम्मेदारी, प्रक्रिया की सरलता इत्यादि में गैर–सरकारी संगठन सरकार को सहयोग प्रदान करते है। जिन क्षेत्रों में सरकार नहीं पहुंच पाती है, वहां गैर–सरकारी संगठन निःसंदेह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017

दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के अंतर्गत प्रत्येक सरकारी व गैर–सरकारी संगठन व निजी संस्थान दिव्यांग जनों हेतु समान अवसर नीति का प्रकाशन करेगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करना कानूनन अपराध है जिसकी शिकायत मुख्य आयुक्त अथवा राज्य आयुक्त के समक्ष की जा सकती है। साठ दिन के अंदर दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। दिव्यांग जन को अनुसंधान का विषय नहीं समझा जाएगा। दिव्यांग बालकों को विद्यालयों में प्रवेश तथा शिक्षा संबंधित सभी मामलों तथा अधिनियम की धारा 16 और 31 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला शिक्षा कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। प्रत्येक सरकारी संस्थान में राजपत्रित अधिकारी के रैंक का अधिकारी दिव्यांगों के शिकायत निपटान अधिकारी के रूप में नियुक्त है। दिव्यांगता केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है जो दिव्यांगों के विकास, उत्थान, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य समस्त मुद्दों पर सरकार को समय–समय पर सुझाव देता है। दिव्यांग व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त का प्रावधान किया गया है।

दिव्यांग जन समाज का महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद उपेक्षाओं का शिकार होते रहते हैं। इसके बावजूद कई दिव्यांग जनों ने कठोर चुनौतियों का सामना करते हुए दृढ़ इच्छाशक्ति एवं आत्मविश्वास के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों को छुआ और साबित कर दिया है कि दिव्यांगता किसी को मंज़िल हासिल करने से नहीं रोक सकती है। ऊंची उड़ान के लिए हौंसले और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। सरकार और समाज दिव्यांगों के महत्वपूर्ण योगदान एवं सामाजिक महत्व को स्वीकारने लगे हैं।

सरकार एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा दिव्यांग जनों की सामाजिक पुनर्स्थापना, कल्याणार्थ और विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण हेतु प्रयास किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से दिव्यांगों के कल्याण व विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा रहा है। जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र दिव्यांगों के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर दिव्यांगों के पुनर्वास में सहायता प्रदान कर रहा है।

तेजी से बढ़ते वैज्ञानिक शोधों, उन्नत तकनीकी तथा चिकित्सा पद्धति की सहायता से दिव्यांगता के प्रभावों को कम किया जा रहा है। परंतु दिव्यांगों के सामाजिक समानता और सम्मान के लिए आवश्यक है कि समाजिक सोच व व्यवस्था में परिवर्तन हो जिससे दिव्यांग जनों को उपेक्षा की बजाय सम्मानजनक स्थिति और प्यार प्राप्त हो सके और दिव्यांग जन भी देश के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें।

(लेखक हाथरस, उत्तर प्रदेश में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं।)

ई–मेलः–dewashishupadhy@gmail.com

स्वच्छता पहल

2.5 लाख पंचायतों के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल

स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण जलापूर्ति हेतु पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए 2800 क्षेत्रीय प्रशिक्षक

केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 27 जुलाई, 2019 को झारखंड की राजधानी रांची में जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) की क्षमता सुदृढ़ीकरण पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत अपने आरंभिक प्रशिक्षणों में 2800 क्षेत्र प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जाएगा जोकि पूरे देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेंगे।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के तहत सृजित खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) गांवों की दीर्घकालिक रूप से संधारणीयता सुनिश्चित करने का प्रयास करना है। साथ ही, प्रक्षेत्र प्रशिक्षकों और पीआरआई (पंचायत राज संस्थाओं) के सदस्यों को ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के साथ–साथ सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है।

इस अवसर पर उपस्थित 6000 से अधिक मुखिया, जलसाहिया, स्वच्छाग्रहियों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने लोगों की भागीदारी पर ज़ोर देते हुए रेखांकित किया कि गंभीर जल संकट को टालने के लिए अब "जल के आंदोलन" को "जन के आंदोलन" में बदलने का समय आ गया है। उन्होंने उन लोगों की भूमिका की सराहना की, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के प्रयोजन के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों के कारण, ओडीएफ और स्वच्छता वाले गांवों में लाखों लोगों की जान बचाई गई हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे निरंतर सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं को सक्षम बनाने के लिए अपने प्रयासों में नई ऊर्जा का संचार करें और हर घर तक पाइप जलापूर्ति की व्यवस्था के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं।

जलशक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने भी झारखंड राज्य को ओडीएफ बनाने में विभिन्न हितधारकों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की और दोहराया कि देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को ओडीएफ बनाने के लिए सही मार्ग पर है।

डीडीडब्ल्यूएस के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण साझा किया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 तक प्रत्येक जिले से चार क्षेत्र प्रशिक्षकों को 5 पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्षेत्र प्रशिक्षक बाद में अपने जिले के सरपंचों, गांव सचिवों और स्वच्छाग्राहियों को तीन दिन का क्षेत्र प्रशिक्षण देंगे जिसे राज्यों और जिलों द्वारा समर्थन दिया जाएगा। यह संपूर्ण कार्यक्रम मार्च 2020 तक पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम के दौरान झारखंड राज्य सरकार के मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन अभियान– 'चुप्पी तोड़ो–स्वस्थ रहो' पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया और एक फिल्म दिखाई गई, जबकि ज़मीनी–स्तर के अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का हिस्सा होने के अपने अनुभवों को साझा किया। इसके बाद स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया।

जलशक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 14 अगस्त को नई दिल्ली में 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 (एसएसजी 2019)' का भी शुभारंभ किया। आगामी 30 सितंबर तक कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के तहत देश भर में फैले 698 जिलों के 17,450 गांवों को कवर किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में 87,250 सार्वजनिक स्थलों यथा स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट/बाजारों/धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। इस आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण के तहत लगभग 2,50,000 नागरिकों से विभिन्न तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ताकि उनका फीडबैक प्राप्त हो सके। देश के नागरिकों से स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर ऑनलाइन फीडबैक भी लिया जाएगा। इसके लिए विशेष रूप से विकसित किए गए एक एप यानी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा।

(स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय)

हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन
The Republican Ethic
M. VENKAIAH NAIDU
सबका साथ सबका विकास
नरेन्द्र मोदी
SABKA SAATH SABKA VIKAS
अमर शहीद भगत सिंह
महात्मा गांधी
सबका साथ सबका विकास
For A United India
Speeches of Sardar Patel
गांधीजी के संस्मरण
1921 के
असहयोग आंदोलन की झांकियां
बाल महाभारत
चार बातें
प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
पुस्तक खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट
publicationsdivision.nic.in देखें
ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260, 24365610
ई-मेल : businesswng@gmail.com
ट्विटर पर फॉलो करें @DPD_India

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर श्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रपति को गांधी एलबम भेंट की

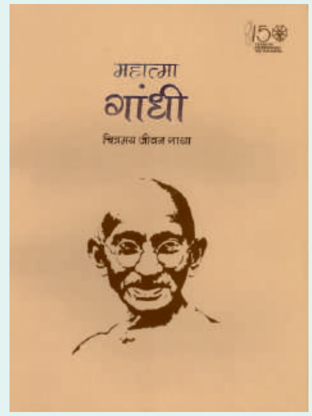

भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त, 2019 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'महात्मा गांधीः ए लाइफ थ्रू लेंसिज़' की प्रतियां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट कीं। इन एलबमों में 550 फोटो के जरिए महात्मा गांधी के जीवन और समय की चित्रमय झांकी प्रस्तुत की गई है। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे, प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना राउत और परियोजना से जुड़ी प्रकाशन विभाग की टीम के सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

महात्मा गांधी के दुर्लभ चित्रों के ज़रिए उनके जीवन और समय को दर्शाने वाले इस एलबम में न केवल एक शर्मीले लड़के के जन्म, उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों, शिक्षा–दीक्षा, उनके महात्मा बनने (दक्षिण अफ्रीका में) और विभिन्न आंदोलनों के दौरान–पहले दक्षिण अफ्रीका में और फिर भारत में सत्य के साथ उनके प्रयोगों को दर्शाया गया है, बल्कि 20वीं सदी के भारत के उस जबर्दस्त स्वतंत्रता संग्राम की गाथा को भी प्रस्तुत किया गया है जिसके सूत्रधार महात्मा गांधी ही थे।

पुस्तक अधिक से अधिक पाठकों तक पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए 'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा' नाम से एलबम का हिंदी संस्करण पहली बार प्रकाशित किया गया है।

पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण सबसे पहले 1954 में प्रकाशित हुआ था जिसमें जनवरी 1949 में महात्मा गांधी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर राजघाट में आयोजित सर्वोदय दिवस प्रदर्शनी के चित्रों का इस्तेमाल किया गया था। हमारे इस धरोहर प्रकाशन को अब नए हिंदी संस्करण के साथ बेहतर डिज़ाईन और मुद्रण के साथ फिर से छापा गया है। इसके फोटो जुटाने में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से मदद ली गई है।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित 'महात्मा गांधी : ए लाइफ थ्रू लेंसिज़' और 'महात्मा गांधी : चित्रमय जीवन गाथा' की प्रतियां राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को भेंट करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, सूचना और प्रसारण सचिव श्री अमित खरे और प्रकाशन विभाग की प्रधान महानिदेशक डॉ. साधना राउत भी साथ में हैं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के सिलसिले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराया।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक के बारे में राष्ट्रपति को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन एलबमों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का बहुरूपदर्शी या कैलाइडोस्कोप कहा जा सकता है। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रकाशन विभाग के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का कार्य केवल अपने प्रयासों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके ऊपर अपनी मीडिया इकाइयों के माध्यम से भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के प्रयासों को जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है।

श्री जावड़ेकर ने राष्ट्रपति को संपूर्ण गांधी वाङ्मय के प्रकाशन के बारे में जानकारी दी जो ई–संस्करण के रूप में भी उपलब्ध है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में प्रकाशन विभाग ने करीब 20 पुस्तकें और 50 ई–पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें कस्तूरबा गांधी पर एक पुस्तक भी शामिल है। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने महात्मा गांधी के जीवन–मूल्यों और आदर्शों के प्रचार–प्रसार की दिशा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इस साल गांधी जयंती से एक सप्ताह पहले इस दिशा में अपने प्रयास और तेज करने का भी आग्रह किया। उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समारोह में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लें। ❑

(स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय)

आवरण पृष्ठ 2 से जारी...

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन: मुख्य बातें

- हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टीसाइड्स का उपयोग करके धरती के स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल होने जा रहे हैं। क्या हम 10 पर्सेंट, 20 पर्सेंट, 25 पर्सेंट अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे, हो सके तो मुक्ति कर अभियान चलाएंगे। मेरे किसान मेरी इस मांग को पूरा करेंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है।
- आने वाले दिनों में गांवों में डेढ़ लाख वेलनैस सेंटर बनाने होंगे, हर तीन लोकसभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज, दो करोड़ से अधिक गरीब लोगों के लिए घर, 15 करोड़ ग्रामीण घरों में पीने का पानी पहुंचाना है। सवा लाख किलोमीटर गांव की सड़कें बनानी हैं और हर गांव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। 50 हजार से ज्यादा नए स्टार्ट्अप का जाल बिछाना है।
- जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन, वन टैक्स के सपने को साकार किया है। पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन, वन ग्रिड को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। वन नेशन, वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया है।
- जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है लेकिन हमारे देश में एक जागरूक वर्ग भी है, जो इस बात को भली–भांति समझता है। उनके सम्मान की आवश्यकता है। समाज के बाकी वर्गों को जोड़कर जनसंख्या विस्फोट की हमें चिंता करनी ही होगी।
- भ्रष्ट्राचार, भाई–भतीजावाद ने हमारे देश का कल्पना से परे नुकसान किया। जिसको हमने निरंतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए निरस्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
- इस कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी नई व्यवस्था विकसित होंगी।
- आज़ादी के 75 साल में देश के किसान की आय दो गुनी होनी चाहिए, हर गरीब के पास पक्का घर होना चाहिए, हर परिवार के पास बिजली होनी चाहिए, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हो, साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा हो।
- हमारी समुद्री संपत्ति, ब्लू इकोनॉमी इस क्षेत्र पर हम बल दें। हमारे किसान अन्नदाता हैं, ऊर्जादाता बनें। हमारे किसान, ये भी एक्सपोर्टर क्यों न बनें। हमारा हर ज़िला एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों न सोचे। वैल्यू एडिशन वाली चीजें दुनिया के अनेक देशों तक एक्सपोर्ट हों।
- मैंने इसी लालकिले से 2014 में स्वच्छता की बात कही थी। कुछ ही सप्ताह बाद बापू की 150वीं जयंती, 2 अक्तूबर को भारत अपने–आपको खुले में शौचमुक्त राष्ट्र घोषित कर पाएगा। राज्यों, गांवों, नगरपालिकाओं और मीडिया ने स्वच्छता अभियान को जन–आंदोलन बना दिया।
- मैं एक छोटी–सी अपेक्षा आज आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या हम इस 2 अक्तूबर को भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके लिए हर नागरिक, नगरपालिकाएं, महानगर–पालिकाएं और ग्राम पंचायतें सब मिलकर प्रयास करें।
- मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं होनी चाहिए? हमें बेहतर कल के लिए लोकल प्रोडक्ट पर बल देना है। देश की इकोनॉमी में भी इसके कारण हम मदद कर सकते हैं।
- हमारा डिजिटल प्लेटफार्म बड़ी मजबूती के साथ उभर रहा है, लेकिन हमारे गांव में, छोटी–छोटी दुकानों में भी, हमारे शहर के छोटे–छोटे मॉल में भी हम क्यूं न डिजिटल पेमेंट पर बल दें?
- भारत के संविधान के 70 साल हो गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने और यह वर्ष महत्वपूर्ण है, गुरु नानक देव जी का 550वां पर्व भी है। आइए, बाबा साहेब अम्बेडकर, गुरु नानक देव जी की शिक्षा को ले करके हम आगे बढ़ें और एक उत्तम समाज का निर्माण, उत्तम देश का निर्माण, विश्व की आशाओं–अपेक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण करें। ❑

(स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय)

BYJU'S The Learning App | IAS

INDIA's #1 INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES PREPARATION

आईएएस 2018 मे श्रेष्ठ परिणाम

टॉप 50 मे 11 चयन | टॉप 100 में 28 चयन | संपूर्ण परिणाम में कुल 183 चयन

BYJU'S का Tablet कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है

वीडियो पाठ्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित सभी विषयों /अध्यायों /मुद्दों से सुसज्जित 500 से अधिक घंटे के वीडियो व्याख्यान

छात्र पोर्टल
साप्ताहिक वेबिनार , चर्चित मुद्दे , समसामयिकी पत्र /पत्रिका और प्रैक्टिस सेट का रिकार्डेड सत्र उपलब्ध

नियमित टेस्ट
आपके ज्ञान उन्नयन के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक टेस्ट सीरीज जिसमें छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण भी सम्मिलित है

समसामयिकी वेबिनार
पुनरीक्षण नोट्स के साथ समसामयिकी पर चर्चा हेतु साप्ताहिक लाइव क्लासेस

विस्तृत पाठ्य सामग्री
भारतीय राजव्यवस्था (लक्ष्मीकांत), भारत का प्राचीन इतिहास (राम शरण शर्मा) आधुनिक भारत का इतिहास (बिपिन चंद्र), नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, एवं अभिवृत्ति (जी सुब्बाराव) तथा 16 अन्य पुस्तकें

नियमित मूल्यांकन
परीक्षा लेखन कौशल और ज्ञान का नियमित मूल्यांकन (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ), प्रश्न पत्र चर्चा, उत्तर और उत्तर लेखन रणनीति के व्यक्तिगत विश्लेषण द्वारा संवर्धन

मेंटर सपोर्ट
हमारे मेंटर द्वारा व्यक्तिगत सुझाव और निर्देश

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

द हिन्दू समाचार पत्र पर आधारित दैनिक समाचार विश्लेषण

प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रवीणता हासिल करने हेतु अभ्यास

मुख्य परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन

आईएएस टेबलेट कार्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध

हमारे कोर्स विशेषज्ञ के साथ सतर्क लिए संपर्क करें

9880031619

BYJU'S® The Learning App

ANDROID APP ON Google play | Download on the App Store

उपलब्ध कार्यक्रम Class 4-12 | JEE | NEET | IAS | CAT

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 सितंबर, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 सितंबर, 2019 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS... दृष्टि The Vision Think Drishti

सामान्य अध्ययन

ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच प्रारंभ

17 सितंबर
शाम 6:30 बजे

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स)
- इतिहास (वैकल्पिक विषय) (12 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स)
- दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय) (4 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स)
- हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय) (13 बुकलेट्स)

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये

- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 + 10 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 बुकलेट्स)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये

- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (34 बुकलेट्स)

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (25 बुकलेट्स)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स)

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये

- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (35 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (35 + 6 बुकलेट्स)

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना